राजस्थान विधान सभा

बैठक, बुधवार, दिनांक--५ अक्टूबर, सन् १९५५ ई०

सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर ३४ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २३४

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह ।

श्री जवानसिंह—Since the conditions have changed I do'nt want to ask my question.

प्रश्न संख्या २३५

१९५४-५५ में राजस्थान में खोले गये शासकीय सहायता प्राप्त औषधालय

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. सन् १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में राजस्थान में कहां २ गवर्नमेंट एडेड औषधालय खोले गये ?

२. जिन स्थानों पर औषधालय खोले गये वहां की जन संख्या कितनी २ है ?

३. परबतसर तहसील के ऐसे कितने ग्राम हैं जहां के प्रार्थना-पत्र एडेड औषधालय खोलने के लिये होने पर भी नहीं खोले गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(१) गत वर्ष में ४२ एडेड औषधालय खोले गये । ग्रामों के नाम व जनसंख्या की सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

२. उत्तर (१) में दे दिया गया है ।

३. परबतसर तहसील के रामला नामक ग्राम में औषधालय चलने के लिये सहायता ।

Page No.2

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

स्वीकृति दी गई है। अन्य किसी स्थान के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—ये एडेड औषधालय किस आधार पर खोले गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकता के आधार पर।

श्री चांदमल मेहता—आवश्यकता के बारे में सरकार ने क्या क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जहां से प्रार्थना पत्र आते हैं और आवश्यकता महसूस होती है है वहां खोले जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि परबतसर तहसील के कई गांवों ने अपनी ओर से प्रार्थना-पत्र पेश किये थे जिनके जवाब के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपनी लिस्ट में कहीं नहीं लिखे हैं उनके नाम ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया है कि एक जगह खोल दिया गया है। कुल ४२ खोले गये हैं। हमारे यहां ३०० तहसीलें हैं उनमें ४२ खोले गये हैं। एक आपको मिल गया तो आपको कोई कम्प्लेन्ट नहीं होनी चाहिए।

श्री चांदमल मेहता—कम्प्लेन्ट का कोई सवाल नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, सवाल यह है कि वह आधार क्या है ? आपने जो लिस्ट दी है उसमें कई गांव ऐसे हैं जहां की आबादी २०० २५० की है; वहां पर औषधालय खोले गये हैं, जब कि परबतसर में कई गांव ऐसे हैं जिनकी आबा... २ हजार तक की है और उनको ऐसा मौका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आस-पास की जनसंख्या भी शुमार की जाती है और आवश्यकतानुसार खोले जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो यह माना जाय कि कोई निश्चित क्राइटेरिया इस बारे में नहीं है, कोई निश्चित जनसंख्या हो कि इतने इतने एरिया में इतनी २ जनसंख्या के गांव हों; तो इस तरह का एक निश्चित क्राइटेरिया सरकार के पास नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां जैसी आवश्यकता होती है उसके मुताबिक देते हैं। अब ऐसा निश्चय करने वाले हैं कि तीन पंचायतों के बीच में एक औषधालय अवश्य हो।

श्री किशनलाल शाह—आपने कहा कि जहां आवश्यकता होती है तो क्या सारे राजस्थान में इनकी आवश्यकता नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकता की कमी और वेशी का सवाल है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपके कहा कि आवेदन पत्र आते हैं; तो क्या सब जगह औषधालय खोल दिये जाते हैं या आवश्यकता के अनुसार होगा ? जो हम करना चाहते हैं वह जनता की आवश्यकता पर निर्भर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आयन्दा इस बारे में आपकी राय ले ली जायगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरी राय लेने की आवश्यकता नहीं है, न आप शायद मेरी राय लेने वाले हैं; लेकिन फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि जहां से आवेदन-पत्र आते हैं वहां सब जगह औषधालय खोल देते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा नहीं है। आवेदन पत्र आते हैं तो आवश्यकता के अनुसार उनको दिये जाते हैं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या कोई गांव ऐसे भी हैं जहां माननीय मंत्रीजी आवश्यकता की बात नहीं समझते।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३६

नारोली डिस्पेन्सरी को औषधालय बनाना

श्री धर्मचन्द—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि नारोली डिसपेन्सरी में प्रतिदिन के मरीजों की संख्या ६० से ८० तक है, नारोली आयुर्वेदिक औषधालय में लगभग १५ व २० के हो जाती है ?

क्या इस संख्या को देखते हुए सरकार करनपुर की आयुर्वेदिक औषधालय को तोड़ कर डिस्पेन्सरी को और बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—जी नहीं। नारोली की डिस्पेन्सरी में इतनी मरीजों की संख्या नहीं है, औषधालय में अवश्य है।

(ख) करनपुर में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है एवं वहां की आबादी केवल

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

६००-७०० ही है जो नारोली से बहुत कम है। अतः नारोली से हटा कर करनपुर में डिस्पेन्सरी खोलना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या २३७

सिरोही मोटर सर्विस के पास फोर्ड कम्पनी के सब डीलरशिप के समय का सामान

श्री जवानसिंह—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सिरोही मोटर सर्विस के पास इसके फोर्ड कम्पनी से सब डीलरशिप के समय का सामान प्राप्त हुआ है ?

(ख) अगर हां, तो क्या उसका कोई स्टॉक रजिस्टर वगैरह प्राप्त हुआ ? अगर नहीं, तो उसका क्या हिसाब पाया गया ?

(ग) उपरोक्त माल फोर्ड कम्पनी की सब डीलरशिप के एकाउंट से सिरोही मोटर सर्विस के स्टोर में कब शामिल किया गया और क्या उस समय स्टॉक रजिस्टर के मुताबिक ही सामान पाया गया ? अगर नहीं, तो उस दिशा में क्या किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हां।

(ख) हां।

(ग) फोर्ड कम्पनी की डीलरशिप के समय का स्टॉक तारीख ८-१०-५४ को सिरोही मोटर सर्विस के स्टॉक में शामिल किया गया और स्टोक रजिस्टर के मुताबिक सामान पाया गया।

श्री जवानसिंह—क्या इस स्टॉक रजिस्टर के पाने पर जो सामान मिला है उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, उसकी नकल सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवश्य, आप चाहें तो पेश की जा सकती है।

श्री जवानसिंह—यहां पेश कर दी जाय तो कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं समझा नहीं।

श्री जवानसिंह—रिपोर्ट पेश कर दी जाय तो क्या उसमें आपको आपत्ति है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं, कोई आपत्ति नहीं।

प्रश्न संख्या २२८

सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.) के डिविज़न्स में विभाजन के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग (बी. एन्ड आर.) को कितने डिविज़न में विभाजित किया गया है।

(२) उक्त विभाजन किस आधार पर किया गया ?

(३) पिछले दो सालों में प्रत्येक डिविजन में कितनी कितनी लागत का काम कराया गया है ?

(४) गवर्नमैंट ऑफ इन्डिया के सर्क्युलर के माफिक कितने काम के आधार पर एक डिविज़न का निर्माण किया जाना चाहिये ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस समय बी. एण्ड. आर. के १३ डिवीज़न हैं, इनमें १० स्थाई हैं व ३ अस्थाई हैं।

(२) डिविज़न के विभाजन रेवेन्यू डिविज़न के सीमा के अनुसार व कार्य भार के आधार पर किया गया है।

(३) गत २ वर्षों में प्रत्येक डिविजन में जितनी लागत का कार्य कराया गया है वह इस प्रकार है:—

नाम डिविज़न	व्यय १९५३-५४	व्यय १९५४-५५
१. सिटी डिविज़न, जयपुर	३१,८७,३७९ रू०	४०,१३,९१४ रू०
२. कोटा डिविज़न, कोटा	१९,३१,६६०	३५,४१,१२५ रू०
३. डिस्ट्रिक्ट्स डिविज़न, जयपुर	२७,७४,२७६	३३,१९,८४३ रु०
४. भरतपुर डिविज़न, भरतपुर	३१,६८,६५३ रू०	३५,७१,५४० रू०
५. सिटी डिविज़न, जोधपुर	३४,३०,९५७	४७,२३,११८ रू०
६. डिस्ट्रिक्ट्स डिविज़न, जोधपुर	१४,४०,०८७	३२,६०,००१ रू०

[श्री शाहअलीमुद्दीन]

नाम डिवीजन	व्यय १९५३-५४	व्यय १९५४-५५
७. सिटी डिविज़न, बीकानेर	९,०४,६७० रू०	१४,२०,७१७ रू०
८. डिस्ट्रिक्ट्स डिविज़न, बीकानेर	११,६३,४८५ रू०	३३,७६,८४१ रू०
९. उदयपुर डिविज़न	३२,१८,८०७ रू०	४६,६०,७१४ रू०
१०. भीलवाड़ा डिविज़न	१६,६७,४६३ रू०	३१,०५,७४७ रू०
११. अलवर	ये अस्थाई डिविजन एक साल के वास्ते जुलाई सन् ५४ से स्थापित हुए हैं	१८,५१,९६० रू०
१२. नेशनल हाई वे उदयपुर		१५,६६,८५६ रू०

(४) गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का इस सम्बन्ध में कोई सर्क्युलर नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ये डिविज़न जो मुकर्रर किये गये हैं ....

श्री शाह अलीमुद्दीन—रेवेन्यू डिविज़न की सीमा और काम के आधार पर किये गये हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप बैठ जाइये या मैं बैठ जाऊं। मैंने सवाल तो पूरा पूछा ही नहीं आप जवाब देने लग गये।

श्री शाह अलीमुद्दीन—जवाब का उत्तर इसलिये दे दिया कि आपको तकलीफ न हो।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मेरे दिल में क्या बात है, यह आप नहीं पहचान सकते।

मैं यह पूछना चाहता था कि ये डिविजन जो बनाये गये हैं वे बिल्कुल फिक्स्ड हैं या काम के माफिक इनमें रद्दोबदल हो सकता है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैंने अर्ज किया था कि १० पर्मानेन्ट हैं और २ टेम्पोरेरी हैं, उनमें रद्दोबदल हो सकती है।

प्रश्न संख्या २३६

सपोटरा अस्पताल में नर्स का प्रबन्ध करना

श्री धर्मचन्द—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.7

[श्री धर्मचन्द]

(क) क्या यह सत्य है कि सपोटरा अस्पताल में एक भी नर्स नहीं है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक वहां पर नर्स का इन्तजाम हो जाने की आशा की जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) जैसे ही ट्रेन्ड नर्स उपलब्ध होगी व्यवस्था करदी जावेगी।

श्री जवानसिंह—उपलब्ध करने का तरीका क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नर्सेज़ ट्रेन्ड की जा रही हैं।

प्रश्न संख्या २४८

जयपुर–कोटा बस सर्विस को प्रारम्भ करना

श्री जवानसिंह—क्या मंत्री महोदय यातायात विभाग, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर-कोटा बस सर्विस गत अप्रेल से जारी की जानेवाली थी ?

(ख) अगर हां, तो अब तक सरकार ने क्यों नहीं शुरू की ?

(ग) क्या इस सर्विस के लिये कुछ मोटरें सिरोही सर्विस से मंगाई गई थीं ?

(घ) अगर हां, तो कितने माह वे मोटरें जयपुर में पड़ी रहीं और इस काल में उनका क्या उपयोग हुआ ?

श्री भगीलाल पंड्या (यातायात मंत्री)— (क) कोई निश्चित तारीख मुकर्रिर नहीं की गई।

(ख) मामला रीज़नल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, जयपुर के विचाराधीन है।

(ग) हां, केवल एक बस।

(घ) उपरोक्त बस सेन्ट्रल गैरेज, जयपुर में रखी हुई है और रीज़नल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी के निर्णय के पश्चात् जयपुर–कोटा रूट पर काम में लाई जावेंगी।

श्री कंवरलाल जेलिया—इतनी देरी होने का क्या कारण है ? अब तक क्यों नहीं इस रूट को चालू किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मामला विचाराधीन है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूँ कि कोटा से जयपुर तक बस सर्विस चालू नहीं की गई है, इससे होने वाली जनता की असुविधाओं को दूर करने के लिये गवर्नमेन्ट ने क्या तत्काल उपाय किये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जयपुर से कोटा तक अस्थायी बस सर्विस चालू करने के लिये आवेदन-पत्र मांगे थे, किन्तु एक रिट हो जाने से ऐसा नहीं कर सके ।

श्री कंवरलाल जेलिया—इसके अलावा केवल आवेदन-पत्र मांगने से और इस मामले को पेन्डिग रखने से ही सरकार को संतोष मिल जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि आपने मेरा उत्तर सुना होता तो इस प्रकार का प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती । मैंने निवेदन किया था कि कोटा से जयपुर तक अस्थायी बस सर्विस चलाने के लिये आवेदन-पत्र मांगे थे । इस पर कोटा-बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से जोधपुर हाई कोर्ट में रिट पेश कर देने से इसे रोक दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—The reply need not be repeated.

श्री जवानसिंह—जो बस एक रूट पर चल रही थीं वह इसलिये यहां पर जल्दी मंगाई गई कि यहां के रूट पर चलती रहे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां पर एक बस ज्यादा थी और यहां उसकी आवश्यकता थी, इसलिये मंगाई गई ।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक उसमें कितनी प्रोग्रेस हो गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जून १९५५ में यह तय हुआ । संबंधित पार्टीज़ को सुनने के बाद यह निर्णय किया गया कि स्थायी परमिट देना कानूनी तौर पर ठीक रहेगा, इसलिये ६. ८. १९५५ को राजस्थान राज-पत्र में सूचना प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार आवेदन पत्र मांगे गये हैं । तारीख २६. ९. १९५५ तक आवेदन पत्र आने की तारीख थी ।

श्री श्रीदास गोयल—उस रिट का निर्णय क्या हुआ ?

Page No.9

श्री भोगीलाल पंड्या—जब यह निर्णय किया गया कि स्थायी परमिट देना ही ठीक रहेगा कानूनी तौर पर, उसके बाद रिट वापिस ले ली गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—जब सरकार स्वतः ही बस चलाने का सोच रही है तो आवेदन पत्र मंगाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब पहले किसी की मोटर सर्विस चल रही है तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा।

श्री दिलीपसिंह—अब सरकार की मोटर चलेगी या प्राइवेट चलेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अभी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार भी चला सकती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या जयपुर में कई बसेज़ ऐसी हैं जिनका उपयोग हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २४१

राजस्थान सरकार के विरुद्ध भिन्न भिन्न न्यायालयों चलने वाले मुकद्दमें

श्री चांदमल मेहता—क्या विधि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १ जनवरी, सन् १९५५ के आरम्भ में राजस्थान सरकार की भिन्न भिन्न अदालतों में सरकार के खिलाफ कितने सिविल स्यूट्स पेन्डिंग थे ?

(ख) १ जनवरी, सन् ५५ के बाद कितने मुकदमें फैसला हुये और उनमें कितने राज्य सरकार के खिलाफ हुवे ?

(ग) १ जनवरी, ५५ के बाद नये कितने सिविल स्यूट्स दायर हुए ?

(घ) जो मुकद्दमें राज्य सरकार के खिलाफ फैसल हुवे वे किस किस की तरफ से थे और कितने कितने रूपये की डिक्री सरकार के खिलाफ हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—(क) १ जनवरी, सन् १९५५ को राजस्थान सरकार के विरुद्ध २१० सिविल स्यूट्स भिन्न भिन्न अदालतों में पेन्डिंग थे जिसकी सूची भवन की मेज पर रखदी गई है।

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ख) १ जनवरी, सन् ५५ के बाद अब तक १४५ सिविल स्यूट्स भिन्न भिन्न अदालतों में दायर हुये हैं, जिसकी सूची भवन की मेज पर रखदी गई है ।

(ग) १ जनवरी, सन् ५५ के बाद कुल ५६ मुकद्में फैसल हुए जिनमें से २० मुकद्में राज्य सरकार के खिलाफ फैसल हुए जिसकी सूची भवन की मेज पर रखदी गई है ।

(घ) जो २० मुकद्मे सरकार के खिलाफ फैसल हुए उनकी सूचि भवन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो मुकद्में सरकार के खिलाफ फैसल हुए हैं उनमें से कुछ के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि उनकी अपीलें नहीं की जायंगी।

श्री रामकिशोर व्यास—हां, यह सही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जब मुकद्में दायर हुए तो उनसे पहले नोटिस दिया जा चुका था । उस समय सरकार निर्णय नहीं लेती कि ऐसे मुकद्मों को कोंटेस्ट करना चाहिये या नहीं और उनको लड़ने का मौका देना चाहिये या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार इस प्रकार के निर्णय भी लेती है । उसके बाद लीगल राय यदि अपील करने के सिलसिले में नहीं हो तो अपील नहीं की जाती है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार गलत मुकद्मे लड रही थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—गलत का प्रश्न नहीं है, राय का प्रश्न है ।

कु०श्री जसवन्तसिंह—पहले सरकार के खिलाफ मुकद्में दायर हुए, सरकार उनमें लड़ी और हारी; फिर अपील करने के लिये राय नहीं दी गई और कहा गया कि अपील करना ठीक नहीं है ; तो ये मुकद्में शुरू में ही सरकार ने क्यों लड़े ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुकद्मों का फैसला एविडेन्स पर ज्यादा निर्भर करता है, जैसी एविडेन्स होगी उसी पर फैसला मुन्नसर होगा ।

श्री संतोषसिंह—जो मुकद्में सरकार हार गई उनमें कितने रुपयों की डिक्रियां हुई हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास—यह अगला सवाल है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह सवाल अगला नहीं है। मूल प्रश्न का (ग) भाग देखेंगे तो यह प्रश्न उसमें मौजूद है।

श्री रामकिशोर व्यास—उसकी सूची सदन की मेज रख दी गई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—टोटल जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—This is a matter of calcalation.

श्री रामकिशोर व्यास—केल्कुलेशन की बात है, लंबा हिसाब है।

श्री अध्यक्ष—The list has been given to the member concerned.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह समझा जाय कि सरकार के खिलाफ काफी तादाद में रुपयों कि डिग्री हुई है?

श्री रामकिशोर व्यास—वह तो फैक्ट्स हैं जो टेबल पर रखे हैं, आप मुलाहिजा कर लें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर सरकार यह समझती थी कि उन लोगों को रुपया देना वाजिब था तो पहले ही उन लोगों को रुपया क्यों नहीं दे दिया गया ताकि मुकदमें का यह खर्चा तो सरकार को नहीं लगता?

श्री रामकिशोर व्यास—सरकार तो देना वाजिब नहीं समझती थी, अदालत ने फैसला दे दिया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह– अदालत का फैसला क्या सरकार ठीक नहीं समझती?

श्री रामकिशोर व्यास—ठीक समझती है तभी तो देने को तैयार है।

श्री चांदमल मेहता—जिन मुकदमों में सरकार हार गई है, उन मुकदमों में क्या ऐसे भी कोई मुकदमें हैं जिनमें सरकार ने लीगल ओपीनियन नहीं ली हो?

श्री रामकिशोर व्यास—आप अगल से पूछिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उन मुकदमों के हारने का यह भी एक कारण है कि सरकार की ओर से पैरवी ठीक तरह से नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या यह सही है कि जिन मुकदमों के बारे में सरकार ने अपील नहीं करने का निर्णय लिया है उन मामलों के बारे में लीगल ओपीनियन नहीं ली थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने अर्ज किया कि अलग से सवाल करें।

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या यह सही है कि जान-बूझ कर उन मुकदमों में लीगल ओपीनियन नहीं ली गई ?

श्री अध्यक्ष—श्री एच. के. व्यास।

कु० श्री जसवन्त सिंह—Sir, Shri H. K. Vyas has authorized me to ask his question.

प्रश्न संख्या २४२

नवयुग मुद्रणालय को राजकीय मुद्रणालय द्वारा १० रीम कागज उधार देना

श्री हरिकृष्ण व्यास—(कु० श्री जसवन्तसिंह ने पूछा) Will the Minister for Printing and Stationery be pleased to state:—

(a) Is it a fact that ten reams of paper were loaned from the Government press for the use of a daily "Navyug." ?

(b) If so, what action has the Government taken to stop such irregularities ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(a) In case of emergency materials used by the Press were given and taken on loan by the Government Presses to and from other Presses. No transactions are now outstanding. No record has been maintained for this transaction.

(b) Orders have already been issued to stop this practice.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—कृपा करके यह बताया जाय कि नवयुग के अलावा किस २ को कागज दिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि रेकर्ड अब तक मेंन्टेन नहीं होता है। वैसे कागज की कमी पड़ जाने पर दूसरे प्रेसेज़ से लेते भी हैं और उनको देते भी हैं। अब यह प्रेक्टिस स्टोप कर दी है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या नवयुग प्रेस है। यह समझा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नवयुग प्रेस है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नवयुग प्रेस है, या पेपर है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दोनों ही हैं, प्रेस भी है और पेपर भी है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अब तक तो हमने नवयुग का प्रचार नहीं देखा है कि वह मासिक है या साप्ताहिक है या डेली है। तो फिर ऐसी नौबत कैसे आ गई कि उसके पास कागज नहीं रहा और उसको १० रीम देने की नौबत आ गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तक हमारे गवर्नमेंट प्रेस की यह प्रेक्टिस थी कि कमी होती तो दे भी देते और ले भी लेते थे, अब वह प्रेक्टिस स्टोप कर दी गई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नवयुग अखबार के बारे में तो आपको काफी खयाल नहीं है फिर भी यह बताया जाय कि नवयुग के अलावा कितने प्रेसेज़ और हैं जिनको गवर्नमेंट प्रेस ने लोन पर कागज दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दूसरे प्रेस युगान्तर को दिया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो यह समझा जाय कि नवयुग के अलावा युगान्तर को ही दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अभी बताया गया है ?

श्री चांदमल मेहता—युगान्तर प्रेस को कब कब दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि डेफिनिट रेकर्ड नहीं है, ले भी लेते हैं और दे भी देते हैं। कोई प्रेस बन्द न रहे, इस लिहाज से दे देते हैं जो अच्छा ही है।

Page No.14

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आज तक नवयुग के अलावा किसी भी प्रेस को सरकार ने कागज दिये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि युगान्तर को दिये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि युगान्तर प्रेस से मोनो मशीन के टूल्स लिये थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दिये भी गये हैं और लिये भी गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि लिया जरूर गया है, पर दिया नहीं गया है; मोनों मशीन के टूल्स लिये गये थे, जो रेकर्ड में मौजूद हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेटीरियल प्रेस का है वह लिया भी जाता है और दिया भी जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये रीम इश्यू किये गये थे तो क्या उनका गेट पास बनाया गया था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने बताया कि डेफिनिट रेकर्ड नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बगैर गेट पास बनाये और बगैर रजिस्टर में दर्ज किये ही चीजें दे दी जायं, यह प्रेस में पद्धति है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह अलग से पूछिये।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—यह अलग से पूछने का नहीं; बगैर पास के और बगैर रेकर्ड के पेपर कैसे दे दिये जाते हैं, यह भी क्या प्रेस में पद्धति है?

श्री श्रीदास गोयल—क्या उचंत खाते नाम लिखे गये थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो दिये और आगये। It is a harmless practice. प्रेसेज़ को दिये गये, अब वह! प्रेक्टिस स्टोप कर दी है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—बगैर पास के नवयुग को कागज दिये गये, क्या यह सही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि डेफिनिट रेकर्ड नहीं है, अलग।

Page No.15

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार के रूल्स बने हुए हैं कि स्टोक के रजिस्टर में दर्ज किये बिना कोई सामान नहीं दिया जावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रूल्स देख कर कह सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जो १० रीम कागज दिये गये वे वापिस आ गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, आ गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो रीम्स दिये गये थे उनसे अन्डर साइज़ के दो रीम्स आये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी, यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो रीम्स वापिस आये थे उनमें से दो रीम्स अन्डर साइज़ के थे; इस प्रकार का एतराज स्टोर कीपर ने किया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उक्त प्रेस को गवर्नमेंट प्रेस से इस संबंध में पत्र भेजा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्रीजी ने इस प्रेस के बाबत जानकारी नहीं की कि गवर्नमेंट प्रेस से किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पत्र-व्यवहार नहीं हुआ ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस प्रकार की जो इर्रेग्युलेरिटी की गई, क्या प्रेस में कोई अधिकारी सस्पेन्ड किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रेस में पहले प्रेक्टिस थी। यह तो हार्मलेस प्रेक्टिस है। मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेंट को कोई नुकसान हुआ हो, इसलिए सस्पेन्ड करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ये रीम जो दिये गये थे तो कोई रसीद ली गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रसीद का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मंत्री महोदय बार बार इसे "हार्म लेस प्रेक्टिस" कहते हैं; तो यह किसके अधिकार से और किसके हुक्म से दिया गया है; who is authorisid ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो प्रेस को अधिकार है, उन्होंने दिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बेसी वजन के कागज दिये गये और कम वजन के कागज लिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I can definitely assert that it is wrong.

श्री हरिकृष्ण व्यास—बार बार कहा गया कि कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ .. I want to challenge it by other forms. इसके बारे में स्टेटमेंट कन्फर्म करें कि...इस सिलसिले में उक्त प्रेस और गवर्नमेंट प्रेस के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने फरमाया कि नहीं हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप पूरी जानकारी करके बतायें।

श्री अध्यक्ष—The question is about giving the papers on loan.

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह भी एडमिट करने के लिये तैयार हैं कि नवयुग को जिस प्रकार का कागज दिया गया था वैसा ही कागज उसी क्वालिटी का और उसी क्वान्टिटी में वापिस लिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां, उसी क्वालिटी का कागज वापिस आया।

कु० श्री जसवन्त सिंह—क्या आप इसके लिये जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हां।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या यह जांच कराने के लिए माननीय मन्त्री जी फरमा रहे हैं, वह दुरस्त नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं सका।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या इस बात की जांच कराने के लिए तैयार हैं कि माननीय मन्त्री जो फरमा रहे हैं वह दुरुस्त नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं इस बात के लिए डेफिनिट हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में है कि इस सदन में तीन-चार दिन पहले वित्त मन्त्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि यह गलत है। आज आपके उत्तर से यह मालूम हो गया कि वित्त मन्त्री जी ने जो कहा था वह गलत है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Next.

प्रश्न संख्या २४३

सपोटरा तहसील की पंचायतों में पंचों के रिक्त स्थान

श्री धर्मचन्द—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सपोटरा तहसील में ऐसी कौन कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें अभी तक पंचों के स्थान खाली हैं और उनके चुनाव नहीं हुये हैं ?

(ख) इसका क्या कारण है ?

(ग) अब कब तक चुनाव हो जाने की उम्मीद है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) पंचायत डाबरा व नारोली में क्रमशः १ व ३ स्थान पंचों के खाली हैं।

(ख) डाबरा व नारोली के उपरोक्त रिक्त स्थानों के संबन्धित वार्डों की जनता चुनाव में सम्मिलित नहीं हुई।

(ग) डाबरा व नारोली के रिक्त स्थानों के निर्वाचन शीघ्र कराने के लिए सम्बन्धी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं।

Page No.18

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २४४

सन् १९५४-५५ में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कृषि फार्म

श्री चांदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५४–५५ के वर्ष में कितने कृषि फार्म राज्य सरकार द्वारा चलाये गये ?

(२) उक्त फार्म्स पर कितना कितना खर्चा हुआ और कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(३) किस किस फार्म पर किस किस बीज का परीक्षण किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) १५।

(२) सूची इस प्रकार है—

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	व्यय	आय
१.	गंगानगर	३८,४३६-२-६	४७,६०८
२.	करनपुर	५,४३७-३-०	३,८१४-१३-०
३.	भिलाडा	३,०००-०-०	७,०००-०-०
४.	टोंक	५,३७३-१-६	१,०१३-१४-६
५.	बूंदी	५,३७२-०-०	२,६६८-०-०
६.	पदमपुर	५,७२८-६-०	५,७४०-१२-०
७.	दोनाडी डूंगरपुर	८,१७६-०-०	८३७-०-०
८.	बांसवाड़ा	६,११५-७-०	१,११३-६-६
९.	रायसिंह नगर	४,६६५-१३-३	५,११२-२-६
१०.	जैतसर	५,०५६-११-६	७,०३१-६-०
११.	बस्सी	२३,८००-१३-६	२३,३१६-११-३
१२.	दुर्गापुरा	२१,८२८-२-६	११,३८७-४-६
१३.	मंडौर	२२,७४६-०-०	८,५५७-०-०
१४.	सादड़ी	७,१००-०-०	४,४००-०-०
१५.	पाडासोली	२५६५७-०-०	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) बीजों के किस्म का परीक्षण किन किन फर्मों पर किया गया इसकी सूची मेरे पास है ; अगर चाहें तो पढ़ दूं और चाहें तो मेज पर रख देता हूँ ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—जिन फार्मों में नुकसान बताया गया है उन पर खर्चा ज्यादा किया गया है या उसके नुकसान का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसका यह कारण है कि राजस्थान बनने से पहले छोटी छोटी रियासतें थी जहां पर उन्होंने एग्रीकल्चर फार्म की व्यवस्था तो शुरू कर दी मगर वहां पर मकान आदि बने ये नहीं हुये और न उनके मेन्टीनेन्स की व्यवस्था थी, इसलिये वहां पर सारी यह व्यवस्था करनी पड़ी और इसीलिये इसका खर्चा ज्यादा पड़ा ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या मंडौर के फार्म के लिए भी यही बात थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, यह तो छोटी छोटी स्टेटों में सब जगह यही हालत थी ?

श्री संतोषसिंह कछवाहा—मंडौर छोटी स्टेट तो नहीं थी ?

एक माननीय सदस्य—मंडौर स्टेट तो नहीं थी, जोधपुर स्टेट थी ।

श्री भोगीलाल पंड्या—लोगों को लाभ हो, इसके लिए उन्हें अच्छे बीज दे दें । बड़ स्टेट में ऐसी बात हो सकती है लेकिन यह नहीं कि बड़ी स्टेट होते हुए भी वह घाटे में न चले, चल सकती हैं ।

श्री चांदमल मेहता—जो फार्म बताये गये हैं उनमें पहले कितने थे और कितने बन्द किए जा चुके हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले २६ थे और अब १५ हैं। ५ एक्सपेरीमेंटल फार्म्स रखे गये हैं । ३ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए ट्रान्सफर कर दिए गए हैं । (अश्रव्य) के लिए १० रखे गये हैं और जो बन्द किए गए हैं वे ८ हैं ।

एक माननीय सदस्य—हर साल कितने किसानों के लड़के ट्रेन्ड किये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—प्रदर्शन होते है वहां कई लोग आकर देखते हैं । इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न पूछें तो पूरा जबाब दिया जा सकता है ।

श्री जवानसिंह—पहले २६ थे और अब २६ से १५ हो गये। अब ये सब कब खत्म हो जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४५

नावां के सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस के कार्यालय की पुनः स्थापना

श्री किशनलाल शाह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) नावां से सर्किल इन्सपेक्टर का हैड क्वाटर क्यों हटाया गया ?

(ख) क्या सरकार अब पुनः यह हैडक्वाटर नावां में रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास—(क) नावां से सर्किल इन्सपेक्टर का हैड क्वार्टर परबतसर, प्रशासनिक आधारों पर, हटाया गया।

(ख) ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—उसको हटाने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रशासनिक आधारों पर हटाया गया।

श्री किशनलाल शाह—प्रशासनिक आधारों की परिभाषा क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—राजस्थान बनने के बाद राजस्थान का सेट अप कायम किया गया और सन् १९५१ में उस हिसाब से सर्किल इन्सपेक्टर का हैडक्वार्टर परबतसर बनाया गया।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि नावां में सरकारी मकानात उपलब्ध हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—मकान के ग्राउन्ड पर नावां से परबतसर हैडक्वार्टर नहीं बनाया गया।

श्री किशनलाल शाह—क्या नावां का एरिया परबतसर से इसके लिए ज्यादा मौजू है ?

श्री रामकिशोर व्यास—परबतसर ज्यादा मौजू है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि सर्किल इन्सपेक्टर लापरवाह हैं और वे दौरा नहीं करते ?

श्री रामकिशोर व्यास—कार्य होता है तो जाते हैं।

श्री किशनलाल शाह—शासकीय कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने पहले बताया है। यह set up जनवरी, १९५१ में पब्लिश हुआ।

प्रश्न संख्या २४६

सब तहसील करणपुर में ग्राम पंचायतों के चुनाव में विलम्ब का कारण

श्री धरमचन्द—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सब तहसील करनपुर में कितनी ग्राम पंचायतें हैं ?

(ख) इन पंचायतों के चुनाव कब व किस कर्मचारी द्वारा कराये गये ?

(ग) क्या यह पंचायतें कार्य कर रही हैं ?

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण है और इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) सब तहसील के आधार पर रेकॉर्ड नहीं रहता, तहसीलवार रहता है। तहसील सपोटरा में १८ ग्राम पंचायतें हैं।

(ख) सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) १४ पंचायतें कार्य कर रही है।

(घ) शेष चार पंचायतों के निर्वाचन क्रमशः १८, २०, २२ व १८ अक्टूबर, ५४ को नायब तहसीलदार साहब, करनपुर व बहादुरपुर का प्रधानाध्यापक मिडिल स्कूल नारोली द्वारा हो जाना प्रतीत हुआ, किन्तु चुनाव पत्रादि उन्होंने पंचायत विभाग में नहीं भेजे। जिलाधीश सवाई माधोपुर को

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

को लिखा गया है कि पूर्व में जो निर्वाचन हुआ उसके पत्रादि शीघ्र निर्वाचन अधिकारियों से लेकर भिजवाये जांय और पत्रादि उपलब्ध न होने की दशा में दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे और निर्वाचन की कार्यवाही पुनः शीघ्र की जाये।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या २४७.

करोली सब डिवीजन में ताल इत्यादि की योजनाओं के तखमीने व व्यय

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सत्य है कि असिस्टेन्ट इन्जिनियर सिंचाई विभाग, करोली सब डिवीजन में नियुक्त है ? वहां कितने ताल वगैरह की स्कीम कितने रूपयों के तखमीने की पिछले साल में तैयार हुई थी ? और उसमें कितनी धन राशि व्यय हुई ?

(ख) करोली सब डिवीजन में किन किन तहसीलों में बांध वगैरह हैं जिनसे सिंचाई होती है? वह सिचाई नहर द्वारा की जाती है या बांध से पानी निकाल कर ? बांध में खाली रही हुई जमीन किसानों को किस आधार पर दी जाती है ?

(ग) इस साल करोली के छोटे बड़े तालाबों के कितने प्रोजेक्ट विचाराधीन हैं ?

श्री भोगीलाल पांड्या—(क) हां, एसीस्टेन्ट इन्जिनियर सिंचाई विभाग, करोली का हैड क्वार्टर करोली में है और जितने तालाब वगैरह की स्कीम जितने रूपयों के तखमीने की गये साल में तैयार हुई और उसमें जिस कदर धन राशि व्यय हुई उसकी सूची इस प्रकार है।

(ख) करोली सब डिवीजन में सारी तहसीलों में बांध भी हैं अथवा नहरें जिनके द्वारा सिंचाई की जातीं है। बांध से पानी निकाल कर बांध में रही हुई खाली जमीन को हरसाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा नीलाम किया जाता है।

(ग) इस साल निम्न लिखित प्रोजेक्ट छोटे बड़े तालाब बनाने को आये हैं :

नाम कार्य	तहसील
१. पिरकरिया बन्ध	करोली
२. रौंध बन्ध	महुवा

Page No.23

[श्री भोगीलाल पंड्या]

नाम कार्य	तहसील
३. रोसोरी बन्ध	हिन्डोन
४. पीआरो बन्ध	करोली
५. चुलिया बन्ध	गंगापुर
६. हरी की गुवाड़ी	सपोटरा
७. महेसुवा बन्ध	नादोती
८. बांध अमरगढ़	बावनवास
६. गुलाबपुरा प्रोजेक्ट	सपोटरा

(क) की सूची इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	नाम तालाब	तखमीना	व्यय
१.	रेज़िंग एन्ड रीकन्डीशनिंग बंध जावली।	२७,६७० रू०	१८५६१ रू. ५ आ.
२.	रेस्टोरेशन व रीकन्डीशंनिग बन्ध रोथ।	३०,००० रू०	४४१७ रू.

श्री हंसराज जटिया—निलाम कर दी जा चुकी है, वह किस प्रकार दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सुना नहीं गया, कृपया जोर से बोलियेगा।

श्री हंसराज जटिया—जो भूमि रखी जाती है वह किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजस्व विभाग द्वारा निलाम की जाती है। निलाम में जो पड़ता है वह पाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४८.

भीम से देवगढ़ में मुन्सिफी तथा मजिस्ट्रेटी न्यायालय को स्थानान्तरित करने की जनता की मांग

श्री संग्रामसिंह (डि० नं० १३४)—Will the Law Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that for the last five years the public of Deogarh Tehsil has beed demanding that Munsiff's and Magistrate's Courts be shifted from Bhim to Deogarh because Deogarh is a municipal town connected with Railway?

(b) If so, what action has been taken by the Government in this matter?

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री)—(क) सरकार ने निर्णय किया है कि मुन्सिफ के न्यायालय को भीम से स्थानान्तरित न किया जावे क्योंकि देवगढ़ में न्यायालय के योग्य कोई इमारत नहीं है और भीम में उचित भवन उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में पूर्व ही सन् १९५१ में राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श किया गया था और वह न्यायालय स्थानान्तर के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था।

(ब) भीम खास में एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट का कोई न्यायालय ही नहीं है, अतः देवगढ़ में स्थानान्तर किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अगर देवगढ़ में मकान दे दिया जाय तो क्या स्थानान्तर कर दिया जावेगा?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—स्थान होते हुए भी और देने का वादा करने पर भी वहां क्यों नहीं भेजा जावेगा?

श्री रामकिशोर व्यास—मकान का ही केवल कन्सीडरेशन नहीं किया जाता।

श्री भैरोंसिंह (१६)—भीम के बनिस्पत देवगढ़ में आवागमन के साधन ज्यादा सुलभ हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—हाईकोर्ट ने भीम में ही न्यायालय रखना ज्यादा मुनासिब समझा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि देवगढ़ के जागीरदार आॅपोजीशन में होने से ऐसा नहीं किया जा रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास—नहीं। मैं आपको अर्ज करूं कि फॉर्मर राजस्थान के वक्त ही इस प्रकार की व्यवस्था थी। राजस्थान के जुरिस्डिक्शन में आने पर भी वैसी ही व्यवस्था रही। देवगढ़ में मुन्सिपी नहीं थी, फोर्मर राजस्थान में भी नहीं थी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि सरकार के यह ध्यान में था कि जो इलेक्शन पिटीशन देवगढ़ राव साहब के खिलाफ चल रही थी उसमें हार जाते तो क्या वह न्यायालय स्थानान्तरित कर दिया जाता?

श्री रामकिशोर व्यास—आपका खयाल हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४६

सब डिवीजन करोली की पंचायतों का इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा दौरा

श्री कानसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सब डिवीजन करोली की पंचायतों का दौरा किसी पंचायत विभाग के किसी कर्मचारी ने कभी किया है?

(ख) यदि किया है, तो किन २ पंचायतों का और कब २?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) पूर्व में करोली में पंचायतें नहीं थीं, अभी हाल ही में स्थापित की गई हैं और वहां कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही अभी जारी है। इस कारण से किसी विभागीय अधिकारी का दौरा नहीं हो सका।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हंसराज जटिया।

Page No.26

प्रश्न संख्या २५०

तहसील राजाखेड़ा धौलपुर में नये बन्धों की योजना एवं पुरानों का जीर्णोद्धार

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या तहसील राजाखेड़ा, धौलपुर सब डिवीजन में कोई बांध वगैरह निर्माण करने की योजना है ?

(ख) यदि हां, तो किन २ स्थानों पर ?

(ग) सरकार की वहां के किन २ पुराने बांधों की मरम्मत के लिए योजना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(उद्योग मंत्री का सिंचाई मंत्री की ओर से उत्तर)

(क) तहसील राजाखेड़ा धौलपुर में निम्नलिखित बन्ध निर्माण करने की योजनाओं की स्वीकृति बजट में सरकार द्वारा हो चुकी है :

१. बाजना बन्ध

२. शेखपुर बन्ध

३. खुरला बन्ध

इनमें से केवल शेखपुर बन्ध की मरम्मत इस वर्ष हो जायगी और खुरला बन्ध में एक मोरी सिंचाई के वास्ते बनानी है जो बन्ध में पानी सूख जाने के बाद बन सकेगी। बाजना बन्ध बनाने से सरकार को कोई लाभ प्रतीत नहीं होता हैं क्योंकि इसकी रिटर्न ४ प्रतिशत भी नहीं बैठती है; बाकी और मरम्मत तलब बन्धों की सर्वे करके जांच की जा रही है।

प्रश्न संख्या २५१

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या २५२

देवगढ़ के पुलिस थानेदार द्वारा भोला रावल का चालान शीघ्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी

श्री संग्रामसिंह—Will the Home Minister reply:—

[श्री संग्रामसिंह]

(a) Is it a fact that one Bhola Rawal, an imposter, was arrested at Udaipur on 29 th June, 1955, under Section 420 I. P. C. by the Superintendent Police, Udaipur ?

(b) If so, why has the Sub-Inspector Police, Deogarh, not yet challaned the case in the court ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—श्री भोला रावल के विरूद्ध मुकदमे की तफतीश अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि देवगढ़ के पुलिस थाने के अध्यक्ष मुख्यतया डाकू विरोधी कार्यवाही में लगे हुए थे और एस. डी. एम. व तहसीलदार का भी तबादला हो गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कितने दिनों से तफतीश चल रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—अप्रेल में जुर्म रजिस्टर किया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस भोला रावल की ... (अश्रव्य) जागीर की आमदनी सरकार के हुक्म से दिलाई गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास—मेरी नॉलेज में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्न का फैसला दिया उसके पहले इलाके के लोगों ने लिखित शिकायत की है कि ये सज्जन एक इम्पोस्टर थे ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि एक डेपुटेशन इस सिलसिले में उस वक्त रेवेन्यु मिनिस्टर से मिलने के लिए जयपुर आया था और एप्लीकेशन दी ?

श्री रामकिशोर व्यास—हो सकता है कि की हो, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिला हो।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय के खयाल में है कि एक सज्जन भी इम्पोस्टर हो सकते हैं ?

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस समय सफेद टोपी थी, सज्जन गिने जाते थे. अब कार्यवाही सामने आई इसलिए इम्पोस्टर साबित हो गये।

(घंटी)

श्री श्रीदास गोयल—काबिल गिरफ्तारी जुर्म था इसलिए यह की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह ठीक खयाल हो सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है ४२०....

(घंटी)

प्रश्न संख्या २५३

पंचायतों (विशेषतया नावां तहसील की पंचायतें) को वार्षिक राजकीय सहायता

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचायतों को कोई वार्षिक राजकीय सहायता दी जाती है । यदि हां, तो कितनी २ दी जाती है ?

(ख) नावां तहसील की कौन कौन सी पंचायतों को कितनी २ सहायता दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) पंचायतों को वार्षिक सहायता नहीं दी जाती । साधारणतय नई पंचायतों को उनके प्रारम्भिक कार्य के संचालन के हेतु १०० रुपये तक की सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त रचनात्मक कार्यों के हेतु जो पंचायत लगभग सम्बन्धित कार्य की आधी या उससे कुछ कम रकम गांवाई चन्दा या पंचायत फन्ड से योग देना स्वीकार करती है उनको अनुमानिक खर्चे के अनुपात से सहायता दी जाती है ।

(ख) प्रारम्भिक सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री किशनलाल शाह—अब तक नावां तहसील की पंचायतों को सहायता न दी जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—विचाराधीन है, मैंने कहा ।

श्री किशनलाल शाह—जब पंचायतें काम कर रही हैं तो फिर उनको सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सब का प्रश्न एक साथ विचाराधीन है ।किसी के साथ रियायत की गई हो, ऐसा नहीं है ।

श्री किशनलाल शाह—अब तक सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा था कि यह विचाराधीन है। पंचायतों को सहायता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, यह विचाराधीन है; उनको टेक्स लगाने के अधिकार हैं, लगाना चाहिए।

श्री किशनलाल शाह—मेरा यह प्रश्न है कि अब तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि पंचायतों को आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। नयी पंचायतों को शुरु करने के लिए उनको १००) रु० तक आर्थिक सहायता दी जाती है।

श्री किशनलाल शाह—क्या जातिवाद के आधार पर सहायता दी गई है और इसके लिए मैं सरकार को चेलेन्ज करता हूँ।

(विपक्ष द्वारा "हियर, हियर")

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—क्या यह सही है कि किसी समुदाय विशेष को जिसमें जाट है, इसलिए जाटों की पंचायतों को सहायता दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जाटों की नहीं, पब्लिक की है। जो चुनाव में आये हैं वे आये हैं। ऐसा नहीं है।

श्री किशनलाल शाह—नागौर तहसील में दी गई तो फिर नावां तहसील में क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नयी पंचायतों का काम शुरु करने के लिए उनको १०० रु० की सहायता दी गई और जो पचास प्रतिशत काट कर बाकी की दी गई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५४

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह संधु।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न संख्या २५५

रोड रोलर्स के किराये पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई कुल रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) गत वर्ष रोड रोलर के किराये पर कुल कितनी रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई ?

(२) किस २ डिविजन में कितने २ सरकारी रोलर मौजूद हैं ?

(३) उक्त रोलर्स में से वर्किंग ऑर्डर में कितने हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री) – (१) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा १९५४–५५ में कुल १, २१, १३५ रुपये ३ आना खर्च किये गये।

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस वक्त १३ डिवीजन हैं, जिनमें से एक प्लानिंग डिवीजन है और बाकी १२ डिविज़न्स में सरकारी रोड-रोलर्स की संख्या निम्नलिखित है :

१.	सिटी डिवीज़न, जयपुर	८
२.	कोटा डिवीजन	१६
३.	डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जयपुर	१०
४.	भरतपुर डिवीजन	८
५.	अलवर डिवीजन	६
६.	सिटी डिवीजन जोधपुर	६
७.	डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जोधपुर	११
८.	सिटी डिवीजन बीकानेर	४
९.	डिस्ट्रिक्ट डिवीजन बीकानेर	३
१०.	उदयपुर डिवीजन	११
११.	नेशनल हाई वे डिवीजन उदयपुर	
१२.	भीलवाड़ा डिवीजन	१०
	कुल	९९

(३) उपरोक्त रोलर्स में ७९ वर्किंग ऑर्डर में हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितने में से वर्किंग ऑर्डर में हैं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—६६।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मुझे पहले सवाल पूछ लेने दीजिये, फिर आप तकलीफ कीजियेगा जवाब देने की। मैं यह पूछना चाहता था कि ये रोड-रोलर्स भूतपूर्व राजस्थान द्वारा दिये गये थे उनका क्या राजस्थान बनने के बाद वितरण किया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—कुछ पुराने राजस्थान से आये हुए रोलर्स हैं और कुछ राजस्थान ने दिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उनकी तादाद बतायी जा रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी हां। ६६ में से करीब २० रोलर्स पुराने हैं और बाकी के सब यहां से दिये गये।

राज श्री हिम्मतसिंह—ये रोलर्स काफी हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—काम के लिहाज से तो कम हैं। इसलिये नये के लिए ऑर्डर्स प्लेसकर दिये गये हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—ऐसी तो कहीं संभावना नहीं है कि कोटा में १६ हैं इसलिए वहां से मंगा लिये जावेंगे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—ऐसा नहीं है।

(हंसी)

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—उदयपुर में तीस रोलर क्यों रखे गये ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—उदयपुर में आप तीस गलत फरमा रहे हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--जैसा कि उतर में आपने फरमाया ११ एक हैं और १० और हैं; इस तरह से कितने हुए ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—एक तो स्टेट डिवीजन के हैं और दूसरे नेशनल हाई वे डिवीजन के हैं। दो डिफ्रेन्ट डिवीजन के है।

श्री जवानसिंह—प्लानिंग विभाग के जो रोलर्स हैं क्या वे प्लान्स को प्रेस करने के काम आते हैं ?

प्रश्न संख्या २५६.

भाला रावल द्वारा चेतन आसन जागीर त. देवगढ़ की सम्पत्ति बेच देना इत्यादि

श्री संग्रामसिंह—Will the Home Minister please reply:—

(a) Is it a fact that one Bhola Rawal got possession of the Chetan Assan Jagir (Tehsil Deogarh), received percentage from the Government and sold all the properties of the Jagir ?

(b) Is this case under investigation ?

(c) What is the cause of delay in the matter?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रश्न संख्या २५२ और २५६ एक ही सरीखे हैं और एक ही सदस्य द्वारा पूछे गये हैं इसलिये इस प्रश्न का वही उत्तर है।

यह सही नहीं है कि यह मामला १२ मास से जेर तफ्तीश है। जिलाधीश उदयपुर द्वारा जांच कर लेने के बाद भारतीय दन्ड विधान की धारा ४२० के अन्तर्गत एक मुकदमा थाना देवगढ़ में ता. २. ४. ५५ को दर्ज किया। मामले की तफ्तीश करने में देरी हुई जिसका कारण यह था कि देवगढ़ थाने के अध्यक्ष डाकू विरोधी कार्यवाही में लगे हुए थे। मामले की तफ्तीश पूरी हो चुकी है, केवल एस० डी० एम० और तहसीलदार के बयान लेना बाकी है। इन दोनों व्यक्तियों के बयान लेने तथा तफ्तीश शीघ्र पूरी करने के लिये अध्यक्ष थाने को आज्ञा दे दी गई है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं

श्री रामकिशोर व्यास—सारे सवाल का उत्तर इसी में आ गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो जवाब आपने दिया उसका ताल्लुक तो इस प्रश्न से नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास—ऐसा कहिये कि जवाब कुछ ज्यादा मिल गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि भोला रावल का रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा चेतन आसन की जागीर पर कब्जा कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आप रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से दर्याफ्त फरमायें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—केश्चन में साफ है, आपने जवाब किसका दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैंने यह निवेदन किया कि इस मामले की तफतीश पूरी हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि इस मामले की जब तफतीश हुई तब इसमें यह जिक्र आया क्या कि रेवेन्यू मिनिस्टर के ऑर्डर्स से इस जागीर के ऊपर कब्जा करया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास—आपने पूछा था, मैंने अर्ज कर दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न यहा था, " is it a fact..............."

श्री रामकिशोर व्यास—तफतीश हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—Is it a fact that one Bhola Rawal got possession of the Chetan Assan Jagir (Tehsil Deogarh), received percentage from the Government and sold all the properties of the Jagir ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसी वजह से तो केस बना। ४२० का केस बना इसी वजह से।

कु. श्री जसवन्तसिंह—४२० का केस बना, यह दूसरा सवाल है। पोजीटिव सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या यह फेक्ट है; इसका जवाब दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—केस की तफतीश हो चुकी है किन्तु ४२० के अन्दर चालान अभी तक नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन भोला रावल को चेतन आसन की जागीर के ऊपर अधिकार दिलाया गया या नहीं, परसेन्टेज हासिल की या नहीं, प्रोपरटी बेची या नहीं; इसका जवाब दीजिये ?

श्री रामकिशोर व्यास—इन्होंने प्रॉपर्टी बेची, इसी वजह से तो इनके खिलाफ केस बना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर इनको प्रोपर्टी मिली तो किनके हुक्म से मिली ?

श्री रामकिशोर व्यास—प्रोपर्टी बेची थी, पुलिस ने वह रिकवर की।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनको किसके हुक्म से यह प्रोपर्टी हासिल हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग से पूछिये।

कुं० जसवन्तसिंह—जिस पार्टी द्वारा कब्जा किया गया, क्या वह सरकारी हुक्म से किया गया ?

श्री अध्यक्ष—But then it is a sub-judice case.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It has not been challaned.

श्री अध्यक्ष—Any way it will be challaned in the court.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Whether it is challaned or not, the information is not available.

श्री अध्यक्ष—It will be challaned in the Court.

श्री हरिकृष्ण व्यास—As yet it has not been challaned and who knows whether it will be challaned at all.

प्रश्न संख्या २५७

नावां नगरपालिका को ऋण एवं नगरपालिकाओं को पट्टा लीज देने सम्बन्धी शासकीय योजनायें

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नावां नगरपालिका को कितना कर्ज दिया जाना निश्चित हुआ है और वह कब तक दे दिया जावेगा ?

(ख) क्या नगरपालिकाओं को पट्टा लीज देने का सरकार विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) नावां नगरपालिका को अभी तक कोई भी कर्जा दिया जाना निश्चित नहीं हुआ है। नावां नगरपालिका ने इस वर्ष कर्मचारियों को वेतन चुकाने हेतु ७०००रु० कर्ज की मांग की, लेकिन उनका १९५५-५६ का बजट सन्तुलित होने के कारण अध्यक्ष नगरपालिका से पूछा गया है कि कर्ज क्यों चाहा गया है। उत्तर आने पर कर्ज देने के विषय पर विचार किया जावेगा।

(ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या २५८

सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के विकास हेतु राजकीय सहायता

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या सरकार ने नगरपालिकाओं को विकास कार्य के लिये किसी प्रकार की राजकीय सहायता देना तय किया है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन नगरपालिकाओं को और कितनी सहायता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) सरकार से जो भी सहायता दी जाती है इसी इरादे से कि विकास कार्यों के लिये खर्च की जावे।

(ख) तालिका मेज पर रख दी गई है।

(उत्तर अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजा गया)

प्रश्न संख्या २५६

गंगानगर में कृषि कॉलेज खोलने के आश्वासन को पूरा करने सन्बन्धी

(श्री गुरदयालसिंह की अनुपस्थिति में यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कु० श्री जसवन्तसिंह ने पूछा)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने गंगानगर में कृषि कॉलेज खोलने का वायदा किया था ?

(ख) यदि हां, तो इस वायदे को कब तक पूरा किया जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह समझा जाय कि कभी ऐसा सवाल उठा ही नहीं कि गंगानगर में कृषि कॉलेज खोला जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या—क्यों नहीं, वहां कृषि और सिंचाई की बड़ी अच्छी गुन्जाइश है, विचार आया और आगे के लिए विचार चल रहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैंने यह सवाल पूछा था, क्या कभी गंगानगर में कृषि कॉलेज खोलने के लिए विचार उठा या नहीं, वादा किया गया या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वादा करने का फरमाया, वादा नहीं किया गया। विचाराधीन जरूर रहा है। वैसे वह कृषि के लिए बहुत उपयोगी स्थान है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो उस मामले की क्या पोजीशन है?

श्री भोगीलाल पंड्या—मामला विचाराधीन चल रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो यह मामला कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह मैं नहीं कह सकता।

श्री मोतीराम—क्या वहां कृषि कॉलेज खोलना जरूरी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—आवश्यकता रखता है।

प्रश्न संख्या २६०

धौलपुर डिवीजन में माइनर इरीगेशन कार्यों की स्वीकृति

श्री हंस राज जटिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

धौलपुर सब डिवीज़न में सरकार द्वारा माइनर इर्रिगेशन में कितने कामों की स्वीकृति दी गई है और कहां कहां के लिए दी गई है? अगर कोई स्वीकृति नहीं दी गई है तो इसका क्या कारण है?

श्री भोगीलाल पंड्या—धौलपुर सेक्शन में निम्नलिखित काम के निर्माण करने की स्वीकृति माइनर इर्रिगेशन कामों में सरकार द्वारा हो चुकी है।

बारीपुर बन्धः—इस पर काम जारी है।

निम्नलिखित कामों पर सर्वे करने के पश्चात सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्माण करने की स्वीकृति ली जानी है :—

कुकपुर राताखाल—सर्वे हो रही है।

शेखपुर—सर्वे हो चुकी है। योजना विचाराधीन है।

श्री हंसराज जटिया—अन्दाज से इसमें कितना रुपया खर्च किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २६१

गंगापुर (जयपुर) पुलिस चौकी के सिपाहियों के लिए निवास की व्यवस्था

श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गंगापुर (जयपुर) पुलिस चौकी के सिपाहियों के रहने के लिए क्वार्टर नहीं हैं ?

(ख) क्या वहां क्वार्टर बनाने पर विचार किया जा रहा है ?

(ग) वे क्वार्टर कब तक बनाये जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—(क) कृषि विभाग के अधीनस्थ गंगापुर में एक मकान है । उसके कुछ भाग में पुलिस चौकी है । वहीं सिपाही रहते भी है ।

(ख) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ग) सिपाहियों के लिए क्वार्टर बनाने का तो कोई विचार नहीं है, किन्तु चौकी में जगह कम होने के कारण इसी मकान में कुछ और हिस्सा लेने के प्रयत्न जारी हैं ।

(घ) जी हां, अवश्य ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या वह मकान काफी है ?

श्री रामकिशोर व्यास—वह मकान बड़ा मकान है, उसमें कृषि विभाग का कार्यालय भी है । पुलिस के लिए कम है, इसलिए कृषि विभाग से कुछ हिस्सा और लेने के विषय में सोच रहे हैं ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—जब वहां पर्याप्त स्थान नहीं है तो वहां पुलिस के लोग कैसे रहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—ज्यादा कम्फर्टेबल तो नहीं है किन्तु काम तो चल सकता है।

प्रश्न संख्या २६२

सन् १९५४-५५ में जलाशयों के लिये दी गई रकम में से नागौर जिले की विभिन्न तहसीलों में व्यय

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५४-५५ में ग्राम पंचायत विभाग द्वारा जलाशयों के लिए जो रकम दी गई थी उसमें से नागौर जिले में कितनी कितनी रकम किस किस तहसील में खर्च की गई ?

(ख) क्या उक्त रकम में से नावां तहसील को हिस्से के अनुसार कम रकम मिली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) नागौर जिले में १९५४-५५ में निम्न तहसीलों को जलाशय हेतु रकम दी गई :—

नावां	२५,४००
मेड़ता	३५,७००
नागौर	२५,४००

ये रकमें प्रति मांग की आवश्यकता पर स्वीकार की गईं ।

(ग) तहसील के आधार पर नहीं दी जातीं ।

प्रश्न संख्या २६३

धौलपुर सब डिवीजन में आबपाशी पेट्रोलों को आठ माह के शेष वेतन का भुगतान

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि धौलपुर सब डिविज़न के आबपाशी पेट्रोलों को करीब ८ माह से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो वेतन मिलने में इतनी देरी होने का क्या कारण है ? यदि उनको वेतन मिल चुका है तो कब मिला ?

(ख) यदि वास्तव में वेतन उनको विलम्ब से मिला है तो इस विलम्ब के जिम्मेवार कौन है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) और (ख) हां, यह सत्य है। इन पेट्रोलों की मन्जूरी शुरू में सड़क व मकान निर्माण विभाग में हुई थी। बाद में ये सिंचाई विभाग में ले लिये गये। यह मामला सरकार के विचाराधीन रहा है, अब मन्जूरी दे दी गई है और आशा है कि वेतन मिल गया होगा या मिलने वाला है।

श्री हंसराज जटिया—३-१०-५५ तक को मिला नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंडया—मन्जूर हो गया है; या तो मिल गया होगा या मिलने वाला ही होगा, बहुत जल्दी मिल जायगा।

प्रश्न संख्या २६४

अराई से सरवाड़ तक बनने वाली सड़क में आई हुई भूमि का किसानों को मुआवजा

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अराई से सरवाड़ तक बनने वाली सड़क में कितने किसानों की कितने बीघा भूमि पर सरकार द्वारा कब्जा किया गया ?

(२) क्या उक्त भूमि को सरकार द्वारा एक्वायर किया गया ?

(३) क्या उक्त भूमि का किसानों को मुआवजा दिया गया है ?

(४) यदि हां, तो किस किस किसान को कितना कितना मुआवजा दिया गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—(१) अराई से सरवाड़ तक बनने वाली सड़क में जिन गांवों में कार्य शुरू हुआ है उनमें निम्नलिखित किसानों की भूमि ली जावेगी :

	किसान संख्या	बीघा	बिस्वा
अराई	३	८	१३
लाम्बा	२३	६	१२
आकोड़िया	१६	२०	२
जोरावरपुरा	७	८	१४
इन्द्रगढ़	११	६	१५
फतहगढ़	६	७	३
सरवाड़	१६	१६	१४
	८८	८०	१३

[श्री शाह अलीमुद्दीन]

(२) एक्वायर किया जा रहा है ।

(३) एक्वायर किये जाने पर मुआवजा दिया जायगा ।

(४) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ८० बीघा १३ बिस्वा जमीन बताई गई है उस पर सरकार ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)—सड़क बनाने का काम तो मार्च में शुरू कर दिया गया था ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बिना एक्वायर किए ही उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जो किसानों का रकबा है उन पर काम अभी नहीं हुआ है । उसमें पजेशन की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न संख्या २६५

नावां तहसील में सन् १९५५-५६ में खोले गये राजकीय औषधालय

श्री किशनलाल शाह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नावां तहसील में सन् १९५५-५६ में राजकीय औषधालय कितने और कहां कहां खोले जावेंगे ?

(ख) जीजोट (तहसील नावां) का औषधालय सरकार कब तक अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) सन् १९५५-५६ में नावां तहसील में कोई औषधालय खोलने का विचार नहीं है ।

(ख) इस बारे में सरकार के पास कोई आवेदन पत्र नहीं आया है ।

प्रश्न संख्या २६६

मत्स्य राज्य के स्थापन काल में तहसील बाड़ी (धौलपुर) में महिला औषधालय की स्वीकृति

श्री हंसराज जटिया – क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें :

(क) क्या यह सत्य है कि मत्स्य राज्य के स्थापन काल में तहसील बाड़ी (धौलपुर) सब डिविज़न में जनाने अस्पताल की स्वीकृति हो चुकी थी और लेडी डॉक्टर मय नर्स की नियुक्ति की आज्ञा भी प्रदान हो चुकी थी ?

(ख) यदि हां, तो अब तक उपरोक्त विषय पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--(क) जी हां, बाड़ी में मत्स्य राज्य द्वारा एक लेडी डॉक्टर के स्थान की स्वीकृति हुई थी, पर लेडी डॉक्टर के उपलब्ध न होने से उक्त स्थान मत्स्य राज्य द्वारा ही समाप्त कर दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या २६७

सन् १९५४-५५ में गंगापुर व हिण्डौन सब डिविजन में तालाबों व नहरों से की गई सिंचाई से आय

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल—क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगापुर व हिण्डौन सब डिविज़न में सन् १९५४-५५ में किस किस तालाब व नहर की सिंचाई से कितनी कितनी आमदनी हुई ?

(ख) कौन कौन से नए तालाब व नहरें इस वर्ष बनाये गये ?

(ग) किन किन की मरम्मत हुई और उन पर क्या क्या खर्च हुआ ?

(घ) कितने बांध व तालाब १५ सितम्बर, १९५५ तक फूट गये हैं और क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) गंगापुर व हिंडौन सब डिविज़न में ५४-५५ में सिंचाई से जो आमदनी हुई वह इस प्रकार से है; लेवनवाला बन्ध से १२०८ रुपया ३ आना, नवाबाला बन्ध से २७२ रुपया १० आना, इस तरह कुल २२ बन्धों से २५,२३८ रुपया ६ आना। होता है और हिन्डोन सब डिविज़न के १४ तालाबों पर कुल ८१५७ रुपया १ आना ६ पाई की आमदनी हुई।

(ख) इस वर्ष कोई भी नये तालाब व नहरें नहीं बनाई गईं।

(ग) जिन जिन बन्धों की मरम्मत हुई व खर्चा हुआ उसका विवरण इस प्रकार है:— कोट बन्ध ८३३६ रुपया :

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

एक सदस्य—आप टोटल बता दीजिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—टोटल है नहीं, सब का अलग अलग लिखा है और फिर ये कुल १५ तो हैं ही।

श्री अध्यक्ष—आप तो आगे चलिए।

श्री भोगीलाल पंड्या—(घ) इस वर्ष कोई बन्ध व तालाब नहीं फूटा। पिछले वर्ष के टूटे-फूटे हुए तालाबों की मरम्मत व खर्चे का जिक्र प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में आ गया है।

श्री अध्यक्ष—कॉपी दे दीजिएगा। नेक्स्ट, श्री संग्राम सिंह।

प्रश्न संख्या २६८

म्युनिसिपल बोर्ड, देवगढ़ में अनियमिततायें

श्री संग्रामसिंह—(वि० सं० १३४) Will the Minister for Local Self-Government reply :—

(a) Is it a fact that there is a deadlock in the Municipal Board Deogarh for the last two months and five members have resigned simultaneously due to the irregularities on the part of two newly elected members and the Secretary, Municipal Board, Deogarh ?

[श्री संग्रामसिंह]

(b) Have some of the members who have resigned demanded an impartial enquiry in the matter ?

(c) What action has been taken in the matter so far ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(a) There is some trouble among the members of the Municipal Board, Deogarh, which is being looked into.

(b) Yes.

(c) The complaint is being enquired into and a report is awaited.

प्रश्न संख्या २६१

जयपुर से गंगापुर एवं दौसा से गंगापुर तक इस समय चलने वाली सवारी मोटरगाड़ियां

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल—क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर से गंगापुर व दौसा से गंगापुर तक इस समय कितनी मोटरें चालू हैं वे कौन से मोडल की हैं ?

(ख) क्या कभी यातायात विभाग ने उनकी हालत पर ध्यान दिया है ? यदि हां, तो कब कब ?

(ग) क्या वे नियमानुसार हैं ?

(घ) क्या ये पुराने मोडल की गाड़िया ठीक समय पर सवारियों को पहुँचाती हैं ?

(ट) क्या समय की पाबन्दी व उनकी हालत सुधारने के लिए कदम उठाया जावेगा ? यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जयपुर से गंगापुर २० गाड़ियां व दौसा से गंगापुर ११ गाड़ियां इस समय चल रही हैं। इन गाड़ियों में से जयपुर गंगापुर मार्ग पर ६ गाड़ी १९५३, ३ गाड़ी १९५२, ५ गाड़ी १९५०, २ गाड़ी १९४६, १ गाड़ी १९४८, १ गाड़ी १९४२ ४१ मोडल्स की हैं

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

और दौसा से गंगापुर मार्ग पर १ गाड़ी १६५३, ३ गाड़ी १६५०, १ गाड़ी १६४६, १ गाड़ी १६४८ २ गाड़ी १६४४, २ गाड़ी १६३८ व १ गाड़ी १६३७ मोडल की चल रही हैं।

(ख) हर गाड़ी का एक वर्ष में दो दफा मैकेनिकल इन्सपेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा फिटनेस सर्टीफिकेट दिया जाता है। जैसे जैसे प्रत्येक गाड़ी का फिटनेस समाप्त होता जाता है उसी प्रकार समय समय पर निरीक्षण होता रहता है और फिटनेस प्राप्त किया जाता है।

(ग) हां।

(घ) अभी तक किसी पुरानी बस के समय पर न पहुँचने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ट) हर गाड़ी का समय अपने स्थान से चलने अथवा पहुँचने का निर्धारित किया जा चुका है,

(प्रश्न संख्या २७०, २७१ व २७२ नहीं लिए गए)

प्रश्न संख्या २७३

राजस्थान जिला बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री खेतसिंह—प्रश्न संख्या २७३।

एक सदस्य—प्रश्न २७० है आगे साहब।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Question No. 273 is more important.

एक माननीय सदस्य—२७० भी इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—२७३ का जबाब दीजिए।

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो कायम होने वाले थे अब कायम नहीं किये जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(ख) क्या सरकार की नीति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम करने की है? यदि हां, तो विलम्ब क्यों किया जा रहा है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मामला विचाराधीन है तो जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको स्थगित करने का कोई आदेश दे दिया गया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब तक यह मामला विचाराधीन हैं तब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन को पोस्टपोन करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार इस मामले में कब तक फाइनल डिसीजन ले लेगी ?

श्री अध्यक्ष—Order ! The member tabling the question has a priot right to put supplementaries.

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी इम्पोर्टेन्ट बात है।

श्री खेतसिंह—जब डिस्क्टिट बोर्ड का कानून विधान सभा से पास हो चुका है तो फिर विचाराधीन होने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस पर एक मथाई टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आई है और उसके बेसिस पर हम इस मामले पर रिकन्सीडरेशन कर रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रहने चाहिये या नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार कब तक अपना निर्णय दे देगी इस पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—बहुत जल्दी दे देगी। अभी हमने ६ महीने की मियाद बढ़ाई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के यह ध्यान में है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन के नोटिसेज़ इश्यू हो रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिए मना कर दिया जावेगा ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह मथाई टेक्सेशन रिपोर्ट के मुतल्लिक जो बात कही गई उसका क्या यह आशय है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जो यहां से पास हो चुका है उसको सरकार अमेन्ड करने की कार्यवाही करेगी या नहीं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया है कि उस रिपोर्ट के बेसिस पर जो निर्णय सरकार लेगी, उस पर फिर जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह जरूर की जावेगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह--मेरा सवाल यह है कि मथाई टैक्सेशन कमेटी का जो आपने जिक्र किया उससे पहले आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट को अमेन्ड करेंगे या इस क्वेश्चन में जो मुद्दे उठाये गये हैं उसकी कार्यवाही करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सरकार यह कन्सीडर कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रहने चाहिये या नहीं। अगर रहने चाहिए तब तो इसका कानून हमारे पास है ही, उसके अनुसार हम काम करेंगे और अगर नहीं रखना, ऐसा निर्णय अगर सरकार करती है तो फिर इस कानून को रिपील कराना पड़ेगा ; तो यह बिल्कुल क्लीयर पोजीशन है।

श्री खेतसिंह—क्या इसमें विधान सभा की भी राय ली जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कानून तो बनने के लिए व उसमें हेर-फेर के लिए यहीं आवेगा।

श्री खेतसिंह—मथाई रिपोर्ट का जो जिक्र किया गया तो क्या इस पर विधान सभा से भी राय ली जावेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके बनिस्पत तो सरकार इस पर स्वयं पहले विचार करेगी और अगर जरूरी समझेगी कानून में हेर-फेर करने की बात या रिपील करने की बात तो वह फिर यहीं आवेगा और फाइनल तय तो यहीं होगा।

श्री खेतसिंह—क्या इस सम्बन्ध में सरकार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी कोई राय ले रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है और आगे अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की राय लेने की जरूरत पड़ेगी तो ले ली जावेगी ; अभी तो कोई सवाल नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन का कोई नोट सरकार के पास आ चुका है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरे ध्यान में नहीं है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, let us take up 270 now.

श्री अध्यक्ष—Let us take up legislative work.

श्री श्रीदास गोयल—दो चार सवाल और रह गये हैं साहब।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था। माननीय अध्यक्ष वह आज ले लिया जावे।

श्री अध्यक्ष—That is subject to enquiry by the office.

श्री हरिकृष्ण व्यास— तो इसको कब लिया जावेगा !

श्री अध्यक्ष—When the secrutiny will be complete.

श्री हरिकृष्ण व्यास—तब तक और भी वैसा ही प्रश्न आ गया तो ?

श्री अध्यक्ष—Order !

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्रीमती यशोदा देवी ने १ अक्टूबर, १९५५ से ८ अक्टूबर, ५५ तक के लिए विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—The Rajasthan Land Revenue Bill is under consideration. Clause 9.

श्री चांदमल मेहता—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन क्लॉज़ ९ को इस बिल में से निकालने के सम्बन्ध में है। क्लॉज़ ९ इस प्रकार है:–

"The State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, direct that any Commissioner appointed under section 22 or any Settlement Officer appointed under section 33, shall also be an additional member of the Board for such purposes as may be prescribed in the notification."

[श्री चांदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के मुताबिक सरकार अपने हाथ में यह अधिकार रखना चाहती है कि किन्हीं मामलों में अगर सरकार मुनासिब समझती है कि कमिश्नर या सेटिलमेन्ट कमिश्नर को बोर्ड के मेम्बरों के साथ एडीशनल लगाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ५ और क्लॉज़ ८ पर जो वाद-विवाद हुआ उसमें आम तौर से उस पर सभी सदस्यों ने यह भावना व्यक्त की है कि यह बोर्ड जो है इन्डिपेन्डेन्ट हो, आजाद हो और उसके ऊपर किसी तरह का प्रभाव या दबाव हुकूमत का नहीं हो। इस क्लॉज़ के मुताबिक सरकार इसके ऊपर इस बात का प्रभाव रखना चाहती है कि यदि किसी मामले में उसे कोई काम कराना है बोर्ड से और उस काम के कराने के निमित्त यदि आवश्यक हो तो वह अपने किन्हीं ऐसे आदमियों को और एडीश्नल मेम्बर मुकर्रर कर दे कि जिनके जरिये से सरकार को अपनी मनचाही करने की आजादी मिल सके। तो जिस तरह इस अदालत को बिलकुल आजाद रखने की बात है उस अदालत में इस तरह के अतिरिक्त मेम्बर मुकर्रर करने से एक तरह से उसकी आजादी में खलल होगा।

दूसरी बात, जहां तक कि इसमें किसी कमिश्नर और सेटलमेन्ट कमिश्नर को रखने की बात है, मैं यह निवेदन करूंगा कि कमिश्नर और सेटिलमेन्ट कमिश्नर बोर्ड के मातहत होते हैं और बोर्ड के मातहत सदस्यों को बराबर का दर्जा देकर उस बोर्ड के सदस्यों के साथ बिटाने से एक तरह से बोर्ड के सदस्यों की तोहीन करना ही है। इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करूंगा कि जो क्लॉज़ ६ इस बिल से रखा गया है उस क्लॉज़ को निकाल दिया जाय।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह जो धारा ६ है उस पर बहस हो रही है और मेरे माननीय मित्र परबतसर से आये हुये ने संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह क्लॉजेज़ ६ और ८ और ५ सब करीब करीब सम्बन्धित हैं। इस पर बहुत कुछ बहस पिछले दो दिनों से हो रही है और जो विचार व्यक्ति इस सदन में किए गए हैं वही लागू क्लॉज़ ६ पर भी होते हैं। तो जो स्तर हमारे रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों का इस वक्त है और जो इस बिल में आगे के लिये सोचा जा रहा है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस सदन में करीब करीब सब कोनों से सिवाय उन माननीय सदस्यों के जो कि अन्ध विश्वास से सरकार का समर्थन करते हैं बाकी सब ओर के दृष्टिकोणों से यह सदन में साबित कर दिया गया है कि जैसा ढांचा रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों का इस बिल में दिया है वह बहुत हानिकारक है, और राजस्थान की जनता को उसके न्याय मिलने वाला नहीं है। यह जो क्लॉज़ ६ रखा गया है उसमें भी यह पहलू लागू होता है। अगर एडिश्नल मेम्बर्स, कमिश्नर या सेटिलमेन्ट कमिश्नर या एडिशनल सेटिलमेन्ट कमिश्नर आदि रखे जायेंगे तो मैं नम्रता के साथ इस सदन से निवेदन करूंगा कि न्याय का स्तर बहुत गिर जायगा। ऐसे ही स्तर बहुत गिरा हुआ है और यह प्रोवीज़न अगर आगया तो हमें तो बिल्कुल इस बात का कोई सन्देह ही नहीं है कि पोलीटिकल रीज़न्स से, राजनैतिक कारणों से ऐसी स्थिति आ जायेगी कि जो काम कराना चाहेगी सरकार वह उसको करना पड़ेगा। उनके लिए अनिवार्य हो जायगा। सरकार का हुक्म नहीं मानेंगे, दूसरे बड़े

Page No.49

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

अफसरों को हानि हो सकती है। मैं नहीं समझ सका कि सेटिलमेन्ट कमिश्नर, दूसरे मामूली डिवीजनल कमिश्नर इस बोर्ड में बैठकर क्या करेंगे ? हम लोगों का यह आग्रह है और हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस बोर्ड में विशेषज्ञ हों और ऐसे अफसर हों जिनको वापिस नौकरी में आने के लिये या राजस्थान सरकार के अन्य दूसरे किसी कार्य में आने के लिये कोई सवाल ही नहीं रह जाता है, और उनको इस काम के बाद में रिटायर होना पड़ता है और ऐसे अफसर और विशेषज्ञ जो सेटिलमेन्ट के काम को जानते हैं, कानून के काम को जानते हैं और हर प्रकार से, हर तरह से इस काम से भलीभांति परिचित हैं तो फिर एडीशनल मेम्बर्स के रखने की बात का तात्पर्य बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर किसी कारण से, ज्यादा काम की वजह से, कुछ लोकल कन्डीशन्स की वजह से और ज्यादा मेम्बरों की आवश्यकता है तो यह सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि राजस्थान की जनता को पूरा न्याय मिले और ऐसे ही दूसरे अफसर रेवेन्यू बोर्ड में नियुक्त करें, लेकिन यह जो मौजूदा प्रोवीजन रखा गया है वह बहुत खतरनाक है, हानिकारक है और राजस्थान की जनता को उससे न्याय की आशा नहीं मिलने वाली है। इस वजह से मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—(श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री से) इसका जवाब आप कन्क्लुजिव देना चाहेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I do not want to defer it.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने क्लॉज़ ८ पर, जो परबतसर से आये हुये मेरे मित्र ने संशोधन रखा है वह बहुत ही उपयुक्त है। अगर सरकार के हाथ में रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर मेम्बर को कोऑप्ट करने का पॉवर देने का अधिकार हम दे देते हैं तो इसमें जो क्लॉज़ ५ और क्लॉज़ ८ को हमने डेफर किया है उसका जो कुछ अर्थ है, उसके पीछे जो भावना छुपी हुई है, उस भावना का कतई खन्डन हो जाता है, क्योंकि जो भी मेम्बर आयेगा इसके अन्दर सरकार अपना कोई काम कराना चाहेगी तो किसी सेटिलमेन्ट कमिश्नर, एडीशनल सेटिलमेन्ट कमिश्नर, कमिश्नर या एडीशनल कमिश्नर को उसके अन्दर बिठा देंगे और उनसे जिस प्रकार जो कुछ कराना चाहते हैं करा लेंगे। इसके अलावा हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि सरकार इसको एड करने पर सिवाय इसके कि यह कहा जाय कि इसमें विशेषज्ञों को कोई मौके पर राय देने के लिये भेजना चाहते हैं और कोई अर्थ नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड के जो मेम्बर्स होते हैं वे जो भी रेवेन्यू बोर्ड मुताल्लिक काम होते हैं वे उसमें उतने ही माहिर होते हैं जितने कि सरकार के ये आने वाले विशेषज्ञ होते हैं। इस सूरत के अन्दर यह कहना सरासर गलत है कि विशेषज्ञों की राय के लिए हमें इस प्रकार के एडीशनल मेम्बर्स भेजने का अख्तयार होना

[श्री मानसिंह महार]

चाहिये। आज के वर्तमान युग के रेवेन्यू बोर्ड में भी इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। इस बोर्ड के अन्दर भी इस प्रकार के एडीशनल मेम्बर भेजने का कोई प्रोविजन नहीं है, न आज तक किसी को भेजा गया है और न अब भेजे जाने की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन फिर भी मैं यह समझता हूँ कि यह जो क्लॉज है बहुत खतरनाक है। इस क्लॉज को रखने से जो हम रेवेन्यू बोर्ड को आज़ाद रखने के सिद्धान्त को मानते हैं इससे उसको खत्म कर दिया जायगा। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के सदस्यों से और खास करके राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्व विभाग की तरफ से इस प्रकार की कोई चीज आई है, जैसा कि मैंने परसों कहा था पुराने राजशाही के जमाने के आदमियों का दिमाग ही ऐसा हो सकता है लेकिन आज के प्रजातन्त्र के युग में किसी भी सरकार को ओर से ऐसे ओवर-राइडिंग पॉवर्स देना जिससे कि किसी को खत्म कर दे, उचित नहीं समझता। इसलिये आज के युग में सरकार को जहां तक हो अपने हाथ पांव बचाकर चलना चाहिये, सरकार के किसी आदमी को आर्डर करने की गुंजायश नहीं देनी चाहिये। इस प्रकार के जो प्रोविजन्स हैं उनको डेफर करने का प्रश्न क्या है उनको तो यही मंजूर करना चाहिये। यह ऐसा उचित प्रस्ताव है कि इस धारा की जो अन-नेसेसरी एडिशन है उसको हटाना चाहिये। यदि इस क्लॉज़ को नहीं हटाया जायगा तो लैण्ड रेवेन्यू बिल जिस मकसद से ड्राफ्ट किया गया है और जिस मकसद से हम उसे पास करना चाहते हैं वह रद्द हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जो न्यायोचित मांग है उस पर ध्यान देकर इस क्लॉज को डिलीट करने की स्वीकृति प्रदान करे।

श्री भैरूसिंह (वि० संख्या १६)—अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष—आप फिर बोलेंगे ?.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—और भी बोलने वाले हैं साहब।

श्री अध्यक्ष—एक ही आदमी बार बार बोलेंगे ?

श्री भैरूसिंह—मेरा एक अमेन्डमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—Amendment cannot be moved. A similar amendment has been moved and the Hon'ble Member can support it.

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—मैं समर्थन कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज ६ के विषय में, इसको लोप करने के विषय में मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था लेकिन किशनगढ़ के माननीय सदस्य ने एक ऐसा ही संशोधन सदन में पेश किया है इसलिये मैं पहले उस संशोधन का समर्थन करना वाजिब समझूंगा।

[श्री भैरूंसिंह]

अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ सरकार के मनोभावों को व्यक्त करने वाला क्लॉज़ है। सरकार को जैसे पहले से ही कोई चीज दिखाई दे रही है कि रेवेन्यू बोर्ड के एस्टेब्लिशमेन्ट के बारे में सदन में काफी चर्चा होगी और सदन के अधिकांश माननीय सदस्य इस बात पर जोर देंगे कि अब इस बोर्ड को, जिस पर सरकार का अब तक आधिपत्य रहा है उसे न रख कर, एक इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड के तौर पर बनाया जाय। सरकार ने ऐसा सोचा कि जब सदन के अधिकांश लोगों का बहुमत इस बात की ओर होगा तो सरकार ने एक राय पहले से बनाली कि यदि सदन में जोर होने के कारण इस प्रकार का क्लॉज़ आगे नहीं रहा तो रेवेन्यू बोर्ड पर किस प्रकार अधिकार रखना, इसका प्रबन्ध रहना चाहिये और यही क्लॉज़ इस प्रकार का प्रबन्ध सरकार की तरफ से है। मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड के विषय में जो चर्चायें हुई हैं उनके आधार पर रेवेन्यू बोर्ड को सरकार से इन्डिपेन्डेन्ट बनाना होगा। यदि वह इन्डिपेन्डेन्ट होगा तो सरकार का उस पर आधिपत्य नहीं रहेगा। तो किस प्रकार रेवेन्यू बोर्ड पर इन्फ्लुएन्स रखा जाय, किस प्रकार उस पर दखल किया जाय, इसके लिये यह क्लॉज़ बना दी कि जब सरकार आवश्यक समझे कि कभी कोई काम करना है अपनी इच्छा रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों को व्यक्त करनी है और कागजों के जरिये, टेलीफोन के जरिये, अपने दबाव के जरिये कोई मार्ग प्रशस्त न हो तो एक मार्ग बता दिया कि फलां काम के लिये यह आवश्यक है कि सेटिलमेन्ट के काम के लिये सैटिलमेन्ट कमिश्नर को या जयपुर के कमिश्नर को या और किसी को एडीशनल मेम्बर को नियुक्त कर दिया जाय। उसका मतलब वह होगा कि एडीशनल सैटलमेन्ट कमिश्नर या कमिश्नर जो कि एग्ज़ीक्युटिव में काम करने वाले हैं और उन पर सरकार का आधिपत्य रहता ही है उनसे सरकार जैसा चाहेगी वैसा करा लेगी। तो फिर हम किस प्रकार न्याय की उम्मेद करें ! रेवेन्यू बोर्ड का एडीशनल मेम्बर जिनकी नियुक्ति करना, तरक्की करना, हटाया जाना, तबादला करना आदि सारी बातें सरकार के हाथ में है तो हम उनसे किस प्रकार उम्मीद करेंगे कि रेवेन्यू बोर्ड में वे इन्डिपेन्डेन्टली अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन कमिश्नरों पर जिन पर कि एग्ज़ीक्युटिव का पूरी तरह से अधिकार है और उनसे चाहे जसा काम एग्ज़ीक्युटिव करा सकती है, उनको यहां नहीं रखना चाहिये। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि जिन कमिश्नरों को आप एडीशनल मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड नियुक्त करना चाहते हैं उनका स्तर कैसा है और वे किसी तरह से किसी के दबाव में आकर काम कर बैठते हैं। जैसा कि कल व्यक्त किया गया था जयपुर शहर के आस-पास १० माइल के रेडियस में काश्त के लिये जमीन देने के बारे में सरकार का कानून बना हुआ है। उन नियमों में बताया है कि जयपुर शहर के आस-पास १० मील के अन्दर १५ बीघा तक जमीन एक आदमी को किस तरह दी जा सकती है। अब मैं बताऊंगा कि कमिश्नर ने किस तरह दबाव में आकर १५ बीघा जमीन देने के बजाय २३३ बीघा जमीन एक ही आदमी को दे दी।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि जो सेक्शन अन्डर डिस्कशन है उसी से रिलेवेन्ट बात कही जाय तो अच्छा हो।

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—कमिश्नर्स को रेवेन्यू बोर्ड का एडीशनल मेम्बर बनाने का सवाल है। मुझे यह बताना होगा कि इन कमिश्नर्स का स्टेटस क्या है, कार्यकाल क्या है, किस प्रकार सरकार का उन पर आधिपत्य है; आदि जब तक ये चीजें सदन के सामने रखकर कन्विन्स न करूंगा तब तक मेरा काम अधूरा हो रहेगा। इसलिए मुझे भय है कि जब तक मैं यह नहीं बताऊंगा कि दबाव में आकर कमिश्नर्स कैसे कैसे काम कर बैठते हैं तब तक मैं सदन के सदस्यों को कन्विन्स नहीं कर सकूंगा कि उनको एडीशनल मेम्बर क्यों नहीं बनाया जाय। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ३५० बीघा या ३३३ बीघा जमीन एक सरदार को दी गई। वे पुराने ताजीमी सरदार नहीं हैं लेकिन आजकल की सरकार के नए ताजीमी सरदार हैं। उनको जमीन देने का ढंग किस तरह का है, यह भी देखिये। सरकार का नियम बना हुआ है कि किसी व्यक्ति को १५ बीघा से ज्यादा जमीन नहीं दी जाय लेकिन सरकार ने उनको देना तय कर लिया लेकिन दी कैसे जाय, सरदार से घबड़ा गये। उन्होंने एक तरकीब निकाली जिसके अनुसार उन्होंने घर वालों के नाम लिखे, भाई भतीजों आदि के नाम लिखे और दरख्वास्त पेश की कि कॉओपरेटिव फार्मिंग के नाम पर ३५० बीघा जमीन दी जाय; जिन्होंने आज तक कभी खेती नहीं की है उनको कोऑपरेटिव के नाम पर जमीन दी जाय; उनके बारे में जांच तक नहीं की गई कि उन्होंने दरख्वास्त पर दस्तखत किये या नहीं, उनको जमीन दी गई। दस्तखत तो सरदार के लड़के ने किये।...

श्री अध्यक्ष—This is going beyond the scope.

श्री भैंरूसिंह—(जारी) बिल्कुल नहीं। उनको हिम्मत नहीं थी कि इस बात की जांच करें कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो सदस्य बताये गये हैं वे वास्तव में उसके सदस्य हैं या नहीं और वे जमीन और खेती करना चाहते हैं या नहीं; इसके लिए कोई जांच नहीं की गई। कमिश्नर के सामने जब यह दरख्वास्त आती है उस समय सरदार उनके पास पहुँच जाते हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग का नकशा उनके सामने रख देते हैं और उनको जैसी बात बताई गई वैसी आज्ञा दे दी गई। इससे सरकार का काफी नुकसान हुआ। उस जमीन में ऐसे ऐसे पेड़ खड़े हैं जिनमें से एक एक के ५०० रु० बट सकते हैं लेकिन कमिश्नर साहब ने उनके दबाव में आकर केवल १० रु० बीघा कीमत लेकर जमीन दे दी। जिन पेड़ों के २००० रु० बीघा बटते उन पेड़ों को इतने में दे दिया। एक तरफ तो वे सरदार हैं और दूसरी तरफ सरकार के हिमायत करने वाले, जमीन तकसीम करने वाले कमिश्नर हैं जो सरकार को नुकसान पहुँचा कर केवल १० रु० वसूल करके जमीन दे देते हैं। "वसूल करके" ये शब्द इस्तैमाल किये, इसमें भी मुझे सन्देह है कि वास्तव में १० रु० के ही हिसाब से भी रकम ली गई या नहीं?

मैं यह निवेदन करूंगा कि हम सरकार को इस प्रकार के अधिकार देने की, कमिश्नर्स की इन्टीग्रिटी की, उनको अधिकार देने की प्रथा कायम करें, उन कमिश्नर्स को अधिकार देने की कि जिन कमिश्नर्स के द्वारा किये गये इस प्रकार के सफेद डाके सामने आते हैं तो हम समझते हैं कि ये कमिश्नर्स सरकार के इशारे पर नाचेंगे। यदि कमिश्नर्स की पूरी कार्यवाहीयों का चिट्ठा सदन में रखा

[श्री भैरोंसिंह]

जाय तो राजस्व मंत्री कभी इस प्रकार का दुस्साहस नहीं करेंगे कि किसी कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर को रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर बनायें ।

अन्त में मै यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि कमिश्नर्स ने जो स्केन्डलस की हैं, जो कार्यवाहियां की हैं उनको देखते हुए कमिश्नर्स और एडीशनल कमिश्नर्स को रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर न बनाया जाय । मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कमिश्नर्स द्वारा की गई इन दूषित कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर्स को और एडीशनल कमिश्नर्स को रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर न बनायें । इसी में जनता का हित है ।

रावत श्री शंभु सिंह—माननीय अध्यक्ष, परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ । दो दिन से सदन में रेवेन्यु बोर्ड के सदस्यों को सरकार के अंकुश से मुक्त रखे जाने के बारे में चर्चा चल रही है; उससे भी यह क्लॉज़ बुरा है, जो इसमें रख दिया गया है । इसमें यह बात है कि सरकार किसी कमिश्नर या एडीशनल कमिश्नर को रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर मुकर्रर कर सकती है । उस हालत में जब कि हम रेवेन्यु बोर्ड का जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी संतुष्ट नहीं हैं, उसमें भी सरकार के प्रभाव की काफी व्यवस्था की गई है तो कमिश्नर को और एजीशनल कमिश्नर को इसमें लाने की, कहां तक सदन द्वारा रजामन्दी दी जा सकती है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें फिर कोई खास पर्पज़ नहीं बताया गया है कि सरकार नोमिनेशन के द्वारा ऐसे किस पर्पज़ के वास्ते कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर बनाये और यह कहां तक संभव है कि सदन इस प्रकार रेवेन्यु बोर्ड में सरकार के दबाव को बर्दाश्त कर सकेगा । यदि इसमें यह व्यवस्था होती कि किसी खास पर्पज़ के लिये हाई कोर्ट को रेफर करके गवर्नमेंट किसी हाई कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के नीचे रहने वाले जुडिशियल सर्विस के सीनियर ऑफिसर को या एडिशनल मेम्बर को रख लेतो :......

श्री अध्यक्ष—This is not the scope of the discussion. That clause we have already discussed.

रावत श्री शंभु सिंह—ओब्जेक्शन यह है कि इसमें कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को कोऑप्ट करने का है, उसकी बजाय यह होता कि किसी खास पर्पज़ के वास्ते कोऑप्ट करनी की जरूरत हो तो हाई कोर्ट को रेफर करके जुडिशियरी सर्विस के सीनियर मोस्ट जज को रखा जावे तो यह ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ ५ में आ गया है; "एडीशनल मेम्बर्स," को डिलीट किया जावे ।

रावत श्री शंभु सिंह—तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार का जो प्रभाव पहले से रेवेन्यु बोर्ड में है उससे भी और ज्यादा बढ़ जायगा । क्लॉज़ नं० दो में साफ है कि किस प्रकार रेवेन्यु

[रावत श्री शम्भुसिंह]

बोर्ड पर सरकार का प्रभाव रहेगा, परन्तु उससे भी संतुष्ट न होकर इसमें कमिश्नर और एडीश्नल कमिश्नर, जो सरकार के मातहत हैं और सरकार की इच्छानुसार काम करने को तत्पर हैं उनको रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर बना कर सरकार रेवेन्यु बोर्ड को अपने इशारों पर चलने वाली संस्था बनाना चाहती है।

तो हम नहीं चाहते कि इस प्रकार का क्लॉज रहे। इसलिये मैं परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जो अमेंडमेंट रखे हैं उनका समर्थन करता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, यह क्लॉज़ ६ दरअसल होना चाहिये क्लॉज़ ५, लेकिन इसमें ६ लिखा है।

श्री अध्यक्ष—आप ६ पर ही बोलिये।

श्री गोपी लाल यादव—मैं ६ पर ही बोलूंगा। इसमें मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि ६ वां क्लॉज़ जो है एडीशनल मेम्बर्स का, यह वैसे ५ और ८ क्लॉज़ से संबन्ध रखता है। क्लॉज़ ५ में बताया गया है कि रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर किसको, कैसे व्यक्ति को किया जाय और किस तरीके से किया जाय? ८ क्लॉज़ है "Tenure of members" के सम्बन्ध में। क्लॉज ५ को हटा दिया जाय, इस पर सदन में दो दिन तक बहस चली और आखिर इस पर माननीय मन्त्री मोदय ने कहा कि इसे डेफर किया जाय।

रेवेन्यु बोर्ड का मेम्बर किस योग्यता का व्यक्ति हो और कैसे उसे नियुक्त किया जाय, जब इस चीज़ को डेफर कर दिया गया है तो मैं यह समझता हूँ कि इस धारा पर किसी कायदे से विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम यह समझते हैं कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स का टेन्योर, एस्टेब्लिशमेंट परमानेन्ट बनाना है, उनका तरीका सुरक्षित रखना है तो फिर एडीशनल मेम्बर बनाने के इस क्लॉज़ पर आप विचार नहीं कर सकते। आपने मान लीजिये यह प्रोविजन रख दिया कि इन्डिया का प्रेसीडेन्ट एक मेम्बर होगा और पार्लियामेंट हटायेगी और फिर यह क्लॉज़ रख दी कि कमिश्नर और एडीश्नल कमिश्नर को एडीशनल मेम्बर बनाया जाय तो यह क्लॉज़ बेकार हो जायगी। क्लॉज़ ५ को आपने डेफर कर दिया है और इस क्लॉज़ में आपने यह तय कर दिया कि एडीशनल कमिश्नर जो कि एक कलेक्टर की स्टेटस का है उसको बोर्ड का मेम्बर बना दिया. तो उनको बोर्ड का मेम्बर बनायेगा कौन? क्योंकि क्लॉज़ ५ में यह है कि बोर्ड के मेम्बरों की नियुक्ति कैसे हो, उसको तो आपने पहले ही डेफर कर रखा है। क्लॉज़ ६ क्लॉज़ ५ से सम्बन्ध रखता है कि कमिश्नर या एडीशनल कमिश्नर को बोर्ड में बैठायें तो बैठाये कौन? मैं बैठाऊं, आप बैठायें या सदन बैठाये या राजप्रमुख बैठायें? जो तरीका क्लॉज़ ५ में हम पास करना चाहते हैं तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो यह नेचुरल कोन्सीक्वेन्स है कि it should be deferred.

[श्री गोपीलाल यादव]

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि इस पर तो विचार किसी कायदे और कानून से हो नहीं सकता, ५ और ८ को आप तय नहीं कर दें तब तक यह नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री को सम्बोधित कर) क्लॉज़ ५, ८ और ९ का जवाब साथ देंगे, आप जवाब दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, मैं ५, ८ और ९ का जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—साथ दे दीजिये, डिस्कशन तो यह है कि क्लॉज़ेज़ ५ और ८ का डिसीज़न नहीं हो तब तक ९ का कैसे हो सकता है ? यही है इससे ज्यादा नहीं ......

श्री तनसिंह—Discussion for 9th is to be postponed ?

श्री अध्यक्ष—No, only reply.

श्री तनसिंह—In that case we would like to express our views.

श्री अध्यक्ष—आप अपने विचार व्यक्त करियेगा, मगर मैं यह देखता हूँ कि एक ही विचार बार बार दोहराये जाते हैं।

श्री तनसिंह—एक व्यक्ति के मौलिक विचार बन्द नहीं होने चाहिये, वह तो प्रकट कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—मौलिक विचार नहीं अमौलिक विचार ..... If the hon'ble Member wants to contribute something new............

श्री तनसिंह—Without expressing how can it be decided whether they are original or not ?

श्री अध्यक्ष—I am hear to judge. इस तरह से १६० सदस्य हैं और वे बोलेंगे और उनके मौलिक विचार ;it all depends on the parties, the ideologies that they represent. The Chair has to see whether the arguments which the parties give, the members of the parties give are Representative of their ideologies. A member of the Jan Sangh represents that ideology, member of the Communist party represents another ideology and if a member of the Congress party speaks , he represents that ideology. These ideologies are not judged even by the speeches of individual members. So it is not necssary that all members of the parties or of one single party should speak on the subject.

Page No.56

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, the point is this. Respectfully I beg to submit that you may be pleased to have a little leniency on this score that this bill is a very important bill and Shri Tan Singh belongs to the Sanyukta Dal ; and only two members of the Sanyukt Dal have spoken. Not only from that point of view, but looking to the importance of the bill.........

श्री अध्यक्ष—I have no objection to his speaking, but only if he has new points which he wants to bring.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Surely he must have new points ; otherwise why should he waste the time of the house ?

श्री अध्यक्ष—I have been hearing the same arguments over and over again.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्योंकि अब उन्हीं बातों को जो पहले आ चुकी हैं, उनको रिपीट नहीं करना है चाहे वे अपने सम्बन्ध में हों या मौलिक हों।

श्री अध्यक्ष—There is no orginality in repeating.

श्री तनसिंह—इसलिए मैं बिल्कुल मौलिक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह वह है कि टेन्योर ऑफ मेम्बर्स जो क्लॉज ८ में दिया गया है उसमें ऐसा व्यक्त किया गया है कि "All members of the Board shall hold office during the pleasure of the Rajpramukh." लेकिन एडीशनल मेम्बरों के विषय में क्लॉज ८ में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसलिए राजप्रमुख की प्लेजर सेटलमेन्ट कमिश्नर, कमिश्नर और जुडीशियल कमिश्नर के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी। ऐसी सूरत में सेटलमेन्ट कमिश्नर, कमिश्नर जिनको व्यवहार में कलेक्टर की हैसियत का माना गया है और कलेक्टर को सेटलमेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर को कलेक्टर बनाया जा सकता है तो ऐसी सूरत में पहले वाले सदस्य जिनका संकेत क्लॉज़ ५ में है उनको तो राजप्रमुख के प्लेजर पर हटा सकते हैं। इसके लिए कुछ योग्यता तो क्लॉज ५ और ६ में रखी जावेगी। मगर क्लॉज ६ में यह योग्यता हटा दी गई है। कितने अर्से तक वे वहां पर रहेंगे और कितने अर्से तक नहीं, यह क्लॉज़ ८ में नहीं है। इसलिये मेरा मौलिक निवेदन है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये और अगर नहीं होता है तो इसके लिये रूल्स अलग बनावें। इसलिये जो लोग क्लॉज ५ और क्लाज ६ की तहत में मुकर्रर होंगे वे क्लॉज़ ८ की तरह हटाये भी जा सकेंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि इसको इसमें रखने की कोई आवश्कता नहीं है। जब क्लॉज़ ५ और ६ जिसमें आपकी काफी छूट है, किसी भी प्रकार के सदस्य रखने की छूट है, आप रख सकते हैं तो फिर इस तरह से मुगालता देने के लिये एडीशनल कमिश्नर और कलेक्टर व सेटलमेन्ट कमिश्नरों को रखने की आवश्यकता नहीं थी।

[श्री तनसिंह]

क्लॉज़ ५ और ६ में आपको ऐसी छूट है। इसलिये इस क्लॉज़ की वैसे ही कोई आवश्यकता नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरा जो यह आर्ग्युमेन्ट है वह पहले से मौलिकता रखता है और जो कुछ पहले कहा उससे मौलिक है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, वैसे तो यह प्रस्ताव रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा डेफर किया जा चुका है और इस पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी मगर चूंकि माननीय सदस्य ने, जो एक योग्य वकील हैं, उन्होंने एक मौलिक सुझाव रखा है, तो वाकई में इससे सदन और मैं बहुत प्रभावित हुए हैं।

("हिअर हिअर" की आवाज विरोधी पक्ष की ओर से)

लेकिन मौलिकता बताने से पहले अगर माननीय सदस्य इस क्लॉज़ को पूरा पढ़ लेते तो शायद मौलिकता को ताक में रख देते। क्लॉज़ ९ यह है :

"The State Government may be notification in the Rajasthan Gazette, direct that any Commissioner or Additional Commissioner appointed under section 23 or.........."

श्री हरिकृष्ण व्यास—"एडीशनल कमिश्नर," सिलेक्ट कमेटी द्वारा काट दिया गया है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—(contg.) "appointed under section 23 shall also be additional member of the Board for such purposes as may be specified in the notification."

अगर माननीय सदस्य इसको ध्यान से पढ़ लेते तो मौलिकता की बात सदन में कहने का दुस्साहस नहीं करते क्योंकि जो एडीशनल मेम्बर बनाये जावेंगे वे किसी खास जरूरत के लिये बनाये जावेंगे। जैसे सेटलमेन्ट का कोई इन्वेस्टीगेशन का पॉइन्ट पैदा हो गया हो तो उसके सुझाव देने के लिये उनको मेम्बर बनावेंगे। माननीय अध्यक्ष, चूंकि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया गया है इसलिये इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं करना चाहता कि बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे, क्या होगा। चूंकि यह एक मौलिकता का प्रश्न है जिस पर बहस की गई है इसलिये बोलना पड़ा कि यह मौलिकता का प्रश्न गलत है और इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न मौलिकता का चल रहा है। वैसे जहां तक सेटलमेन्ट कमिश्नर का प्रश्न है या किसी दूसरे कमिश्नर का या एडीशनल कमिश्नर का प्रश्न है, मेरा ऐसा ख्याल है कि सेटलमेन्ट कमिश्नर या दूसरा कोई भी कमिश्नर होगा वह राजस्थान में ह

[श्री जवानसिंह]

रहेगा और उस व्यक्ति के पास सेटलमेन्ट के मुतल्लिक जितने झगड़े होते हैं, जाते है और जो झगड़े उसके सामने आवेंगे उन पर वह अपना फैसला देगा। उसके बाद में यदि उस व्यक्ति को बोर्ड में मेम्बर की हैसियत से रखेंगे तो एक बात होगी और वह इस प्रकार से होगी कि वही सेटलमेन्ट कमिश्नर जिसने अपील में अपना फैसला किया है, दूसरे मेम्बर को अपनी सलाह देगा और उसकी सलाह वही होगी जो उसने फैसला किया है। उसने तो अपनी राय पहले जाहिर कर दी है। उसकी राय से जनता की कोई भलाई नहीं होगी और न किसी प्रकार की सुविधा और इन्साफ मिलेगा।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू सभापति, पदासीन)

इसलिए जहां यह प्रश्न हो कि उसको एडीशनल मेम्बर रखा जावे या नहीं वहां पर एक कठिनाई आ सकती है। उसको लेने के बाद में एक सदस्य की राय सही भी हो सकती है और कई मर्तबा ऐसा हो सकता है कि वह सही नहीं भी होती है। इसलिये सेटलमेंट कमिश्नर को जिसके पास अपील सुनने का अधिकार है उसको मेम्बर मान लिया जावे, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये। जहां दूसरे कमिश्नरों का सवाल है, दूसरे कमिश्नर भी अपीलें सुनते हैं। यदि वे ही लोग बोर्ड के सदस्य होंगे तो लोगों को न्याय मिलने में सुविधा नहीं रहेगी। यह मौलिकता का प्रश्न है।

(श्री श्रीदास गोयल के खड़े होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—हर इलाके की मौलिकता आनी चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—He is prefectly correct.

माननीय सभापति, अभी अभी कुछ मित्रों ने एडीशनल मेम्बर के सिलसिले में अपने अपने विचार प्रकट किये और मौलिकता के बहाने बहुत सी बातें भी कहीं और यह भी सत्य है कि उनकी जो कुछ बातें हैं उनमें मौलिकता है भी, वह किस रूप से लिया गया है, जो कुछ भी भाषण हुए हैं उनसे जाहिर हो रहा है। जैसी कि परम्परा सारे देश की स्टेट्स में चली आ रही है आज तक कभी नहीं सुना कि किसी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज को एडीशनल जज, हाईकोर्ट, बनाया और नीचे की अदालतों के निर्णयों की अपीलें और रिवीजन उनको अदालत में बिठा दिया गया हो। यह अभूतपूर्व परिवर्तन अभूतपूर्व विचारों के साथ किया जा रहा है, यह सोचने का विषय है। मैं निवेदन करूं कि एफिशियेन्सी एड करने के लिये, आज भी रेवेन्यू बोर्ड करता है, सेटलमेंट कमिश्नर का मामला है जो टेक्निकल ब्रान्च से सम्बन्धित है, तो वे अपनी बात को अच्छी तरह करने के लिये इन्टरोगेशन ले लेते हैं, उस पर सोच विचार करके निर्णय देते हैं। यह कभी नहीं हुआ, लेकिन आज यह परम्परा विद्यमान है कि एडीशनल कमिश्नर को रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बना दिया और उसने बाहैसियत एडीशनल कमिश्नर फैसला दे दिया, वे डिबार रहते हैं एज़ मेम्बर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यु केसेज़ को समाअत कराने

[श्री श्रीदास गोयल]

के वास्ते, अपने विचार प्रकट करने के वास्ते। ऐसी परिस्थिति में इस क्लॉज़ को पुनः विचार करने के लिये माननीय मन्त्री जी मौका देंगे, पुनः इस पर सोचेंगे। एक तरफ विचारधारा चल रही है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पूरी तरह से जुडीशियली फन्क्शन करने के लिए पूरी इन्डिपेन्डेन्स् दी जाय और उस इन्डिपेन्डेन्स को कायम करने के वास्ते कल और परसों बहस चली और उससे उनको भी मालूम है। जो स्थिति है उसे अपनाने के लिये यदि हाउस का उत्साह है तो क्यों नहीं एडीशनल मेम्बर के सम्बन्ध में विचार किया जाय।

श्री सभापति—क्लॉज़ ५, ८ व ६ डेफर हो गये हैं और बिल को आगे चालू रखते हैं, तो आप कल तैयार होकर आइये।

श्री दामोदरलाल व्यास—Tomorrow.

श्री जवानसिंह—क्या यह माना जाय कि आज तैयार नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तैयार हूँ, लेकिन आपने जो मौलिक बातें रखी हैं उन पर विचार करना जरूरी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसीलिये तो मैंने बताया था कि एक एक क्लॉज़ को डेफर करने के बजाय सारे बिल को ही सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय।

श्री सभापति—Now let us proceed with the work. Clause 10, Shri Mehta.

श्री चांदमल मेहता—मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति—श्री भैंरोंसिंह।

श्री भैंरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्लॉज़ १० पर मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Insert the words "and Jodhpur' between the words ,Jaipur' and 'but' in the second line."

माननीय सभापति, क्लॉज़ १० में इस बात की व्यवस्था की गई है कि रेवेन्यु बोर्ड की बैठक खास तौर पर किस स्थान पर होगी और यदि सरकार चाहे तो रेवेन्यु बोर्ड की बैठक किसी दूसरे स्थान पर भी हो सकेगी। मैंने जो संशोधन पेश किया है, उस संशोधन के द्वारा मैं सदन के समक्ष यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जिस तरह से रेवेन्यु बोर्ड की बैठक जयपुर में होती है उसी तरह से रेवेन्यु बोर्ड की एक सिटिंग जोधपुर में भी मुश्तकिल तरीके से की जाय। मेरा यह संशोधन कुछ महत्वपूर्ण है और इसके पीछे इतिहास भी है।

माननीय सभापति, आज हम रेवेन्यु बोर्ड के काम को देखें और यदि हम तुलनात्मक

[श्री भैरोंसिंह]

दृष्टि से, हर साल कितने केसेज़ डिस्पोज़ ऑफ किये गये है, उसके ब्यौरे को उठाकर देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान के रेवेन्यु बोर्ड के केसेज़ का डिस्पोज़ल बहुत मन्द गति से होता है और उस मंद गति का रेवेन्यु बोर्ड पर कोई प्रभाव है, उनके मेम्बरों की तनख्वाहों पर कोई प्रभाव है, मोटर गाड़ियों में बैठने पर या अच्छे बंगलों में रहने पर कोई प्रभाव है, कुछ नहीं मालूम होता। प्रभाव से कोई अन्तर पड़ा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन जो लोग रेवेन्यु बोर्ड से न्याय की अपेक्षा करते हैं, उन लोगों के ऊपर जो आर्थिक संकट आता है वह आर्थिक संकट इस बात के लिये प्रेरित करता है कि राजस्थान की इस विधान सभा के अन्दर रेवेन्यु बोर्ड की सिटिंग के बारे में जब विचार होता है उस वक्त इस पर फाइनल डिसिजन हो ; उसके पहले पहले इस कानून में इस बात का भी समावेश हो कि जोधपुर में भी रेवेन्यु बोर्ड की एक सिटिंग हो।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—Election propaganda.

श्री भैरोंसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैंने खास तौर पर जोधपुर का नाम रखा है, वह भी विशेष विचारधारा को लेकर रखा है। आजकल इस सदन में ही नहीं किन्तु राजस्थान के समूचे प्रान्त में इस बात की बार-बार भावना पाई जाती है कि सरकार में क्षेत्रीय भावना का जोर है, सारा काम क्षेत्रीय भावना पर होता है। उसी भावना से प्रेरित होकर संशोधन पेश करना चाहिये था कि आज क्षेत्रीय भावना है, जैसे क्षेत्रीय भावना उदयपुर और डूंगरपुर की है उसी प्रकार का संशोधन पेश करना चाहिये था, लेकिन क्षेत्रीय भावना के अलावा तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो दूसरी भावना ज्यादा है और इसीलिए मैंने संशोधन में जोधपुर का नाम प्रस्तुत किया है। इस क्षेत्रीय भावना को तिलांजली देने के लिए जब कभी मन्त्री, सत्तारूढ़ नेता, जनता में भाषण देते हैं तो वे वहां इस क्षेत्रीय भावना का आमूलचूल परिवर्तन करने का संकल्प करते हैं लेकिन वह होता नहीं है। उनके दिमाग में बातें करने के लिये हैं, विचार प्रकट करने के लिए हैं लेकिन उसके विपरीत वे क्षेत्रीय भावना से, जिले की भावना और उसके आगे पारिवारिक भावना की ओर अग्रसर होते हैं और इस पारिवारिक भावना को प्रोत्साहन मिलता भी है। क्षेत्रीय भावना को प्रोत्साहन मिलता है, मैं उन पारिवारिक भावनाओं का, क्षेत्रीय भावनाओं का किस तरह से शासन में समावेश होता है उसका दिग्दर्शन कराने के लिये उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि वह उदाहरण उपयुक्त होगा। आजकल जितने व्यक्ति······

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय सभापति, कई दफा अर्ज किया है कि the discussion should be relevant.

यहां सवाल सिर्फ इस बात का है कि प्लेस ऑफ सिटिंग (Place of sitting) कहां हो ? इसमें क्षेत्रीय भावना और पारिवारिक भावना कहां से आती है। It is sheer waste of the time of the house.

श्री भैरोंसिंह—माननीय सभापति, जोधपुर का जो नाम रखा है, उस जोधपुर के नाम को रखने में क्या महत्व है, कैसे क्षेत्रीय और पारिवारिक भावनायें अपनाई जा सकती हैं उस पृष्ठभूमि में मैं कह रहा था और जो संशोधन रखा है उसके पक्ष में है, इसलिये मुझे इजाजत दी जाय कि मैं क्षेत्रीय और पारिवारिक भावनायें कैसे अपनाई जाती हैं, उनके बारे में सदन को बता सकूं।

श्री सभापति—आपत्ति यह है कि आप विस्तार में चले जाते हैं। आप सूक्ष्म में कहें।

श्री भैरोंसिंह—विस्तार में जाने को इसलिये होता है कि जो सुझाव दिमाग में हैं वे अच्छी तरह से रखे जा सकें ताकि उनके दिमाग विस्तृत भावना से काम करें।

श्री सभापति—Right, carry on. Be-relevant.

श्री भैरोंसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जिस पारिवारिक भावना का शासन में समावेश होता है उसका जिक्र मैं कर रहा था। माननीय सभापति, राजस्थान के झुंझुनू जिले में महिला समाज कल्याण बोर्ड...

(बाधायें)

एक माननीय सदस्य—Irrelevant.

श्री दामोदरलाल व्यास—This is most irrelevant.

श्री भैरोंसिंह—मैं जो पारिवारिक और क्षेत्रीय भावना का उदाहरण दे रहा हूँ उसको सुन लिया जाय। मानीनय मन्त्री जी ज्यादा चक्कर में क्यों पड़ते हैं और यदि गलत है तो दुरुस्त करें।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सभापति, मैं यह अर्ज करता हूँ कि सदन का समय खराब न किया जाय। इस बात का इससे ताल्लुक नहीं है और इसको यहां नहीं लिया जाय।

श्री सभापति—Order please ! मैंने आपको सूचना दे दी है।

श्री भैरोंसिंह—मैं संक्षेप में रख देता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—It is absolutely irrelevent to the issue, Sir.

श्री भैरोंसिंह—पांच मिनिट के लिये आप तसल्ली ले लें।

श्री भैंरूसिंह—महिला समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की .....

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय सभापति, जिस तारीके को बातें इस समय सदन में की जा रही हैं यह मौका उसके लिये उपयुक्त नहीं। यदि माननीय सदस्य इन बातों को कहना ही चाहते हैं तो आगे बजट सेशन आने वाला है, ये सारी बातें उस समय की जा सकती हैं।

श्री भैंरूसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं, माननीय सभापति यह बताना चाहता हूँ कि आज भी भावना को प्रोत्साहन देते देते लोग किस प्रकार पारिवारिक भावना तक पहूँच गये; यह मैं अर्ज करना चाहता हूँ...

श्री हरिकृष्ण व्यास—(श्री नाथूराम मिर्धा से) यह आप किस रूल्स की तहत कह रहे हैं?

श्री सभापति—मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जो एतराज कर रहे हैं वे शायद इन बातों से परिचित हों, किन्तु चेयरमेन इस बात से परिचित नहीं। जब तक मैं उनकी बातों को सुन नहीं लेता उन्हें रोकने में असमर्थ हूँ।

श्री भैंरूसिंह—(जारी रखते हुए)माननीय चेयरमेन, मैं जिस पारिवारिक भावना का नमूना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह पारिवारिक भावना महिला समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना से है। झुंझुनू में महिला समाज कल्याण बोर्ड का शाखा स्थापित को गई जिसको संयोजिका हैं सरदार साहब की स्त्री और उसमें नर्स का काम करती हैं उनकी लड़की...

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये सरदार साहब हैं कौन से ?

श्री भैंरूसिंह—वे ही मशहूर सरदार साहब हैं, जिनका नाम बताने की क्या आवश्यकता ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नाम तो बता दीजिये, कौन सरदार साहब हैं ?

श्री भैंरूसिंह—सरदार हरलालसिंहजी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वे ही है जिन्होंने जमीन ली थी ?

श्री भैंरूसिंह—(जारी)हां वे ही हैं। नर्स का अपॉइन्टमेन्ट दिया गया। उसमें लड़के की स्त्री को कार्यकर्ता बनाया गया। मोटर ड्राइवर बनाया गया है सरदार साहब का भतीजा, भाई का लड़का अजीतसिंह और उसका जो ओर्गेनाइजर बनाया गया है, वे हैं सरदार साहब के लड़के। आज इस प्रकार सरदार साहब ने अपने सारे रिश्तेदारों को एक ही जगह लगा दिया। इस प्रकार आज जो

[श्री भैरोंसिंह]

क्षेत्रीय भावना को नष्ट करने का दावा करते हैं, बारबार मीटिंगों में भाषण देते हैं उनमें क्षेत्रीय भावना से नीचे उतर कर पारिवारिक भावना घर कर गई है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही मैंने अपना संशोधन रखा है। आज हमने यदि क्षेत्रीय भावना को प्रोत्साहन दिया तो हो सकता है कि इसका असर उदयपुर और डूंगरपुर में होगा।

दूसरा कारण मेरा यह है कि जोधपुर में हाई कोर्ट को एक बेन्च है। वह हाई कोर्ट का मुख्य स्थान है। वहां उच्च न्यायालय हो जाने से अच्छे अच्छे वकील मिल जाते हैं। जोधपुर हाई कोर्ट में वे ही लोग जाते हैं जिनका सम्बन्ध जोधपुर से काफी रहता है। वहां कमिश्नर भी रहते हैं, उनसे किसी प्रकार का काम हो तो उनसे करवा सकते हैं। वहां रेवेन्यु बोर्ड की एक सीट भी रहे तो रेवेन्यु बोर्ड से संबन्धित काम भी वहां हो सकता है। इन सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए कि न्याय सस्ता मिले आम जनता को सुलभ हो, इसलिये यह जरूरी है कि एक सीट जोधपुर में भी रखी जाय। आज यह होता है कि जैसलमेर के किसी व्यक्ति को रेवेन्यु बोर्ड में अपने मुकदमे के फैसले के लिये आना पड़ता है तो कितनी परेशानी होती है, उसका खर्चा कितना होता है और आखिर इतना खर्च करके जब रेवेन्यू बोर्ड में पहुँचता है तो उसके सदस्य हैं वे कह देते हैं कि आज तो तबीयत खराब है, या बरसात हो रही है या मुकदमें काफी हैं, आज तुम्हारे मुकदमें की सुनवाई नहीं हो सकती। बेचारा मारा मारा फिर जैसलमेर जाता है और अपनी नई तारीख की इन्तजार करता रहता है कि किस दिन मेरे लिये नोटिस आता है और किस दिन जाना है। इन सारी परेशानियों के कारण लोगों को न्याय नहीं मिलता है इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि एक सीट इस बोर्ड की जोधपुर में भी रखी जाय। मेरे पास तीन साल के आंकड़े हैं, जिन आंकडों को मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे मैं यह समझता हूँ कि सारे सदन को यह मालूम हो जायगा कि आज रेवेन्यु बोर्ड के केसेज़ का डिस्पोज़ल किस मन्द गति से चल रहा है।

सन् १९५१. में ६१८ केसेज़ पेन्डिग रहे। सन् १९५२ में ६१८ से १२७८ हो गये। और सन् १९५३ में यह संख्या १२७८ से बढ़कर १७१५ हो गई। ये तीन सालों के आंकड़े बताते हैं कि कार्य की प्रगति नहीं हुई, बल्कि उसमें कमी हुई है। जब कि ६१८ केसेज पहले साल के पेन्डिग थे दूसरे साल वे ही केसेज १२७८ होगये और उसके बाद तीसरे साल में वे १७१५ हो गये। इस प्रकार की प्रगति से यह मालूम होता है कि मुकदमें बाजी तेजी से बढ़ती गई जिसने आर्थिक ढांचे को खराब कर दिया। इन दोनों चीजों को अपने समाने रखकर आपको विचार करना चाहिये। आज राजस्थान में हाई कोर्ट का मुख्य स्थान जोधपुर में है इसलिये रेवेन्यु बोर्ड का स्थान भी वहीं हो ताकि जनता को न्याय सस्ता मिल सके। मैंने जैसा कि अपने संशोधन में रखा इसकी सीटें जयपुर और जोधपुर दोनों में होनी चाहिये। मैंने जोधपुर के बारे में सारी बातें आपके सामने रखीं, इस केस को ज्यादा प्रबल बनाने के लिये। मैं माननीय सदस्यों से

[श्री भैरोंसिंह]

प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव का, क्षेत्रिय भावना से ऊपर उठकर और दलगत भावना से परे रहकर, समर्थन करेंगे ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Chairman, Sir.

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह अटरू)—I would first ask Shri Vyas to move his amendment on the same clause.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman Sir, I beg to move the following amendment to clause 10 :--

In line 3 substitute the word 'may' in place of 'to' and delete the words 'it shall be lawful for'; The second part of the amendment is-- Add a proviso to this clause at the end as under:--

"Provided that If there are large number of cases from a place or an area, the Board shall sit in that place or area to decide those cases."

अपने संशोधन के सिलसिले में जो कुछ भी मुझे कहना है उसे कहने के पूर्व, मैं अभी जो माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा उनका मुझे आभार प्रदर्शन तो करना ही चाहिये, क्योंकि उन्होंने एक पिछड़े हुए क्षेत्र की बात इस सदन में लाकर रखी और सदन के माननीय सदस्यों को यह बताने की कोशिश की । राजस्थान के उच्च राजनैतिक रंगमंच पर चाहे कुछ भी होता हो किन्तु देहातों के लोगों को लंबा लंबा सफर कराने के अलावा किसी को फायदा नहीं । उनके प्रति आभार प्रदर्शन के साथ साथ मैं मेरे संशोधन के जरिये सारे राजस्थान के कोन कोने में रहने वाले गरीब किसान और उनकी भावना का दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ, जिनको अपने मुकदमों का फैसला करवाने के लिये बारबार जयपुर आना पड़ता है, केवल केसेज की वजह से और दूर की वजह से वे केवल परेशान ही नहीं होते हैं बल्कि कई दफा मैदान छोड़ कर भाग जाते हैं । मैं अपने संशोधन के सिलसिले में इस बात को साफ कर दूं कि आम तौर पर इसकी सीटिंग जयपुर में होती रही है. इसका हैडक्वार्टर जयपुर ही रहा; उन सारे मामलों का फैसला जयपुर में होता है और रेवेन्यु के जितने भी केसेज़ होते हैं वे सब जयपुर में आते हैं । वैसे माननीय राजस्व मंत्री को रेवेन्यू केसेज़ का अनुभव है । राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्टस ऑर्डिनेन्स जो शाया हुआ है उसके अन्तर्गत हम यह मान चुके हैं कि जितने भी मामले बेदखल के उस दिन हो गये उन सब के मामले एक ही तारीख से फैसल किये गये । आज जमीन का बन्दोबस्त होता है सेलमेन्ट के पर्चे दिये गये । उजरात के पर्चे कमिश्नर को दिये गये, वे तय नहीं हुए । इस तरह से एक साल में बीसियों, तीसियों और सैकड़ों केसेज़ का फैसला रेन्वयु बोर्ड के सामने आयगा । वे सब केस एक ही प्रकार के होंगे, एक ही इलाके के होंगे और बहुत नजदीक के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्षेत्र के किसानों के आपसी होंगे तो ऐसे केसेज़ को फैसल करवाने के लिये उनको आना पड़ेगा। जयपुर। इस सदन ने राजस्थान के काश्तकारों के लिये टीनेन्सी एक्ट पास किया जिसका राजस्व मंत्री ने तो कोई जिक्र नहीं किया किन्तु उनके बहुत लायक दोस्त नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्या ने कहा, अर्ध सरकारी तौर पर कहा कि वह एक्ट १५ तारीख से लागू होने वाला है। कानून के लागू होते ही जैसी कि उसमें एक क्लॉज़ है जिसके अन्दर प्रिएम्पशन के लिमिटेड राइट्स् दिये हैं। उसकी सैकडों अर्जियां इजेक्टमेन्ट की आयेंगी। इसलिये में राजस्व मंत्री से इस बारे में पंजाब की हालत का जिक्र करना चाहूँगा। आज से करीब आठ महिने पहले पंजाब में काश्तकारी कानून लागू किया गया। उसके साथ ही वहां इजेक्टमेन्ट की एप्लीकेशान्स दायर कर दी तो सरकार को यह खास तौर से क्लेक्टरों को आदेश देना पड़ा कि आप बाकी सब काम काज छोड़ कर सब से पहले टीनेन्सी एक्ट की तहत जो भी एप्लीकेशन्स इजेक्टमेन्ट की हैं उनका तसफ़िया करें, नहीं करते हैं तो बाकी का काम करने का कोई अधिकार नहीं और इसका असर होने के बाद भी साढ़े तीन महीने के बजाय ८ महीने तक फैसला नहीं हुआ और कोर्ट को अटेन्ड करना पड़ा। यह पंजाब की मिसाल है और इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब के लोगों को ही नहीं परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरूजी तक को भी अपने भाषणों में भी बार बार कहना पड़ा कि मैं पंजाब की हालत से चिन्तित हूँ और वहां की लीडर शिप के बारे में परेशान हो रहा हूँ। इसका बड़ा कारण क्या था? इसका कारण यही था कि रेवेन्यु के केसेज़ के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी रखते हुए भी बहुत कम जानकारी सदन में सदस्यों को रहती है और राजस्व मन्त्री तो इस माने में एक अनुभवी आदमी हैं, उनको मालूम होना चाहिये कि रेवेन्यु के अधिकारों के सिलसिले में जब परिवर्तन होता है तो उस इलाके में सैंकड़ों केसेज़ एक ही तरह के उस सिलसिले में आते हैं। तो क्या आप यह कहेंगे कि यदि इस प्रकार के सैंकड़ों केसेज़ एक इलाके के आये हों तो एक एक किसान को, अपने अलग अलग वकील को उसकी फीस देनी पड़े, आना-जाना पड़े पेशी पर, बार बार पेशी पर आना—जाना पड़े और सब को एक ही प्रकार के केसेज़ के लिये आना-जाना पड़े। यदि उस प्रकार किया गया तो सैंकड़ों लोग, सैंकड़ों किसान इस खर्चे के डर के मारे ही भाग जावेंगे। न्याय तो आप देंगे कागजों में, पर हकीकत में लोगों को मिलेगा जुल्म, अन्याय परेशानी और जलीलपन क्योंकि उनके लिए न्याय मांगने आना यह महंगा सवाल हो जावेगा। इसलिए मैंने यह संशोधन में रक्खा है कि यदि किसी एक जगह से अथवा किसी एक क्षेत्र से केसेज़ आवें तो the Revenue Board shall sit in that place to decide these cases

यानि फिर यह रेवेन्यु बोर्ड को लाजिमी तौर पर करना पड़ेगा। उन्हें जरा अपना खर्चा उठाकर यहां से वहां जाना पड़ेगा और मैंने यह संशोधन रक्खा है वह कोई नई बात नहीं है। यह किसानों के सिलसिले में कानून बन रहा है इस वास्ते भले ही नई बात आपको लगे, पर मजदूरों में तो ऐसा कानून ऑलरैडी है इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के नाम से और इसके तहत मजदूरों के झगड़ों के फैसले करने वाली जो अदालत होती है उसके नियमों में, उसके कानून में एक सैक्शन है उसकी ओर यदि राजस्व मन्त्री महोदय जरा गौर फरमावें तो जान सकेंगे कि इस इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कार्य प्रिलिमिनरी तो यहां होता है पर जब गवाहियां आदि होती हैं तो जिस स्थान पर वह डिस्प्यूट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

होता है वहां जाकर यह ट्रिब्यूनल अपना काम करता है और इस तरह से अब तक कई जगह काम हो चुका है। नमूने के लिए मैं आपको बता दूं; पाली, भीलवाडा, गंगापुर, किशनगढ़ में काम किया है इस ट्रिब्यूनल ने और अगर मजदूर हुए और कोई झगड़ा उनका हुआ और आवश्यकता पड़ी तो मालपुरा में भी इस ट्रिब्यूनल की पेशियां हो जावेंगी। यदि वहां भी कभी कोई इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट हो गया तो।

(हंसी)

तो आज जब मजदूरों के झगडों के सिलसिले में इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल वहां जाकर गवाहियां ले सकता है और वहां जाकर अपना काम कर सकता है तो फिर यहां किसानों ने ही ऐसा कौनसा कुसूर किया है। आखिर हम यहां इन्हीं किसानों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं। उनके हित की बात सोचने और करने के लिए यहां आये हैं; करते हैं या नहीं यह अलग बात है पर कहने के लिए तो यही कहते हैं। दावा तो आप सब करते हैं पर वास्तव में कौन है, यह तो करने से ही पता लगेगा और अगर आप उनको ज्यादा कुछ नहीं दे सकते तो न्याय तो सस्ता दें। एक-दो केसेज़ ही हों तो इनको तो जाने दीजिये। इनमें तो वे किसान मर-पड़ कर शायद यहां आ जावेंगे और अपना न्याय हासिल करने की कोशिश कर लेंगे पर सैंकडों लाखों मुकदमे एक ही इलाके में हैं, एक ही क्षेत्र में हैं, एक से हैं; बल्कि एक ही तहसील के हैं तो बतावें राजस्व मन्त्री जी कि फिर यह अधिकार किसको दिया जावेगा ?

"It shall be lawful for the Borad" यानि बड़ा अहसान कर रहे हैं बोर्ड पर कि तुम्हारे लिए यह कानूनी बात होगी। केवल इतना काफी नहीं है। यह कहो कि तुम्हारे ही लिए यह लाजिमी तौर पर होगा। तुम आखिर किसके लिए तनखा पाते हो। हाई कोर्ट का भी मुकर्रर हो गये तो कन्सौलिडेटेड फण्ड से पैसा मिलेगा इसलिये कि जहां न्याय हो वहां फैसला करो, यहां बैठे बैठे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे संशोधन के जरिये यही बात कही गई है और मेरा ख्याल है कि माननीय मन्त्रीजी यह सोचते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें ही समावेश होकर आ गया है। पर उससे बड़ी चीज यह है कि सारे राजस्थान में जिस समय जैसी आवश्यकता हो उस समय रेवेन्यु बोर्ड को वहां जाना लाजिमी हो जाता है। यदि इसे लाजिमी नहीं किया जाता है, यदि यहां पर "Shall" की तौर पर निर्णय नहीं किया जाता है तो इसका नतीजा यह होगा कि एक इलाके के जो केसेज़ होंगे उनके आने के बाद या तो रेवेन्यु बोर्ड निर्णय करेगा या फिर राज सरकार उसको आगे आदेश देकर निर्णय करेगी कि आया रेवेन्यु बोर्ड और किसी जगह जा सकता है या नहीं।

तो माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे इस उसूल को आज के मौजूदा रेवेन्यु बोर्ड ने भी मान लिया है किसी हद तक और किस प्रकार से मान लिया है इसका नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि इस प्रकार से उसने मान लिया है सन् ५१ से, बल्कि मैं तो समझता हूं कि पहले से राजस्थान हुआ है तब से इन्स्टीट्युशन्स का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जहां ताल्लुक है अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें दे रक्खा है। महीने में या दो महीने में लगभग जा कभी आवश्यकता पड़े रेवेन्यु बोर्ड का एक मेम्बर वहां जाता था और उस दिन जितने केसेज़ इन्स्टीट्यूट हुए उन पर निर्णय करते थे, इन्स्टीट्यूशन के लिए यहां आने की जरूरत नहीं पडती थी। तो यह इसलिये किया गया कि एक मुकदमे को अर्जी लेकर यहां आवे और यहां आने के बाद नतीजा क्या हो। अच्छा भाई, तुम्हारी अरजी मन्जूर, नोटिस इश्यू करो। केवल इतनी कार्यवाही होती है पहले तो। उस पर विचार किया जावेगा या नहीं, यह तो बाद में देखेंगे। नोटिस इश्यू होने के बाद दूसरी पेशी और पड़ी, और कम से कम एक दो पेशी तो और हो ही जाती; तो इन बातों को मद्दे-नजर रखते हुए इन्स्टीट्यूशन के लिए तो उन्होंने खुद आगे होकर यह तरीका अपनाया कि इन्स्टीट्यूशन का काम तो अलग अलग जगहों पर हो सके और ऐसा हुआ है। तो इस पर मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब इन्स्टीट्यूशन का काम, केस दायर करने का काम, अर्जी लेने न लेने का काम एक रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर वहां जाकर कर सकता है तो एक के बजाय दो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर या इन दो के एक डिविजन बेन्च के तौर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां के भारी संख्या में आने वाले केसों को, दस, पन्द्रह, बीस दिन में वहां बैठकर क्यों नहीं फैसल कर देते? अगर इन दो सदस्यों के वहां आने जाने का टी., ए.,डी. ए. का एक हजार रुपया भी अधिक से अधिक हुआ तो वह भी कम होगा। इसके मुकाबले में जो उस इलाके के किसानों और किसानों के आस पास के रहने वाले लोगों का सब का मिलाकर खर्च होगा यहां आने-जाने में और अपने मुकदमों की सुनवाई कराने में।

तो इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन के सामने पेश करते हुए यह आशा करूंगा कि राजस्व मन्त्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और इस बात के साथ विचार करेंगे कि यह प्रश्न केवल न्याय का नहीं है, यह प्रश्न है सस्ते न्याय का। यह आशा है कि न्याय मिलेगा, पर सस्ता मिलना चाहिये।

आगे मेरे माननीय मित्रों ने कहा कि इर्रिलेवेन्ट बातें नहीं कही जानी चहिये। तो इस सम्बन्ध की बातें और क्लॉज़ जब आवेगा तो इसके रेफेरेन्स भी प्रस्तुत किये जावेंगे। रिलेवेन्सी के मामले में इन बातों की परवाह नहीं है क्योंकि आखिर कितने दिन इस तरह के मामले चलेंगे, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों सामने आवेंगे, छिप नहीं सकते। इसलिये स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट तरीके से इस क्लॉज़ पर संशोधन जो मेरा था मैं उस पर बोला हूँ और इसमें बारीकी से बारीक कानून पेच लगाने वाले को भी इर्रिलेवेन्सी की बात कहने का मौका न मिले, यह मैंने ध्यान रक्खा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन सदन में प्रस्तुत करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपस में जो यह सलाह मशविरा मन्त्री महोदय कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जावेगा। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

कु० श्री जसवन्त सिंह—मि० चेयरमेन, सर, हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तब हम अरेबियन नाइट्स एन्टर्टेनमेंट के किस्से और कहानियों को अक्सर सुना करते थे, और वे बड़े दिलचस्प किस्से और कहानियां हुआ करती थीं। अपनी कक्षा की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़कर रात भर इन्हीं में समय बिताया जाया करता था। या इतने समय के बाद में हमारे राजस्थान में विधान सभा के स्थल पर वह इस प्रकार के किस्से और कहानियां और दिलचस्प बातें सुनने को हमें मिल रही हैं। सिर्फ फर्क इस बात का है कि अरेबियन नाइट्स एन्टरटेनमेंट के किस्से और कहानियां सिर्फ किस्से ही थे, वे फेक्ट्स नहीं थे और इसलिए दिलचस्प थे। लेकिन राजस्थान विधान सभा में विरोधीपक्ष की तरफ से एक एक से बेहतर फेक्ट्स और फीगर्स इस सदन में रखे गये हैं ताज्जुब यह है। कि वे भी इतने ही दिलचस्प हैं......

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, यह जनरल डिसकशन हो रहा है या क्लॉज़ १० पर विचार हो रहा है। यह अरेबियन नाइट्स के किस्से कैसे आये? डिबेट को क्या रेग्युलेट नहीं किया जायगा और बिल्कुल एट रेन्डम बात के लिए इजाजत दी गई है?

कु० श्री जसवन्त सिंह—हर एक चीज़ की भूमिका होती है।

श्री सभापति—I will see that it is regulated.

कु० श्री जसवन्त सिंह—यह मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अपने प्वॉइन्ट पर आने के पहले भूमिका बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किस तरह के कार्य कर रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये तो भूमिका से ही इतने घबरा गये तो जब असली बात कहेंगे तो क्या हाल होगा? (हंसी)

कु० श्री जसवन्त सिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) २-३ दिन से जो वाकया इस सदन के सामने रखा गया है और नाम ले ले कर रखा गया है लेकिन देखने की बात यह है कि सरकारी पक्ष और जिनके नाम ले ले कर कहा गया है उनकी यह हिम्मत नहीं पड़ती है कि वे उनको यहां चेलेन्ज करें।

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी अदम मौजूदगी में नाम लिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर भी अगर वे यहां मोजूद नहीं थे तो पर्सनल एक्स्प्लेशन में कुछ कह सकते हैं।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—अब भी कह सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्लॉज़ १० पर यह भूमिका दे कर अब मैं क्लॉज़ १० पर कुछ कहने को तैयार होता हूँ। तो मुझे यह कहने की जरूरत पड़ जाती है कि डेमोक्रेसी के द्वारा हम स्वप्न देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पर सरकार क्या कह सकती है और क्या करेगी और क्या करने की हिम्मत कर सकती है। यह बात भविष्य के लिये है, राजस्थान की जनता के लिये है। मैं क्लॉज १० पर यह कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे माननीय मित्र जोधपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने फरमाया कि अगर हमें राजस्थान की जनता को न्याय देना है तो सस्ता न्याय देना बहुत आवश्यक है। यहां की जनता की माली हालत और इकोनोमिक कन्डीशन्स दिन पर दिन गिरती जा रही है और जो जो विस्तार खण्ड या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स या इस तरह की चीजों में केन्द्रीय सरकार से जो रूपया आया है उनको भी एक ही भावना से लगाने के कारण बहुत से ऐसे क्षेत्र रह जाते हैं जिनमें किसी प्रकार की इमदाद नहीं मिली है। इस बात का कारण यह होता है कि आर्थिक स्थिति जनता की दिन पर दिन गिरती जा रही है ; चाहे भारतवर्ष में और कितनी ही तरक्की हो, लेकिन राजस्थान में बहुत सी जगह ऐसी मिलेंगी जहां कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि अब खत्म हो गई है उसमें से एक पैसा भी उनको नहीं दिया गया है, यह मैं बतलाने के लिये तैयार हूँ। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होगा या नहीं होगा ? जहां जातीयता या क्षेत्रीयता कार्य करे, यह देखने की बात है। तो क्लॉज़ १० में यह जो जयपुर का नाम उल्लेख किया हुआ है और दूसरे माननीय सदस्य ने जोधपुर का नाम भी उल्लेख करने का जिक्र किया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है लेकिन क्षेत्र के लिहाज से राजस्थान के एक कोने में आ गया है और राजस्थान का क्षेत्रफल इतना लम्बा-चौड़ा है कि बीकानेर डिवीज़न के गंगानगर क्षेत्र से आने वाले कृषकों को या दूसरे कार्य करने वाले जो व्यक्ति होंगे उनको कितनी दिक्कत से जयपुर पहुँचना पड़ता है, जैसलमेर से आने में कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है ? तो जयपुर को कितना ही उन्नत करो और उसकी कितनी ही उन्नति हो, लेकिन जनता का कोई लाभ नहीं होता है। एक जगह सब चीजें सेन्ट्रलाइज़ करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मैं यह साफ कर देना चाहता हूँ कि जयपुर में रेवेन्यू बोर्ड की सीट रखने से तो बिल्कुल गलत बात होगी, और इसमें एक क्षेत्रीय भावना हो सकती है। यह एक केपिटल है हर तरह की यहां सुविधा है। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड गरीब आदमियों के केसेज़ को तय करता है। खास तौर से काश्तकारों के मामले बहुत ज्यादा रेवेन्यू बोर्ड में आते हैं। तो मेरे ख्याल में उपयुक्त तो यह होगा कि रेवेन्यू बोर्ड की सीट ऐसे सेन्ट्रल स्थान पर होनी चाहिये जहां कि हरेक की आसानी से पहुँच हो सके। इसकी २, ३ जगह सीट्स की जाय चाहे मेम्बर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड की तादाद बढ़ाई जाय, मगर ऐसे स्थान पर वह हो कि जहां गरीब काश्तकारों की पहुँच आसानी से हो और न्याय उनको आसानी से मिल सके। जयपुर में उसकी सीट रखना बिल्कुल ही अनुचित बात होगी। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि काम रखने के बजाय यह निर्धारित किया जाय कि जो सीट रेवेन्यू बोर्ड की हो वह सेन्ट्रल स्थान पर हो और जरूरी हो तो एक या दो जगह पर हो, लेकिन जयपुर जैसे स्थान पर जो कि बिल्कुल राजस्थान के एक कोने में पड़ता है वहां पर काश्तकारों को आते हुए बड़ी दुविधा होगी, और बड़ा उनको खर्च पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—बीकानेर में कैसा रहेगा ?

कु'० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर के बारे में चूंकि माननीय मन्त्री जी की तरफ से मुझे उत्तेजना दी गई है कुछ और बात कहने के लिए। बहतर तो यह था कि वे यह सवाल मुझसे नहीं पूछते। परन्तु दुर्भाग्यवश यह जो पार्टी पोलिटिक्स और जो जातीयता और क्षेत्रीयता का सवाल है वह बीकानेर में अभी तक नहीं आया है। इस बात से बीकानेर अभी ऊपर रहा है। बीकानेर का मैं इसमें दुर्भाग्य नहीं समझता कि इस वक्त की और जो पहले की सरकारें आई हैं उन्होंने बीकानेर को कोई न्याय की दृष्टि से देखा हो तो मैं यह आशा ही नहीं कर सकता कि बीकानेर का नाम लूं। बीकानेर का नाम मैंने इसीलिये जान-बूझकर नहीं लिया। बीकानेर का नाम आज के ढांचे में लेना बिल्कुल फिजूल है। बीकानेर तो सिर्फ राजस्थान की कामधेनु है। बीकानेर को उसके बदले में देना तो सरकार कभी सोच ही नहीं सकती। जब से राजस्थान बना है तब से देखें तो राजस्थान को पैसा और माल बीकानेर से ही मिला है, बदले में कुछ नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माल और पैसे के लिये नहीं पूछा है।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर में अगर गंग केनाल नहीं होती तो पिछले ३, ४ या ५ साल, जब से कि राजस्थान बना है उसमें ऐसे भी मौके आये हैं कि राजस्थान उस वक्त भूखों मर जाता। सिर्फ बीकानेर की ही बदौलत राजस्थान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और अपनी डींग मार रहा है। जब कि केन्द्रीय सरकार से जो पैसा मुफ्त में मिला है तो उसको बड़ी बेरहमी से दूसरी जगह ले जाया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय सभापति, इस क्लॉज़ १० के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि उनको इस क्लॉज़ पर आपत्ति क्या है? क्लॉज़ १० जैसा कि रखा गया है उसमें सिलेक्ट कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आवश्यकता के मुताबिक सर्किट कोर्ट की तरह पर रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स बेन्च में या सिंगल में बैठ सकेंगे और मुकद्दमात का फैसला कर सकेंगे। यह उनके लिये कानूनी वाजिब होगा। गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से प्रेस्क्राइब कर दे कि फलां जगह सर्किट कोर्ट की तरह बैठेगी। यह कहना कि न्याय नहीं होगा, गलत है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड में काम ज्यादा है तो सर्किट कोर्ट की तरह डिवीज़नल हैडक्वार्टर पर जरूरत के मुताबिक या रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स अपनी कोर्ट होल्ड करते रहते हैं और वह मुकद्दमात का फैसला करते रहे हैं। इसलिये यह कहना कि किसानों को यहां आने में दिक्कत होगी, किसान परेशान होंगे और इतनी किसानों की एडवोकेसी करने की, मेरे ख्याल से, इसमें आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी प्रोवीज़न रखा हुआ है। जहां आवश्यकता है वहां रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बेन्च के तौर पर या सिंगल, जिस तरह की सर्किट कोर्ट हैं डिवीज़नल हैडक्वार्टर पर मुकद्दमात सुन सकेंगे और फैसला कर सकेंगे। यह तो एक जरूरी चीज है। जिस कोर्ट का हैडक्वार्टर जहां होता है उसके अलावा वह कहीं कोर्ट होल्ड करे तो it will be lawful for them; उसको लीगेलाइज़ करना जरूरी होता है और उसी के लिये यह क्लॉज़ रखा गया है और उसके लिये गवर्नमेंट को पॉवर्स दी गई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सर्किट कोर्ट्स के लिये कौनसी क्लॉज़ कोट (Quote) कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं क्लॉज १० के बारे में कह रहा हूँ ; ठीक तरह से समझने की कोशिश करिये, स्टेट गवर्नमेंट को ठीक समझिये···

श्री भैंरूसिंह—'Circuit Court' does not mean this ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Have you referred to distionary to find out what is meant by 'Circuit Court' ? I only mean to say that.

रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स जहां आवश्यकता हो वहां कोर्ट होल्ड कर सकते हैं, that is lawful for them. क्लॉज १० का यही इन्टरप्रिटेशन है। आपने मेरे ख्याल से गलत समझा। That will be lawful for them कि दूसरी जगह कोर्ट होल्ड कर सकते हैं। उनके लिए जायज होगा कि किसी भी स्थान पर, जहां स्टेट गवर्नमेंट बतावे वहां जाकर केसेज़ की सुनवाई कर सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चाहे तो, not mandatory.

श्री दामोदरलाल व्यास--जी हां, चाहे तो; तभी का सवाल है। यह मुकद्दमात पर मुनस्सर होता है। जहां अधिक मुकद्दमे होते हैं वही सर्किट कोर्ट हो सकता है। यदि यह रखें कि जयपुर या जोधपुर या उदयपुर ही भेजा जाय तो यह ठीक नहीं होगा। मुकद्दमों की हालत देखते हुये जरूरत पर वख्तन-फवख्तन सरकार ऐसे ऑर्डर देगी। राजस्थान के मौजूदा रेवेन्यू बोर्ड के कानून में भी यही प्रोविजन है और दूसरी जगह भी ऐसा ही प्रोविजन है। यू. पी. में भी इसी प्रकार का प्रोविजन है। वहां भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स जगह-जगह डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर जाते हैं और इसमें क्षेत्रीय भावनाएं और कई प्रकार की भावनाएं, जैसी कि सदस्यों ने बताईं वैसी कोई भावनाएं नहीं हैं। भावना केवल यह है कि जनता को सस्ता और जल्दी न्याय मिले और वहां मिले जहां वे सहूलियत से पहुँच सकते हैं। इसी भावना से इसे रखा गया है। इसीलिये यहां माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंट पेश किये हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स अपनी मोटरों और बंगलों को छोड़कर बाहर जाना पसन्द नहीं करेंगे और दूसरी तरफ यह रखा जाता है कि मुकद्दमों के नम्बर को देखकर जहां चाहे कोर्ट होल्ड करें। गवर्नमेंट के पास यह पॉवर इसलिये रखी गई है कि मुकद्दमों की तादाद को देखकर, जनता की सहूलियत को मद्देनजर रख कर वह रेवेन्यू बोर्ड को आदेश दे सकती है कि डिविजनल हैडक्वार्टर में जहां-जहां मुकद्दमों की तादाद ज्यादा हो वहां जाकर कोर्ट होल्ड करके फैसले करो। इसलिये मैं दोनों संशोधनों को गैर जरूरी समझता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि प्रोविजन जो बिल में रखा गया है वह ठीक है। जो बातें उन्होंने बताई हैं वे मौजूद हैं इसलिये इन अमेंडमेंट्स की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के विषय में राजस्व मंत्री ने अपने विचार व्यक्त किये उन विचारों में जहां तक सस्ता न्याय देने का, सहूलियत से न्याय प्रदान करने की विचारधारा है वहां तक मैं भी उनका समर्थक हूँ, लेकिन सस्ता न्याय देने का कानून बनावें उसकी बनावट में मेरा मतभेद है। मैंने जो बातें संशोधन में बताई थीं उनका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला इसलिये दुबारा बताने की आवश्यकता पड़ गई है। मैंने जो संशोधन दिया है उसको यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते तो उनको मालूम होता कि जयपुर और जोधपुर दो जगह के नाम तो आ जांय और इन दो जगह तो बोर्ड की बैठक हो ही ..."or at any other place which the State Government thinks necessary."

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने यह अर्ज कर दिया है कि डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स में जहां जरूरत होगी वहीं कोर्ट होल्ड किया जा सकेगा इसलिये जोधपुर को एक्सक्ल्यूड कर दिया। जहां भी जरूरत हो वहीं कोर्ट हो सकता है। इसलिये मैंने उस नाम को अवोइड नहीं किया है। "at any other place" में सब आ जाते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह प्रोवाइड कर दीजिये : "All divisional headquarters and other places."

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब कर देगी वहीं हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह—(जारी) मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको सुनकर जवाब देते तो यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने कहा कि जोधपुर और जयपुर में हो और आगे जो चीज है "but subject to the general or special orders of the State Government it shall be lawful for this Board to sit at any place within its jurisdiction." तो यदि इन दो जगहों के अलावा भी यदि सरकार समझती है कि उदयपुर में कुछ काम करना है तो वहां सर्किट कोर्ट हो सकता है। कोटा में कोई काम करना है तो वहां भी कोर्ट होल्ड की जा सकती है। दो स्थान तो नियुक्त कर दें, उनके अलावा सरकार आवश्यक समझे तो किसी भी डिवीज़न में जावें और वहां न्याय प्रदान करें। मेरा संशोधन केवल यह है कि जयपुर और जोधपुर दो जगह रख दी जावें और बाकी किसी भी डिविज़न में कभी भी कोर्ट होल्ड हो सकती है, यह अधिकार तो रहता ही है। मेरे संशोधन से यह अधिकार खत्म होता हो ऐसी बात नहीं है। मुझे यह ख्याल होने लगा कि शायद आपने यह मतलब लिया है कि जोधपुर और जयपुर के अलावा और कहीं कोर्ट नहीं होगा, कहीं भी कोर्ट कर सकते हैं। आप इस प्रकार की भावना निकाल दें। मेरा मुख्य मतलब यह है कि जयपुर और जोधपुर में तो हो ही और उसके अलावा जहां उचित समझें कोटा में या उदयपुर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर लें। मेरे संशोधन का संतोषजनक उत्तर है। ऐसी चीज नहीं है इसलिये मैं दुबारा कहूंगा कि जिस प्रकार रेवेन्यू बोर्ड के कांस्टिट्यूशन, सर्विसेज, डिस्मिसल आदि की क्लॉज़ेज़

[श्री भैरोंसिंह]

को डेफर किया है उसी तरह इस क्लॉज़ को भी डेफर करें। माननीय राजस्व मन्त्री जिस समय विचार करेंगे कि रेवेन्यू बोर्ड का कांस्टिट्यूशन किस तरह हो, उसमें कितने मेम्बर हों; आदि के बारे में जब निर्णय हो उस समय इसका भी निर्णय करें। इसलिये निवेदन करूंगा कि जो क्लॉज़ेज़ डेफर की हैं उनको देखते हुये इस पर विचार किया तो प्रेजुडिस माइन्ड होगा। मेरा संशोधन है कि रेवेन्यू बोर्ड में ६ मेम्बर होने चाहिये, उसको डेफर किया है। जोधपुर में सीट रहे या नहीं इसको भी डेफर कर विचार कर लें। इस पर स्वतन्त्र विचार नहीं करेंगे तो माइन्ड प्रेजुडिस्ड होगा। और वे कहेंगे कि ३ ही मेम्बर होने चाहिये। इसलिए मैं कहूँगा कि रेवेन्यू बोर्ड के कांस्टिट्यूशन के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण क्लॉज है। इस पर ठन्डे दिल से विचार करने के लिये सहयोगियों से विचार-विमर्ष करने के बाद इस पर विचार करें। जिस तरह दूसरे क्लॉजेज़ डेफर की गई हैं उसी तरह इसको भी डेफर करने के बाद में विचार कर लिया जायगा। इस दृष्टिकोण को सामने रखकर मैं कहूँगा कि या तो इसे डेफर करलें या स्वीकार करलें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय सभापति, असली जवाब तो मुझे ही देना है। राजस्व मन्त्री जी को सुनने से पहले मैं महसूस करता था कि कानून के मामलात में वे बहुत कुछ योग्यता रखते हैं। अब अफसोस के साथ मुझे अपनी राय बदलनी पड़ रही है क्योंकि उन्होंने बराबर इस क्लॉज को पढ़ा नहीं है, इसलिए उनकी मदद के लिये मैं पहले इसे पढ़ देता हूँ.......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—राजस्व मन्त्री तो इसे पाइलोट कर रहे हैं!

श्री हरिकृष्ण व्यास—वे पाइलोट वगैर पतवार के कर रहे हैं। क्लॉज़ इस प्रकार है :

"The headquarters of the Board of Revenue shall be at Jaipur and subject to the general or special order of the State Government it shall be lawful for the Board to sit at any place within its jurisdiction."

श्री सभापति (श्री राज हिम्मतसिंह अटरू)—आपके इसमें "and" है या "but" है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा इसमें संशोधन नहीं, मैंने तो इसमें प्रोविजो एड कराया है, भाषा ठीक कराई है। "It shall be lawful" के बजाय यह रखा है कि "The Board may sit at any place."

अब अगर संजीदगी की भाषा से प्रेम नहीं है तो मैं इसका क्या इलाज करूं? भाषा में पर्फेक्शन लाने के लिये है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें पूरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

यों तो जनरल ऑर्डर इश्यू कर दें और कह दें बोर्ड को कि अमुक अमुक सिलसिले में

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अमुक अमुक जगह तुम्हें बैठना पड़ेगा। इसका उल्लंघन नहीं हो तो बोर्ड चाहे जहां बैठ सकता है। बोर्ड के दिल में आये कि पिलानी की मंगल विहार अच्छी बिल्डिंग है और उनके जुरिस्डिक्शन में है, उनके पास केस हैं या नहीं हैं, वहां जाकर बैठ सकते हैं। आपने बोर्ड को अधिकार दिया है कि तुम्हारे जचे वहीं जाकर बैठ सकते हो; दूसरा, सरकार को अधिकार दिया है कि हमारे जहां जचेगा वहीं बैठने का अधिकार दे देंगे। अगर सरकार की नीयत अच्छी है और बहस के लिये अभी एक मिनिट के लिये मान भी लूं कि सरकार की नीयत अच्छी है...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—नहीं तो नहीं मानेंगे कि अच्छी है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो कभी नहीं मानता।

सरकार ऐसा जनरल ऑर्डर इश्यू करेगी तो मैंने संशोधन यह किया है; क्लॉज १० को डिलीट करने का संशोधन नहीं दिया है, एक अंकुश दिया है :

"Provided that if there are large number of cases from a place or an area, the Board shall sit in that place or area."

फिर "The Board may" ऐसा नहीं है, बोर्ड चाहे तो बैठे, ऐसा नहीं। "The Board shall", यह लाजिमी होगा, जरूरी होगा और कानूनी तौर पर बाध्य होगा कि वह वहीं बैठे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की यह इच्छा हो, बोर्ड को जनरल आदेश दे कि जहां ज्यादा मुकद्दमे हों वहीं सर्किट बोर्ड बनाकर बैठें व राजस्थान सरकार के राजस्व मन्त्री इसका विरोध करें तो यह लज्जात्मक बात है। या तो उनका इन्टेंशन नहीं है और अगर है तो मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये। मेरे संशोधन से सरकार के अधिकारों में, बोर्ड के राइट्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा; केवल एक अंकुश उस पर लगा दिया। आप जवाई बांध जाना चाहें, वहां की वायु का सेवन करना चाहें, वहां सिटिंग करना चाहें तो क्लॉज १० अधिकार देती है; लेकिन मेरा संशोधन अंकुश डालता है कि जवाई बांध जाना है तो जावें, पर जिस तहसील में ज्यादा केसेज़ हैं तो वहां जरूर जावें।

इसलिये राजस्व मन्त्री इस पर पुनः विचार करें और दलील में ऐसा कह देना कि माननीय सदस्य खुद तो बोर्ड के हाथ में अधिकार सौंपने के लिये कहते हैं और क्लॉज १० का विरोध करते हैं...

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह तो जंची नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नीम के थाने से आने वाले मेरे माननीय सदस्य बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—रेस्टलेस तो नहीं हो रहा हूँ, पर यह कह रहा हूँ कि यह जंचो नहीं।

श्री सभापति—आप उनकी ओर ध्यान नहीं दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिन्होंने संशोधन रखा है, उनके यदि ज्यादा केसेज़ हों तो बोर्ड के ऊपर नहीं छोड़ें कि चाहें तो बैठें। ऐसा कम अक्ल का संशोधन रखने वाले सदस्य, मैं तो मानता हूँ कि इस सदन में हैं ही नहीं, पर शायद मानने न मानने वालों में हो सकते हैं।

अगर लार्ज नम्बर में केसेज हैं तो मैन्डेट, रूल्स हों, यह परिवर्तन अंकुश लाता है और जिस नीयत से यह क्लॉज १० पास करना चाहते हैं उस नीयत को कानूनी भाषा देने वाला यह संशोधन है, इसको अस्वीकार न करें ; नहीं तो नीयत खोटी है। यही कह कर इस संशोधन को पेश करता हूँ।

श्री सभापति—I now put these amendments to vote. क्लॉज़ १० पर श्री भैरोंसिंह जी का संशोधन है, उस पर राय ली जाती है।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री सभापति—दुबारा मत लिया जाता है। श्री भैरोंसिंह का क्लॉज़ १० पर संशोधन है। क्या यह सदन को स्वीकार है ?

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति—आप डिविजन चाहते हैं ?

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति—क्लॉज़ नं० १० पर श्री भैरोंसिंह एम० एल० ए०, नं० १६, का संशोधन है; इसके ऊपर मत लिये जाते हैं।

[श्री सभापति]

(पुनः मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Ayes have it, Sir.

श्री सभापति—डिविजन चाहते हैं ?

श्री भैंरूसिंह (वि० सं० १६)—डिविजन में सब हमारे साथ आ जावेंगे।

श्री सभापति—जो 'हां' पक्ष में हों वे एज़ की लोबी में जावेंगे और जो 'ना' के पक्ष में हों वे 'नोज़' की लोबी में जावेंगे।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, ११.२४ पर पदासीन)

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, कमरा काफी बन्द है और ज्यादा संख्या होने से कहीं दम घुटने का प्रश्न नहीं हो जाय ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—The number of votes in favour of the amendment are 23, and those against are 69.

The amendment is lost.

(करतल-ध्वनि-सरकारी पक्ष द्वारा)

(संशोधन के पक्ष में)

१. श्री अवनीकुमार मुकर्जी
२. ,, ले० क० राजाधिराज अमरसिंह
३. ,, ठा० भैंरोंसिंह (बाली देसूरी)
४. ,, भैंरोंसिंह (दांता रामगढ़)
५. ,, भोपालसिंह

६. ,, चतरसिंह
७. ,, छीतरलाल शर्मा
८. ,, गनपतसिंह
६, ,, हनवन्तसिंह
१०. ,, राज हिम्मतसिंह (अटरू)
११. ,, ईश्वरसिंह
१२. ,, जगतसिंह झाला
१३. कुं० श्री जसवन्तसिंह
१४. श्री जवानसिंह सोलंकी
१५. ठा० श्री लक्ष्मणसिंह
१६. श्री मोहब्बतसिंह
१७. ,, नाथूसिंह
१८. ,, प्रतापसिंह (सुजानगढ़)
१६. पं० रूपनारायण शास्त्री
२०. रावराजा श्री सरदारसिंह
२१. रावत श्री शम्भूसिंह
२२. श्री तनसिंह
२३. ,, हरिकृष्ण व्यास

(संशोधन के विपक्ष में)

१. श्री अमृतलाल यादव
२. ,, सरदार अर्जुनसिंह
३. ,, बद्रीलाल
४. ,, बद्रीप्रसाद गुप्ता
५. ,, भगवानसिंह तरंगी
६. मेजर ठा० भैंरोंसिंह (सोजत दूसरी)
७. श्री भैंरोंसिंह (राजसमन्द रेलमगरा)
८. ठा० श्री भानुप्रतापसिंह

Page No.78

९. श्री भीमसिंह
१०. श्री भोगीलाल पंड्या
११. ले० क० कु० श्री बिशनसिंह
१२. पं० चन्द्रकान्तराव
१३. श्री छंगा
१४. ,, चुन्नीलाल बिरला
१५. ,, दामोदर व्यास
१६. ,, दीनबन्धु परमार
१७. कु० श्री देवीसिंह
१८. श्री धूलजी भाई भावसार
१९. ,, धीसीसिंह कटेला
२०. ,, जयसिंह रानावत
२१. ,, जी. सी. कासलीवाल
२२. ,, हंसराज आर्य
२३. ,, हरिराम निनामा
२४. ,, हरिसिंह
२५. सरदार श्री हरलालसिंह
२६. श्री कानसिंह
२७. ,, कंवरलाल जेलिया
२८. ,, कपिलदेव अग्रवाल
२९. ,, कस्तूरचन्द
३०. ,, केशरीसिंह (सोजात खास)
३१. महाराज श्री केशरीसिंह (पाटन)
३२. श्री खेतसिंह
३३. ,, मोहम्मद अब्दुल हादी
३४. ,, चौधरी कुम्भाराम आर्य
३५. ,, लाल बहादुर

Page No.79

सरकार के विपक्ष में

३६. श्री लक्ष्मन हीरात
३७. ,, चांदमल मेहता
३८. ,, माधोलाल मेहार
३९. ,, महादेव प्रसाद बंका
४०. ,, डा० मंगलसिंह (बारी)
४१. ,, मन्ना भील
४२. ,, मनफूलसिंह भादू
४३. रावत श्री मानसिंह
४४. ,, मथुरादास माथुर
४५. मौलवी मोहम्मद इब्राहीम
४६. श्री मोतीचन्द खजान्ची
४७. ,, मोतीलाल चौधरी
४८. ,, मोतीराम
४९. ,, नाथूराम
५०. ,, प्रतापसिंह (चित्तोड़)
५१. ,, प्रभुदयाल
५२. ,, बृजसुन्दर शर्मा
५३. ,, राधाकृष्ण भारू
५४. ,, रामचन्द्र चौधरी
५५. ,, रामकिशोर
५६. ,, रामरतन टिक्कीवाल
५७. ,, रिद्धिचन्द पालीवाल
५८. ,, रोशनलाल शर्मा
५९. केप्टन श्री सज्जनसिंह
६०. श्री अंगदराम
६१. ,, शाह अलीमुद्दीन
६२. ,, श्रीभानसिंह

६३. ,, श्रीगोपाल भार्गव

६४. ,, श्यामलाल गोयल

६५. ,, सोमावालू भील

६६. ,, तेजमल बापना

६७. ,, तेजराजसिंह गैंता

६८. श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल

६९. श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा ।)

अब श्री एच. के व्यास के संशोधन पर मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि श्री व्यास का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आवाज तो 'हां' की ज्यादा थी।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११

श्री दामोदरलाल व्यास—There is one amendment.

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—मैं इसको प्रस्तुत करने की इच्छा नहीं रखता।

सरदार श्री हरलाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ थोड़ा कहना है। भैरूसिंहजी ने मेरे बारे में जो कहा उसका उत्तर मैं देना चाहता हूँ।

(बाधा)

श्री भैरूसिंह जी ने, झुंझुनू जिले में जो महिला समाज केन्द्र चल रहा है, उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं वे सारी बातें सही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, वैसे तो यह बहस के दर्मियान में जब कुछ बातें खिलाफ कही गई हों उस वक्त पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देना चाहते थे दे सकते थे, किन्तु यह बात तो लेट हो गई। आप कहेंगे तो नया विवाद खड़ा हो जाय, फिर भी थोड़ा-बहुत कह दें।

श्री भैरूसिंह—थोड़ी बहुत गलत बातें रही हैं उनको सही सिद्ध करने का माननीय उपाध्यक्ष मुझे अधिकार होगा।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष—कोई नई डिबेट नहीं होगी। इसमें सिर्फ इतनी बात है कि जो फेक्ट्स उनको गलत मालूम हुए हैं शायद उनके मुतल्लिक वे कहेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इस बात पर एतराज करता हूँ कि उन्हें इस ढंग की इजाजत दी जाय। जो कुछ कहा गया, उनके सिलसिले में कुछ नहीं कहा गया। कहा गया है उनके रिश्तेदारों के सिलसिले में, उनकी पत्नी, उनके लड़के, और किसी अन्य सम्बन्धी के सिलसिले में।

(घंटी)

मुझे एतराज है कि उनको इज़ाजत नहीं दी जाय।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप नहीं चाहते हैं क्या कि एक्स्प्लेनेशन हो?

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनको पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने का पूरा अधिकार है। फिर कोई और भी डिबेट में हिस्सा ले सकता है, किसी ने हाथ थोड़े ही पकड़े हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसमें हाथ का क्या काम पड़ेगा, डिबेट में हिस्सा लेना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो मालूम हो जायगा जब जरूरत पड़ेगी तब। माननीय उपाध्यक्ष, यहां जो रूल है उसके तहत मेम्बर के सिलसिले में कोई बात कही गई हो तो वह जवाब देने का अधिकारी है। चूंकि मेम्बर के सिलसिले में कुछ नहीं कहा गया इसलिए मेरी इसमें आपत्ति है।

सरदार श्री हरलाल सिंह—मेरे लिये दो तरह की बातें कही गई हैं......

श्री भैरोंसिंह—अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाया है उसके लिये आपकी रूलिंग होनी चाहिये माननीय उपाध्यक्ष।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त ये बातें कही गईं उस वक्त माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। अगर वे सफाई दे रहे हैं तो उनको आप सुनते क्यों नहीं? जब आप कह सकते हैं तो दूसरे भी कह सकते हैं।

सरदार श्री हरलाल सिंह—एक बात जो कही गई...

श्री भैरूसिंह—रूलिंग हो गई क्या? रूलिंग की प्रतीक्षा माननीय सदस्य को करनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, अगर माननीय सदस्य किसी बात को गलत बतावें तो सही बताने का मौका मुझे भी मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—यह एक्सप्लेनेशन्स देने की जो बात है उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस समय ये बातें हुईं उस समय मैं मौजूद नहीं था। आपके एक्सप्लेनेशन देने से और बहस बढ़ेगी इसलिये मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो महत्व की बात हो वही कहें।

सरदार श्री हरलाल सिंह—महत्व की बात तो यह इसलिये है कि जो बात कही गई और जिस तरीके से कही गई, वह गलत है। इससे यदि बात आगे बढ़ती है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं। इसके जिम्मेदार तो वे हो सकते हैं जो इधर-उधर की बातें मिलाकर कहते हैं, इसका तो मेरे पास इलाज नहीं।

श्री भैरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जिन बातों को ये गलत बतायेंगे क्या उनका मुझे जवाब देने का अधिकार होगा या नहीं?

एक माननीय सदस्य—माननीय उपाध्यक्ष, हम आपकी रूलिंग चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—इनको इजाजत दी गई है कि वे संक्षेप में फेक्ट्स रखें। क्रिटिसिज़्म (आलोचना) में न जावें, सिर्फ वाक्यात जो गलत दिखाई पड़ें, उन्हीं को आप कहें।

Page No.83

श्री भैरूसिंह—गलत बातों को सही करने का अधिकार होगा या नहीं मुझे, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष—अब आगे एक्स्प्लेनेशन्स पर बहस नहीं होगी।

सरदार श्री हरलाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, श्री भैरूसिंहजी ने मेरे लिये कहा...

श्री भैरूसिंह—क्षेत्र का नाम लिया जाता है, सदस्य का नाम नहीं।

एक माननीय सदस्य—आपने भी सरदारजी कहा था ?

सरदार श्री हरलालसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) झुंझुनू में सोश्यल वेलफेअर का काम चल रहा है, इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी की संयोजिका मेरी पत्नी जरूर हैं लेकिन वह अवेतनिक काम करती हैं, किन्तु इसके साथ यह भी बताया गया कि मेरे लड़के की स्त्री कमेटी की सेक्रेटरी है, यह गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह—सेक्रेटरी नहीं तो नर्स तो है ?

सरदार श्री हरलालसिंह—नर्स भी नहीं है, काम भी नहीं करती है। वह यहां है और पढ़ती है, इस संबन्ध में जो भी बातें कही गई वे निर्मूल हैं और गलत हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि मेरा भतीजा मोटर ड्राइवर है। यह बात मैं मन्जूर करता हूँ। वह यहां काम करता था, ट्रेक्टर चलाता था। विश्वसनीय ड्राइवर की जरूरत थी, इसलिए इसको यहां से हटाकर काम पर लगाया गया और काम करते हुए तनख्वाह लेता है, इसे गुनाह नहीं कहा जा सकता

इससे भी ज्यादा इस मामले की और बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए १० बहनों की जरूरत है; पांच तो हमारे पास हैं उसमें मेरी लड़की भी काम कर रही है। मेरी लड़की यहां सरकारी सर्विस में थी। उसे इस्तीफा दिलवाकर जब कि और लड़कियां नहीं मिल रही थीं मैंने अपनी लड़की को इसमें रखा। पांच बहनों की और आवश्यकता है, अगर श्री भैरोंसिंह जी पांच को और भेज सकें तो उनको काम करने का मौका मिल सकता है। इस प्रकार जो भी मिश्रित बातें बनाकर यहां कही गयीं वे उचित प्रतीत नहीं होतीं। खैर, यह तो उनकी आदत है।

इसके साथ साथ कॉआपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी बातें कहीं गईं। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि इसके १६ सदस्य हैं। इसमें कितनी जमीन है यह तो मुझे ठीक से याद नहीं, किन्तु जैसा कि एक सदस्य ने फरमाया ३५० बीघा है मैं भी ३५० बीघा ही मानकर चलता हूँ...

श्री हरकृष्ण खोरा—३४६ बीघा है एग्ज़क्ट।

सरदार श्री हरलालसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह जो सोसाइटी बनी है उसमें १६ सदस्य हैं। इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, इसके कागज़ात साल भर तक चले थे। इस तरह से इसकी खानापूर्ति हो गई। अपने कायदे के मुताबिक जांच करके इसको जमीन दी गई। यह भी कहा गया कि इसमें से बहुत से पेड़ काट लिये गये। यह ठीक बात है, पड़त जमीन थी, पेड़ थे; उनमें से कुछ को काटा गया क्योंकि इसके बिना उसमें हल नहीं चल सकता था। यह भी कहा गया कि कीमत कम दी गई। सरकार ने इस जमीन की कीमत ५,५०० रूपया तय की थी। मैंने सोसाइटी को ५ हजार रूपया तो इस जमीन की कीमत के दे दिये, सिर्फ ५०० रूपया बकाया है। यह बात बिल्कुल गलत है कि लीडरी के नाम से, लीडरी के धौंस से जमीन मिली, यह बात नहीं। इस सोसाइटी के १६ सदस्यों में मेरा लड़का भी है। इसके अलावा उसमें मेरे दामाद भी हैं जिनका भरतपुर में गांव था। वह गांव खालसा हो गया, वे खुदकाश्त जमीन लेने के हकदार हैं। उनको वहां जमीन नहीं मिली। वे एग्रीकल्चर में बी. एस सी. हैं। सोसाइटी का काम ठीक से चल सके इसलिये उनको इसमें लिया गया। बाकी जितने भी सदस्य हैं उनका मेरे साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं। या तो इस प्रकार की बातें राष्ट्रदूत में ही छपती हैं या। भैंरोंसिंह जी कहने के लिए बड़े गर्व के साथ ये बातें कह देते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जितनी भी बातें कही गईं वे सारी सारी असत्य और निराधार कही गई हैं। असली बातें जो थीं वे मैंने स्पष्ट कर दी है। वैसे भैंरूसिंह जी मेरे नजदीकी मित्र हैं...

श्री भैंरोंसिंह—आप नाम मत लीजिये।

सरदार श्री हरलालसिंह—क्योंकि आप मेरे बहुत नजदीकी मित्र हैं इसलिये आपका नाम आ ही जाता है। माननीय भैंरोंसिंह जी, जो दांता रामगढ़ से आये हैं, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। वे मेरे नजदीकी मित्र हैं, फिर वे इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? यह इसलिये कि माननीय सदस्य श्री भैंरोंसिंह जी जब सीकर में थानेदार थे तो वहां से वे डिस्मिस हो गये। उस मामले में उन्होंने मुझसे मदद चाही और मैं उनको मदद नहीं दे सका। इसलिये वे विशेष कृपा रख रहे हैं।

श्री भीमसिंह—आप किन भैंरोंसिंह जी का जिक्र कर रहे हैं? हाउस में दो-तीन हैं।

श्री भैंरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मुझ पर चार्ज लगाया गया है। मुझे अधिकार है कि पर्सनल जो चार्ज लगाया है उसका स्पष्टीकरण करूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस तरह से पर्सनल बातों का जवाब दिया जायगा तो हाउस का काम कैसे चलेगा?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—फिर हम लोगों को तो जाने की इजाजत दीजिये।

श्री भैरोंसिंह—मेरे ऊपर जो पर्सनल चार्ज लगाया गया है उसका उत्तर देने का मुझे अधिकार है।

एक माननीय सदस्य—उसका उत्तर फिर सरदारजी भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—चार्ज एक दूसरे पर लगाना और उत्तर देना, यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। (श्री भैरोंसिंह से) आप पर जो पर्सनल चार्ज लगाया गया है उसके बारे में बिल्कुल मुद्दे की बात एक ही मिनिट में कह दें।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, सरदार जी के लिये जो महिला समाज कल्याण बोर्ड की बात कही गई उसमें उन्होंने अपनी स्त्री के बारे में, अपनी लड़की के बारे में और अपने भतीजे की बात को मंजूर कर लिया···

श्री उपाध्यक्ष—आप सारी बातों के एक्स्प्लेनेशन में मत जाइये।

श्री भैरोंसिंह—उन्होंने रेखसिंह के बारे में, जो उनका छोटा लड़का है, जो समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य है, कुछ नही कहा। मैं उनको चेलेन्ज देता हूँ और वे स्वीकार करें कि उनका लड़का समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य है। मैं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ सरकारी। हो सकता है कि वे आज जाकर उनका नाम हटवा सकते हैं किन्तु कल तक तो वे सदस्य थे··

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी ही बात कहिये।

श्री भैरोंसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरे लिये यह कहा गया कि मैं सीकर में थानेदार था और मुझे डिस्मिस किया गया। मैं इसके सम्बन्ध में उनकी पार्टी से सम्बन्धित एक पुस्तक का उदाहरण पेश करूंगा। कांग्रेस की ओर से 'राजस्थान में कांग्रेस के तीन वर्ष' नामक एक पुस्तिका निकली है जिसमें यह लिखा है कि श्री भैंरोंसिंह जी सीकर में सब इन्सपेक्टर थे, उनको काफी प्रशंसा-पत्र मिले हैं। पुलिस का मेरा रेकर्ड प्रशंसा का है। यह इस बात का प्रमाण है कि मेरा पुलिस का रेकर्ड प्रशंसा का रहा है। अगर आपको इसमें शंका हो तो आप वह पुस्तिका मंगाकर देख सकते हैं।

सरदार श्री हरिलाल सिंह—मैंने चार्ज लगाया··

(ऑर्डर सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष—यह तो उत्तर दे दिया न आपने ?

श्री भैरोंसिंह—On a point of·· ···

Page No.86

श्री उपाध्यक्ष—Order please ! Order please !!

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह—On a point of explanation, Sir,......

श्री उपाध्यक्ष—No explanation...

श्री भैरोंसिंह—On a personal.........

(घंटी)

सरदार श्री हरलालसिंह—महिला मण्डल ...

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !! डिबेट आपस में ही न करिये ।

श्री भैरोंसिंह—On a point of.........

(सरकारी पक्ष से 'ऑर्डर ऑर्डर' की आवाजें , निरन्तर आवाजें)

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir,.........

श्री उपाध्यक्ष—There is no point of order, Sir.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, On a point of order.

I have a point of order and that is this, that whether it is an Assem bly or a rowdy house ? Only the Chair can control any disorder, but it is not known how, on the opposit side, they are usurping the authority of the speaker. If the Speaker or the Deputy Speaker, or anyboy in the Chair thinks that any member goes irrelevent it is his duty to stop him. This is never seen anywhere. If they are capable of doing these things, we are also (Hear, Hear) capable of doing the same thihg. We can also pay them in the same coins. If they do not want to meet, we do not care. It is the Government which is going to lose. If they want to fight we can also fight them on equel grounds and man-to-man.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हम क्या कमजोर हैं साहब ? This is his challenge.

श्री उपाध्यक्ष—यह जो उधर की तरफ से पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के समर्थन में लोगों ने

[श्री उपाध्यक्ष]

आवाजें उठाईं तो आज दफा ऐसा होता है कि जब पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को कोई भी सदस्य न मानकर बोलता रहे तो सदन का यह फर्ज होता है कि उसको ऑर्डर में लावे। इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि साधारण तौर पर वैसा है नहीं, जैसा नहीं करने का होता है।

श्री भैरोंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर दूसरे विषय में है, वह आप सुन तो लीजिये।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आपका कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। क्लॉज़ पर बहस हो रही है आप उस पर बोलिये और पोइन्ट उठाने का जो सारा विषय है वह यहां नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने का जो विषय है वह यह है कि कांग्रेस रेकॉर्ड्स से मेरी सर्विसेज़ को एप्रिशियेट किया गया है और वह सारी चीज़ प्रकट है। उसके विपरीत भी जब कोई मेरे खिलाफ झूठा प्रचार किया जावे तो मुझे अधिकार है कि मैं उसका प्रतिवाद करूं और यहां झूठी बातें कहीं गई हैं मेरे खिलाफ इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जो कुछ कहा गया है और जो झूठे शब्द और लांछन मेरे प्रति लगाये गये हैं उन शब्दों को आज की सदन की प्रोसीडिंग्ज़ से हटाया जावे। यह मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। वह कांग्रेस के तीन वर्ष नामकी किताब अभी मंगा कर देख ली जावे कि उसमें मेरे प्रति क्या कहा गया है और मेरी सर्विसज़ की किन शब्दों में तारीफ की गई है। उसके विपरीत आज ये गलत प्रचार यहां कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—Order please !

श्री भैरोंसिंह—तो इन शब्दों के हटाये जाने के बारे में आपकी क्या आज्ञा है ?

श्री उपाध्यक्ष—हटाये जाने की आज्ञा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—यह मेरा पर्सनल करेक्टर का मामला है। मैं आपसे अपील करूंगा कि इन तथ्यों के बारे में जो कुछ आपको कहना हो कह दें, वे भी जो कुछ कहना हो और कह दें और फिर मेरा जवाब हासिल करने के बाद उसको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दें।

(ऑर्डर सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष— Amendment on the clause, Shri Ten Singh.

Page No.88

श्री भैरोंसिंह—श्रोन ए पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर.......

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, इसके मुतल्लिक मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो वाकया इस वक्त सदन में गुजरा है वह एक बहुत सीरियस चीज़ बन गई है और अगर इस प्रकार के एक दूसरे पर किये गये आक्षेपों का निपटारा नहीं होगा तो हम नहीं समझते कि हम इस प्रकार चलते चलते न जाने कहां पर पहुंच जावेंगे ! तो अगर आप इस पर विचार करें तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्पीकर साहब के पास पहुंचेंगे और अगर वहां भी कुछ नहीं होगा तो यह होगा कि एक परम्परा ऐसी स्थापित हो जायगी जिस पर हमारे उधर के बैठने वाले साथी हम पर निरन्तर आक्षेप लगावेंगे; ऐसे हमारी तरफ वाले भी उन पर लगावेंगे उलटकर उन्हीं के शब्दों में और यह एक अशोभनीय परम्परा बन जावेगी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे आप रोकें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस के अन्दर कई दफा बहस के दर्मियान में ऐसा देखा गया है कि सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध कुछ आरोप लगाते हैं और वे बाज दफे तो ऐसे होते हैं कि जो सरसरी तौर पर होते हैं और बाज दफे ऐसे होते हैं कि स्पष्ट और प्रकट रूप से आक्षेपात्मक होते हैं। लेकिन चूंकि उनका यहां पर कोई कोर्ट नहीं है कि उनकी उजरात सुनकर उन पर कोई फैसला लिया जावे और फिर उनकी आपस की गरम गरम बहस को चलने दिया जावे और फिर दोनों तरफ से एक दूसरे का समर्थन हो तो इससे, बजाय हाउस का काम होने के, सारा हाउस उनके आपस के व्यक्तिगत झगड़ों के रूप में बदल जावेगा। इसलिये इस किस्म की बहस को आगे बढ़ने में रोक होनी चाहिये। इसलिए सदन के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से यह निवेदन है कि वे इस काम में मेरी मदद करें। अगर किसी ने एक गलत बात कही है और दूसरा अगर उसका उत्तर नहीं देता है तो इससे वह गलत कही गई बात कोई सही नही हो जाती है और अगर जवाब देते हैं तो दूसरा फिर उसका उत्तर देने को खड़ा होता है और वह अगर कुछ कड़ी भाषा में देता है तो दूसरा फिर उसी कड़ी भाषा में उत्तर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह सिलसिला चलता ही रहेगा और यह सिलसिला अगर चला तो वह आपको कहां पर ले जावेगा यह कोई नहीं कह सकता। इसलिये इसे तो जहां का तहां ही रोक देना चाहिये और रोक देने से आगे की सद्‌भावनाएं बनी रहती हैं। इस दृष्टि से इस बहस को मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया और मेरे ख्याल से पहले इसको जो थोड़ा सा बढ़ने भी दिया वह भी कुछ ज्यादा ही था। (हंसी) इसलिए अब इसको आगे बढ़ने देना माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से, पसन्द नहीं करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे ख्याल से झगड़े की बात तो रह ही गई। जो भावनाएं माननीय उपाध्यक्ष ने व्यक्त की हैं उनको देखते हुए एक माननीय सदस्य के कैरेक्टर पर इस प्रकार का कोई दूसरा सदस्य इल्जाम लगावे...

श्री उपाध्यक्ष—Order please !

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं इल्जाम के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। मैं फर्दर डिसकशन की बात भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ कि एक माननीय सदस्य ने उन शब्दों के एक्सपन्ज की बात कही थी उसके बारे में दरख्वास्त की थी कि इस पर...

श्री उपाध्यक्ष—दूसरों की राय की जरूरत नहीं है उसमें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर एक्सपन्ज कर दी जावे। झगड़े की फिर जड़ ही मिट जावेगी और अगर एक को मौका दिया गया और वह एक पर इल्जाम लगाए और दूसरा जो कहे उस पर गौर न किया जावे तो यह झगड़ा तो होगा, यहां होगा और लगातार होगा और हाउस के बाहर भी होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह होगा माननीय उपाध्यक्षजी और हम एक एक सदस्य के खिलाफ आवाजें उठावेंगे। वे हमारे खिलाफ (चार्ज) लगावेंगे तो हम भी जरूर उनके एक एक के खिलाफ (चार्ज) लगावेंगे।

(घंटी, लगातार घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—Order please! Order!!

श्री मुक्तिलाल मोदी—वह यहां बन्द कर दीजिये।

(घंटी एवं हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं निवेदन करूं कि इससे सदन में बहुत झगड़ा फैलेगा। एक दिन होगा, फिर दूसरे दिन होगा।

श्री उपाध्यक्ष—Order! Order!!

(सरकारी पक्ष की ओर से भी "ऑर्डर ऑर्डर" की लगातार आवाजें)

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, जिस पुस्तक में मेरी सर्विसेज़ के बारे में जिक्र किया गया है उसको देखने के लिए अपील करता हूँ। कांग्रेस की सरकार ने खुद ने मेरी सर्विसेज़ की प्रशंसा की है।

श्री उपाध्यक्ष—यह चार्ज की सफाई नहीं मांगी जा रही है और न देने की आवश्यकता ही है। जो बात थी उसका उत्तर आपने दे दिया कि गलत है। बस किस्सा खतम हो गया। यहां कोई न तो कोई है, न कोई केस फाइल हुआ है, न जवाब-दावा मांगा जाने वाला है, और न कोई

[श्री उपाध्यक्ष]

चार्जशीट बनने वाला है। इसलिए इस बहस को सिर्फ बहस के लिये नहीं किया जावे। यह मेरी दख्वास्त है।

श्री भैरुसिंह (वि०सं० १६)— माननीय उपाध्यक्ष जी, जो चार्ज लगाया गया है वह उनके रेकार्ड से गलत है इसलिए उसको प्रोसीडिंग्स से एक्सपन्ज किया जाय। यह मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष— आपने कह दिया यह रेकार्ड में आ गया है।

श्री भैरुसिंह— नहीं, इसको एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास— इसकी जांच कराई जाय। बाद में निर्णय किया जाय कि जो गलत हो वह हटा दिया जाय।

श्री मुक्ति लाल मोदी— इन्होंने भी वह बातें कह दी हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order Please, यह एक दूसरे की मदद को दोहराने की बात नहीं है। अगर किसी को मेरे डिसीज़न के खिलाफ कुछ कहना है तो वह लिखकर स्पीकर साहब से एप्रोच करें और फिर जैसा उसके बारे में उचित मार्ग है वह हो जायगा।

श्री भैरुसिंह— मुझे थोडी सी रिक्वेस्ट करनी है, माननीय उपाध्यक्ष। सरदारजी ने मेरे खिलाफ कहा था कि उन्होंने मुझे मदद नहीं दी थी तो वह मदद देते कैसे ? × ×
× × × × × × × × × × ×
("हियर, हियर" और विरोधी पक्ष की ओर से तुमुल करतलध्वनि)

कु: श्री जसवन्तसिंह— On a point of Order Sir...

श्री उपाध्यक्ष— Order please ! एक चार्ज लगायेगा और दूसरा काउन्टर चार्ज लगायेगा। आप इसको पर्स्यु करना चाहते हैं।

श्री भोगी लाल पंड्या— माननीय उपाध्यक्षजी, इस बात पर वाद विवाद यहां सदन में करना उचित नहीं है और मैं तो यही उचित समझता हूँ कि दोनों ओर से एक दूसरे पर जो आरोप लगाये हैं वे दोनों अपने २ आरोपों को वापिस लेलें और आज की प्रोसीडिंग्ज में से उनको हटा दिया जाय।

(दोनों पक्षों की ओर से करतलध्वनि)

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाया गया।

कुं. श्री जसवन्तसिंह— अगर वापिस नहीं लें तो एक्सपन्ज दोनों चीजें हों।

सरदार श्री हरलाल सिंह— जिस वक्त वे बोलते हैं तो रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— दोनों को ही हटाया जाना ठीक रहता है।

श्री उपाध्यक्ष—दोनों के चार्जेज़ जो एतराज के काबिल हों वे हटा दिये जायं।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर, हियर")

सरदार श्री हरलाल सिंह— मैंने तो यही कहा था कि वह सही बात है, रेकॉर्ड से साबित है। गलत बात नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष— Order please ! (विरोधी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

मैंने उसमें साफ कह दिया है कि जो काबिल एतराज होंगे वे हटा दिये जायंगे। यह सही कहा है कि जो कहा गया है, वह सारी की सारी बातें हटा दी जायंगी। इसलिये काबिले एतराज की बात को हटा दिया जायगा।

सरदार श्री हरलाल सिंह— अभी आप कह देते है...

श्री उपाध्यक्ष— Order ! Order !!

(विरोधी पक्ष की ओर से 'ऑर्डर, ऑर्डर' और बैठ जाओ की आवाजें)

Now we take clause 11, इस क्लॉज़ पर किसी को कुछ कहना है। (विराम) कोई नहीं है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ को विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री भैरुसिंह— माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ...

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री)— माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो एमेन्डमेंट श्री भैरुंसिंहजी ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— वह मूव करें तो स्वीकार करेंगे या बगैर मूव किये ही ।

श्री तनसिंह— मान लिया कि हम इसका विरोध करें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— मान लीजिये कि सदन इसको स्वीकार नहीं करे ।

श्री उपाध्यक्ष— आप मिनिस्टर हैं, आपने संशोधन को स्वीकार किया है ।

श्री तनसिंह— उनके स्वीकार करने से प्रश्न हल नहीं होता, हम उसका विरोध करेंगे ।

श्री भैरुंसिंह— माननीय उपाध्यक्षजी, क्लाज १२ पर मेरा संशोधन इस प्रकार है ।

"Delete the words: 'Subject to the provisons of any special law for the time being in force in the whole or any part of Rajasthan' "

माननीय उपाध्यक्षजी, हम बोर्ड की चर्चा करीब एक सप्ताह से कर रहे हैं और यह भी हमने माना है कि रेवेन्यु के मेटर्स में यह रेवेन्यु बोर्ड सर्वोच्च सत्ता होगी । उस सर्वोच्च सत्ता को मानने में यह जो ३, ४ शब्द हैं, "Snbject to the provisions of any special law" यह कुछ खतरे की घंटी की आवाज़ देते हैं । हमने एक तरफ उनको अधिकार दे दिया कि रेवेन्यू के मेटर्स में रेवेन्यू बोर्ड को ऊंची सत्ता मानलें, जो आगे जाकर सेक्शन २२ में उनको बताया है कि किस किस तरह के मेटर्स रेवेन्यू बोर्ड में जायेंगे । उन सब को क्लाँज १२ के साथ पढ़ा जाय तो सारे के सारे शब्द बिल्कुल गलत हैं, उनमें बिल्कुल ही सैन्स नहीं है । आगे जिस खतरे की घंटी के बजने के खिलाफ हमने इस सदन में आवाज़ बुलन्द की है, वही खतरे की घंटी इसमें मौजूद है । मैं आभारी हूँ कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने मेरे संशोधन को स्वीकार करने की अनुमति दी है । अब सदन इस पर बहस करना चाहे तो करे । संशोधन स्वीकार करने की जो स्पिरिट दिखाई है इसके लिए मैं उनको दुबारा धन्यवाद देता हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय ।

[श्री उपाध्यक्ष]

(एक मत से स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज. १२ को, संशोधित रुप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज. १३

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज १३, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज १३ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :—"Line 1 : insert the words, 'including postings and transfers' between the words 'superintendence' and 'and' ".

मौजूदा क्लॉज़ जैसा है उसमें शब्द इस प्रकार हैं :—"Subject to the other provisions of this Act, the general superintendence and control over all revenue courts and over all revenue officers shall be vested in and all such Courts and officers shall be subordinate to the Board,"

मेरे संशोधन के मुताबिक यह परिवर्तित होने पर इस प्रकार हो जायगा :—"Subject to the other provisions of this Act, the general superintendence, including postings and transfers and control over all revenue courts and over all revenue officers shall be vested in, and all such courts and officers shall be subordinate to, the Board-"

इस संशोधन का मुख्य तात्पर्य यह है कि जिन अधिकारियों को या जिन कोर्ट्स को बोर्ड के जनरल सुप्रिन्टेन्डेन्टस के मातहत लाते हैं, बोर्ड की आम देख भाल के तहत लाते हैं वह दरअसल अव्यवहारिक चीज़ है। यदि बोर्ड की देखभाल में लेने से सरकार का तात्पर्य यह हो कि वह कानून का उसी प्रकार इन्टर्प्रिटेशन करेंगे जैसा कि बोर्ड करेगा, तो वह मन्शा जो क्लॉज़ १२ में पूरी हो गई कि जिसमें सर्वोच्च न्यायालय रेवेन्यू के मामलों में रेवेन्यू बोर्ड को डिक्लेअर कर दिया गया है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

क्लॉज़ १२ के तहत हर कोर्ट, जहां तक कानून के इन्टर्प्रिटेशन का प्रश्न है या केसेज़ के सिलसिले में कौनसा तरीका अमल में लाया जाना चाहिये, इसका प्रश्न है वहां रेवेन्यू बोर्ड की तहत, उसके मातहत, उसकी देखभाल में आ गये। क्लॉज़ १३ में हम सभी रेवेन्यू कोर्ट्स को और उनके ऑफिसर्स को रेवेन्यू बोर्ड की देख-भाल के नीचे रखते हैं। अब, माननीय उपाध्यक्षजी, आप वास्तविक स्थिति के बारे में गौर फरमावें और आपके जरिये माननीय सदस्यों को यह कहना है कि आप भी गौर फरमावें। एक अधिकारी जिसकी नियुक्ति सरकार करती है, जिसको हटाने का अधिकार सरकार को है तो अमूमन सबसे ज्यादा उस पर कन्ट्रोल या सुप्रिन्टेन्डेन्स किसी का चलेगा तो सरकार का चलेगा। उसके बाद आम तौर पर उसका एबसोल्यूट कन्ट्रोल नहीं है, थोड़ा कन्ट्रोल यदि किसी का रहता है तो उसका रहता है जिसके हाथ में पोस्टिंग्ज़ और ट्रान्सफर्स हैं। किस आदमी को कहां पोस्ट करना या कहां ट्रान्सफर करना, यह भी काफी महत्व और मुद्दे का काम है और जहां तक देखा है तहसीलदारों के सिलसिले में दरअसल में चेअरमैन, रेवेन्यू बोर्ड को आज भी अख्तयार है टान्सफर्स और पोस्टिंग्ज़ का ऐसी जब स्थिति है तो जब हम कानूनी मामलों में उसको रेवेन्यू की सर्वोच्च न्यायालय मानते हैं और आम देख-भाल का अधिकार उनको देते हैं तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स की ट्रान्सफर्स और पोस्टिंग्ज का अधिकार भी उनको क्यों नहीं दिया जाय? जैसा मुन्सिफ्स और सिविल जजेज़ आदि की टान्सफर्स, पोस्टिंग्ज़ आदि का अधिकार हाई कोर्ट को है वैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर्स के मामले में पोस्टिंग्ज़ और ट्रान्सफर्स का अधिकार भी रेवेन्यू बोर्ड को देना चाहिये। तभी सही माने में सुप्रिन्टेन्डेन्स होगा और नहीं तो वह सुप्रिन्टेन्डेन्स खाली कागज में रह जायगा और क्लॉज़ १३ रखने का कोई तात्पर्य सिद्ध नहीं होगा। मैंने जो इस सिलसिले में जोर दिया है उसका एक कारण है। अभी दो दिन पहले इस सदन में परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था और उसके उत्तर में जो मसला सदन के सामने पेश किया गया उससे मालूम हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में पोस्टिंग्ज़ और टान्सफर्स रेवेन्यू अधिकारियों के हुये हैं। तो सही माने में यदि सरकार चाहती है कि बोर्ड का कन्ट्रोल उन पर रहे तो कम से कम पोस्टिंग्ज़ का और टान्सफर्स का अधिकार बोर्ड को देना चाहिये; नहीं तो यह होगा कि नाम मात्र का ही कन्ट्रोल रेवेन्यू बोर्ड का उन पर होगा और असल कन्ट्रोल सरकार का चलेगा। रेवेन्यू बोर्ड को बनाने के सम्बन्ध में जो आधार दिया है उसको देखते हुए मेरा संशोधन स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसी कारण से मैं इसे सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल– माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेन्डमेन्ट जोधपुर से आए हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं उसका विरोध करूंगा। यह अमेन्डमेंट दर असल इम्प्रेक्टिकेबल है। एक तरह तो रेवेन्यू बोर्ड को हम रेवेन्यू विभाग का सर्वोच्च न्यायालय बनाने की बात सोच रहे हैं और दूसरी तरफ हम साथ ही साथ पोस्टिंग्ज़ और टान्सफर्स भी उनके हाथ में देकर सरकार का सारा काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इनके जिम्मे देना चाहते हैं। आपने उदाहरण दिया कि हाई कोर्ट द्वारा मुन्सिफ्स और सिविल जजेज़ की टान्सफर्स की जाती हैं; लेकिन मुन्सिफ, सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का कोई काम तो वे करते हैं?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेजिस्ट्रेट का काम तो वे करते हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इस तरह से तहसीलदार केवल रेवेन्यू ऑफिसर ही नहीं हैं। उसको फौजदारी के भी अधिकार हैं। यही बात एस. डी. ओ. और कलेक्टर के बारे में भी कही जा सकती है। फिर यदि इन सब के तबादले बोर्ड के मातहत कर दिये जांय तो सरकार का काम किस तरह चलेगा, यह बात समझ में नहीं आई ? तहसीलदार और एस. डी. ओ. का काम केवल फैसले करने का ही नहीं है। उनके सम्बन्ध में पोस्टिंग्ज़ और ट्रान्सफर्स की बात आप कर रहे हैं। यदि वे क्रिमिनल काम कर रहे हैं जैसे एस. डी. ओ., एस. डी. एम. भी होते हैं, तो फिर उनका तबादला हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिये और यदि वे सोल्जर्स बोर्ड का काम करते हैं तो उनका तबादला आर्मी बोर्ड के सुपुर्द होना चाहिये। यह कोई तरीका नहीं है। यह अव्यवहारिक है। यह काम सरकार के हाथ में है और वह जानती है कि किस आदमी को कहां पोस्ट करना चाहिये। आज सरकार के पास रिपोर्ट आती है कि कोई आदमी राजनैतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से पर्टिक्युलर जगह नहीं रखा जाना चाहिये, तो रेवेन्यू बोर्ड इस बात को नहीं सोच सकता। यह न रेवेन्यू बोर्ड का फंक्शन है और न यह उसका कार्य है। ऐसे काम रेवेन्यु बोर्ड को दिये नहीं जा सकते। जब हम रेवेन्यु बोर्ड की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय की बात सोचते हैं और उसको अधिकार देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के। हमने दफा ५, ८ और ६ पर बहस की, सिद्धान्तों की चर्चा की और यह भावना बताई कि वह इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिये, सरकार के मातहत नहीं होना चाहिये, उनके दिमाग पर भार नहीं होना चाहिये, उनके तबादले कर दिए जायेंगे तो ठीक नहीं होगा और अब आप उनको काम एडमिनिस्ट्रेशन का देना चाहते हैं तो यह कहां तक वाजिब है, व्यवहारिक है ? मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य काफी बुद्धिमान हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन के काम में काफी दिलचस्पी रखते हैं, अदालती मामलों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, फिर वे दोनों को कैसे कोन्फिलिक्ट करते हैं ? माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा जोधपुर से आने वाले सदस्य से कहूँगा कि वे फिर गौर करें और ईमानदारी से कहें कि मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेता हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको देखते हुए कल जो क्लॉज ५ और ८ के बारे में कहा था उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि अब तक माननीय सदस्य ज्यादा कन्फ्युज़न में हैं। उनके दिमाग में अब तक निश्चय नहीं है कि रेवेन्यु बोर्ड को इन्डिपेन्डेन्ट करना चाहिये या किस तरह रहना चाहिये। वे अमेंडमेंट लाए और उन्होंने कहा कि एग्ज़ीक्युटिव वर्क भी उनको देना चाहिये। किसी वर्क को एक के साथ लाकर अलग नहीं कर सकते। आज फिर वही कन्फ्युज़न उनको है।

नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने कल जिन बातों को नहीं माना था उनको आज उन्होंने माना है। कल जो कहा गया था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। रेवेन्यु बोर्ड के अधिकारियों के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे देना है ? यदि यह देंगे तो वह इन्डिपेन्डेन्ट कैसे होगा ? तब उनके हाथ से एक चीज निकालनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव केपेसिटी से अलग करना

[श्री मोतीलाल चौधरी]

होगा। यदि कोर्ट का काम करना है तो इन्डिपेन्डेन्ट कोर्ट होगा। तो क्लॉज १३ हटाना पड़ेगा। जो माननीय सदस्य जोधपुर से आये हैं उन्होंने कल क्या कहा था, उसको आज वे शायद भूल गए हैं।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—१२ बजे बाद वे भूल जाते हैं।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—माननीय उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे अपना अमेंडमेंट वापिस ले लें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—जवाब तो देने दीजिये, फिर वापिस ले लेंगे।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—यह अमेंडमेंट पेश करते समय लायक दोस्त भूल गये कि रेवेन्यु ऑफिसर्स जिनसे आपका मतलब है एस. डी. ओ. कलेक्टर आदि, वे आई. ए. एस., ऑल इण्डिया सर्विस के, या आर. ए. एस. होते हैं जो महज एस. डी. ओ. कलेक्टर आदि तक ही सीमित नहीं रहते हैं। उनका ट्रांसफर, कोमर्स और इण्डस्ट्रीज में भी हो सकता है। आज वे एस. डी. ओ. हैं तो कल एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेन्ट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर भी हो सकते हैं। इस तरह मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि ये लोग ट्रान्सफरेबल हैं। सरकार इनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजती है।

इसलिये महज यह पॉवर दे देना रेवेन्यु बोर्ड को कि अपोइन्टमेंट, ट्रान्सफर और पोस्टिंग वह करे तो इसका मतलब यह होगा कि वे लोग सिर्फ रेवेन्यु बोर्ड में ही सर्विस करते रहेंगे और दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं जा सकेंगे।

तो इस पर ध्यान से देखें कि आर. ए. एस., आई. ए. एस. का सेंट्रलाइज महकमा ऐसा होना जरूरी है जहां उनके अपोइन्टमेंट, ट्रांसफर, रेकर्ड ऑफ सर्विस, पोस्टिंग्ज़ वगैरह एक जगह से होंगे। फिर कौनसा ऑफिसर्स किस वक्त किस जगह के लिए उपयुक्त होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के यहां अपोइन्टमेंट का महकमा है, वहीं से यह सब होना जरूरी है। तो ऐसी सूरत में यह उपयुक्त नहीं होगा और व्यवहारिक भी नहीं होगा कि अपोइन्टमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स वगैरह के अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को दे दिये जांय।

मैं यह समझता हूँ कि यह कहने के बाद वे इस गलती को मंजूर करेंगे और इस गलत अमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय उपाध्यक्ष, जब नीम के थाने से आये हुए माननीय सदस्य

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को सुन रहा था तो मैं पूरी तरह फील कर गया कि यह गलती है। पर जब डीडवाने से आये हुए माननीय सदस्य को सुना तो मैंने फील किया कि गलती नहीं की है और जब राजस्व मन्त्री ने इस बारे में कहा तो जो मैंने पहले अपनी गलती महसूस की थी, उसको सुन कर वापिस कन्विन्स्ड हो गया कि यह गलती नहीं की।

आपने कहा कि जिसको आप इन्डिपेन्डेन्ट करेंगे उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे देते हैं? मैं यह निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट्स जिनको आप इन्डिपेन्डेन्ट मानते हैं, उनको यह काम उस हद तक सौंप रखा है जहां तक उनके विभाग का सम्बन्ध है। तो रात को फलां व दिन को फलां काम बिगड़ने का कहा जाता है, वह गलत है। काम देने से किसी की इन्डिपेन्डेन्स खत्म नहीं होती। तो इसलिए जो लम्बी-चौडी दलीलें दी गई कि पहले तो तुम इसे इन्डिपेन्डेन्ट करना चाहते हो, फिर उसको यह काम सौंप कर इसकी इन्डिपेन्डेंस छीनना चाहते हो; यह ठीक नहीं है।

सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एन्ड एग्जीक्युटिव के लिये, if you look into the old debates, you will find that administrative nature of the control of judicial services is also a part of the judicial work.

यह ऑफिसर्स तरह तरह के काम करें, क्योंकि एक काम का जिम्मा रेवेन्यु बोर्ड के तहत और दूसरा बाकी काम का जिम्मा दूसरे विभागों पर, सरकार पर है तो ऐसे लोग राजप्रमुख के तहत में रहें।

तो नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने मुन्सिफ और हाई कोर्ट का जिक्र किया और कहा कि मुन्सिफ को क्रिमिनल पॉवर्स भी हैं। जो मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट हैं उन्हें मजिस्ट्रेट के पॉवर हैं, क्रिमिनल पॉवर्स हैं; तो उनको दोनों अधिकार दिये हैं। उनका कन्ट्रोल, सुपर्विजन हाई कोर्ट के मातहत होता है ......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वे जुडिशियल सर्विस के आदमी हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Exactly, कठिनाई एक आती है कि जो पूरी तरह, निखालिस रेवेन्यु सर्विस के आदमी नहीं हैं उनको कैसे रेवेन्यु बोर्ड के तहत रखा जाय? तो इस प्रकार का संशोधन रखने से पहले, या मेरे संशोधन को बेकार बनाने से पहले मेरे शब्दों पर गौर किया जाय : "general superintendence over postings and transfers."

इसका अगर सही माने में अर्थ आप समझने की कोशिश करें तो यह है कि रेवेन्यु बोर्ड यह रूल बना दे कि किस किस प्रकार के आदमी हों, उनको हम गवर्नमेंट से कन्सल्ट करेंगे। फिर यह होना चाहिये कि जो बोर्ड जिसके मातहत हों उसको लिखें, यह करने का बोर्ड को अख्त्यार होना चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

डिफिकल्टी है, पर इसको दुरुस्त करना चाहिये। इस डिफिकल्टी की वजह से पूरा का पूरा संशोधन स्वीकार नहीं करें, यह ठीक नहीं। आपको एग्ज़क्युटिव और जुडिशियरी को एक दिन सेपरेट करना पड़ेगा। अन्त में मेरा जिस प्रकार का संशोधन है उस प्रकार का ढांचा निर्माण करना पड़ेगा। मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। अगर एतराज है तो जैसा सदन चाहे अपना निर्णय दे दे, पर सदन को एक दिन निर्णय बदल कर, मैंने कहा है, उस पर आना पड़ेगा और इसके लिये मैं यह कह सकता हूँ कि "they know not what they do."

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—He is Sermonising perhaps.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ पर श्री एच. के. व्यास का संशोधन है, वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री एच. के व्यास—साहब, 'हां' तो कोई बोले नहीं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हम बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष - क्लॉज़ १४।

अनेक माननीय सदस्य एक साथ—समय हो गया।

श्री उपाध्यक्ष— हाउस की कार्यवाही कल साढ़े आठ बजे सुबह तक के लिये स्थगित की जाती है।

[श्री उपाध्यक्ष]

(सदन की कार्यवाही साढ़े बारह बजे मध्याहनोत्तर, दिनांक ६ अक्टूबर, १९५५ बृहस्पतिवार के प्रातः साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थागित हुई)

विधान सभा भवन,

जयपुर,

दिनांक-५ अक्टूबर, १९५५.

श्री मनसाराम पुरोहित

सचिव,

राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २३५ का उत्तर देखिये)

सन् १९५४-५५ के वर्ष में राजस्थान में जिन जिन ग्रामों में एडेड औषधालय खोलने के लिए प्रत्येक वैद्य को ५० रुपये मासिक सहायता दी गई उनकी सूची मय जन संख्या के निम्न है :

बीकानेर डिविज़न

संख्या	गांव	तहसील	जिला	जन-संख्या
१.	मलसीसर	लूणकरणसर	बीकानेर	३१०
२.	रूणियाकेवास	बीकानेर	,,	
३.	देपालसर	चूरू	चूरू	४०५
४.	कालरी	राजगढ़	चूरू	६३०
५.	राजपुरा	तारानगर	चूरू	१२१२
६.	देऊ	मादरा	गंगानगर	८१८
७.	पल्लू	नोहरा	गंगानगर	४३०
८.	बिजोर	अनपगढ़	गंगानगर	६८०

कोटा डिविज़न

संख्या	गांव	तहसील	जिला	जन-संख्या
१.	बोथ	मांगरोल	कोटा	२०६८
२.	गोटड़ा	किशनगढ़	झालावाड़	८०३
३.	छत्रपुर	पंचपहाड़		१७३
४.	माताजी का	गालानाल्लापुर		

उदयपुर डिविज़न

संख्या	गांव	तहसील	जिला	जन-संख्या
१.	कोदूकोरा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	१७७१
२.	कालियास	आसिन्द	भीलवाड़ा	२१३८
३.	नयागांव	खेरवाड़ा	उदयपुर	६५०
४.	बागपुरा	फलासिया	उदयपुर	६२७

जयपुर डिविज़न

संख्या	गांव	तहसील	जिला	जन-संख्या
१.	मच्छवा	जयपुर	जयपुर	१११३
२.	पचौर	जयपुर	जयपुर	१७८६
३.	लक्ष्मीनारायणवास	फागी	जयपुर	
४.	चक्वाडा	फागी	जयपुर	१०८३
५.	पालाहाला जाटान	जयपुर	जयपुर	३७२
६.	इटका	सिकराय	जयपुर	४६०
७.	जाटावाली	ग्रामेर	जयपुर	८६७
८.	कहाड़वास	खेतडी	झुंझुनू	
९.	सानासर	चिडावा	झुंझुनू	१०३२
१०.	रघुनाथपुरा	उदयपुर	झुंझुनू	१०५२
११.	खाचरियावास	दतांरामगढ़	सीकर	२३८
१२.	जयरामपुरा	नीम का थाना	सीकर	७६८
१३.	हरदास का वास	नीम का थाना	सीकर	१००१
१४.	भवाला	नीम का थाना	सीकर	
१५.	सौडा	मालपुरा	टोंक	१४६७
१६.	झालाना	टोंक	टोंक	८३५
१७.	माजरीकना	वहरोर	अलवर	१४७५
१८.	नागलखोरिया	वहरोर	अलवर	१३५०

जोधपुर डिविज़न

संख्या	गांव	तहसील	जिला	जन-संख्या
१.	बड़ीखाट	नागौर	नागौर	४०६६
२.	रामशा	परबतसर	नागौर	७७३
३.	आजवा	डीडवाना	नागौर	३२०
४.	खजवाना	नागौर	नागौर	२३७१
५.	माघ	जसवन्तपुरा	जालोर	१७१७
६.	सावड़	सांचोर		

संख्या	गांव	तहसील	जिला	जन-संख्या
७.	रायपुर	जैतारन	पाली	४७६१
८.	कैल नोरलोर्स	देसरी	पाली	३०२६
६.	केरू	जोधपुर	जोधपुर	१८८६
१०.	चाड़ो	फलौदी	जोधपुर	२८४४
११.	सवाई छोट	बाडमेर	बाडमेर	
१२.	घोरीमीना	बाडमेर	बाडमेर	१६८१

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २४४ का उत्तर देखिए)

बीजों की किस्म जिनका राजकीय कृषि फार्मो पर परीक्षण किया गया

संख्या	बीज	किस्म	कृषि फार्म
१.	गेहूँ	आर. एस. ३११, सी.५६१, आर. एस. १, ११ एन. टी. ७१८, ७५८	बस्सी, दुर्गापुरा गंगानगर, कोटा उदयपुर
२.	जौ	आर. एस. १७ के. १२, एन. पी. २१ एन. पी. १३, सी. ५०, सी. २५	बस्सी
३.	धान	बासमती	कोटा
४.	मूंग	आर. एस. ४, आर. एस. ३७, आर. एस. ३८, आर. एस. १२, टी. ५४, टी. १७१	दुर्गापुरा, बस्सी मंडोर
५.	तिल	एन. पी. ६, टी. १०	कोटा, दुर्गापुरा
६.	ज्वार	जी. १, आर. एस. १, उज्जैन नं० १	कोटा
७.	मक्का	बस्सी सिलैक्टेड, उदयपुर मास सिलैक्टेड, एन. सी. २७	उदयपुर
८.	गन्ना	सी. ओ. ३१२, सी. ओ. ५१६, सी. ओ.	गंगानगर, कोटा

क्रमसंख्या	बीज	किस्म	कृषि फार्म
		६५६, सी. ओ. ६५५, सी. ओ. ६४७	जयपुर
६.	ग्वार	आर. एस. १, ई. सी. २४८	दुर्गापुरा
१०.	अरंडी	एच. सी. १, एच. सी. ६, लोकल	कोटा
११.	उरद	टी. २७, उज्जैन नं० ८, सिंधबेला	कोटा
१२,	चना	गुलाब, जी. ३७, आर. एस. १०	बस्सी, कोटा
१३.	टमाटर	एच. वाई. १, ई. सी. ११३१, देशी डिक्शन	दुर्गापुरा
१४.	मिर्च	वर्ल्ड बीटर, आर. ४४६, वर्ल्ड बीटर ७, १, ७, जी. ४४, बैल पीपर	दुर्गापुरा
१५.	शकरकन्दी	एफ. ए. १७, यू. १२, टी. एस. टी.	दुर्गापुरा
१६.	मूंगफली	टी. २६, स्पेनिंग ए. एच. २५, ए. के. १२, पंजाब मूंगफली	बस्सी
१७.	अरहर	टी. २०, टी. १५, लोकल	कोटा
१८.	अलसी	आर. आर. ४५, आर. आर. १०, आर. आर. ११, टाइप १२	बस्सी, दुर्गापुरा
१६.	चौला	फिलीपाइन, अमेरिकन : आई. ए. आर. आई, सिलैक्शन : आर. एस. ६, लोकल	दुर्गापुरा, बस्सी
२०.	बाजरा	टी. ५, टी. ५५, ए. सी. ओ. १, आर. के. ३, आर. बी. एल. १, वामनगर लोकल	दुर्गापुरा, बस्सी

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २४६ का उत्तर देखिए)

१.	इनायती	२१—१०—५४	तहसीलदार सा. सपोटरा
२.	बड़ोदा	२०—१०—५४	प्रधानाध्यापक राजकीय पाठशाला, नारोली
३.	चोड़ागांव	२२—१०—५४	,,
४.	बूकना	१८—१०—५४	प्रधानाध्यापक सपोटरा
५.	फतेहपुरा	१६—१०—५४	,,

६.	अमरगढ़	२०—१०—५४	प्रधानाध्यापक, सपोटरा
७.	गोटरा	२१—१०—५४	,,
८.	नारोली	१९—१०—५४	प्रधानाध्यापक, नारोली
९.	सपोटरा	२२—१०—५४	प्रधानाध्यापक, सपोटरा
१०.	सलीमपुर	१८—१०—५४	तहसीलदार सा०, सपोटरा
११.	हाडोती	२१—१०—५४	प्रधानाध्यापक, नारोली
१२.	डाबरा	१९—१०—५४	तहसीलदार सा०, सपोटरा
१३.	कुरगांव	२२—१०—५४	,,
१४.	लोदिया	२०—१०—५४	,,
१५.	दौलतपुरा		
१६.	कसेड		
१७.	करनपुर		
१८.	बहादुरपुर		

परिशिष्ट ४

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है।)

प्रश्नः—

२५१ (५२। ए.टी. एम.) श्री गुरुदयाल सिंह एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४६ :— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) जब से वर्तमान Ex.En. सिंचाई गंगानगर में नियुक्त हुये हैं कितने आदमियों पर कितना कितना तावान कायम किया गया ?

(ख) इतनी बड़ी तवान की रकम कायम करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(क) गंगानगर डिवीजन के वर्तमान एग्जीक्युटीव इन्जीनियर के चार्ज लेने की तारीख २८-१-५३ से ३१-८-५५ तक ४३२ केसों में बीकानेर केनाल एक्ट के अनुसार ११२,७७४ रू० ३ आना की रकम तावान के रूप में कायम की गई।

(ख) तावान की रकम सबसे अधिक होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग ३०० मिसलें जिसमें लगभग ७४,००० रू० तवान लगाया गया पिछले सालों से चल रही थी और वर्तमान एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के सामने तय हुई।

प्रश्न

२५४ (५३१ ए. टी. एम.) श्री गुरदयाल सिंह संधु एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४१:- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(क) जिला गंगानगर में जब से वर्तमान एग्जीक्यूटीव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग नियुक्त हुए है उन्होंने कितने चकों में गोलावारी मुकर्रिर की है ?

(ख) आपकी नियुक्ति से पहिले कितने चको में गोलावारी चल रही थी ?

(ग) इस गोलावारी से सिंचाई में बढ़ोतरी हुई है या कमी ?

(घ) क्या गांव वालों का बहुमत इस प्रकार की वारी के विरुद्ध है ?

(न) क्या सरकार इस सारे मामले पर दुवारा विचार करेगी ?

उत्तर

(क) ८३ चकों में

(ख) २२ चकों में

(ग) बढ़ोतरी हुई है।

(घ) वाराबन्दी बीकानेर केनाल एक्ट के अनुसार तय की जाती है जब कि पानी के बटवारे में गड़बड़ हो और कमजोर लोगों को अपना हिस्सा न मिलता हो।

(न) नहीं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१. (६। एम. एल. एम.) श्री किशनलाल शाह, (७८)—क्या अकाल राहत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) गत वर्ष नागौर जिले की हर तहसील में कितने गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये ।

(ख) नावां तहसील में कितने गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये ?

(ग) उनको कितनी २ सहायता दी गई ?

(घ) किन २ कार्यों पर उक्त रकम खर्च की गई ?

(ङ) क्या मीठड़ी स्टेशन (तहसील नावां) सड़क अभाव ग्रस्त कोष में से बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस पर कितने रुपये खर्च हुए ?

उत्तर

(क) गतवर्ष नागौर जिले के कुल ४१३ गांव निम्नलिखित तहसीलों के अभाव ग्रस्त घोषित किये गये । यह १५. १.५५ के गजट में प्रकाशित हो चुके है ।

(क) तहसील डीडवाना	६१ गांव
(ख) तहसील मेडता	८५ ,,
(ग) तहसील नागौर	१८४ ,,
(घ) परबतसर	८० ,,
(ङ) तहसील नांवा	३ ,,
योग	४१३ गांव

(ख) नवां तहसील में केवल तीन गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये जिन के नाम ये है

१. बग्रालीगुढा २. उलानाआट ३. मोहनपुरा ।

(ग) तहसील नांवा के उन उपरोक्त ३ गांवों के लिये निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत हुई :

(क) तलसील व नाडियों की खुदाई	६३०० रुपये
(ख) जल वितरणार्थ	३०० रुपये
(ग) निःशुल्क सहायता	८०० रुपये
(घ) पशु, सांडों की रक्षार्थ	३०० रुपये
(ङ) तकावी ऋण	४००० रुपये
	१४७०० रुपये

(घ) उक्त रकम निम्नलिखित कामों पर खर्च की गई :

(क) खाली गुदा, (फूटीपाल नाडी की खुदाई)	३,००० रुपये
(ख) मोहनपुरा, (जाखडी वाली नाडी की खुदाई)	२,६२२-१३-०
(ग) उलान, डाड बडी की खुदाई, ८५ मनुष्यों को निर्मूल्य सहायता दी गई।	२,६५८ रुपये
	८८८०-१३-०

(ङ) मीठड़ी स्टेशन सड़क, नावा तहसील अभाव ग्रस्त कोष में से नहीं बनाई गई थी।

प्रश्न

२. (४५) ए. टी एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा (२३६) –क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) गिरीनन्दा का बांध कितने रुपयों की लागत से किस वर्ष में किस तारीख को किन २ ठेकेदारों व किन २ सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की देखरेख में कच्चा व पक्का बंधवाना शुरू या समाप्त हुआ ?

(ख) उपरोक्त बांध ता० ११-८-५५ को कितने रुपये की लागत से कितने फुट की उंचाई तक बंध कर तैयार हो गया था और इस बांध की कुल कितने फुट ऊंचाई सरकार ने निर्धारित की थी ?

(ग) इस बांध का क्षेत्रफल, कुल आयतन और इस बांध की कुल कितने फुट ऊंचाई सरकार ने निर्धारित की थी। व हर एक फुट की लेवल पर कितना २ पानी समाता है? इसके फिगर व लेवल स्केच भी मय केचमेंट एरिया के बतायें?

(घ) उपरोक्त बांध किस तारीख को किस समय पर कितने फुट की पानी की लेवल पर किस २ की असावधानी की वजह से फूटा?

उत्तर

(क) बंध गिरी की प्रशासनिक स्वीकृति कुल ३,६४,००० रुपयों की २५ मई, सन् १९५४ को मिली व टेक्निकल स्वीकृति जून ५४ को ३,२३,०६५ रु० की प्राप्त हुई। टेन्डर आदि लेने के बाद मेनडेम का पत्थर से बांधने का काम श्री छगनलाल दुर्गा प्रसाद को दिया गया और यह कार्य ६ अक्टूबर, १९५४ को शुरू किया गया। इसके टेन्डर की कीमत २,६३,००० रु० थी और कच्चे बांध का काम मई महीने में विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया था। जुलाई के पहिले हफ्तों में निम्न लिखित ठेकेदारों के वर्कआर्डर पर यह कार्य दिया गया :

नाम	ठेके की कीमत
(१) श्री श्यामलाल	४,६४४ रु०
(२) श्री मदनसिंह	४,८०० रु०
(३) श्री लिखना	४,८०० रु०

सरकारी कर्मचारी श्री तुलसीरामजी अधिदर्शक व श्री अब्दुल रहमान मिस्त्री की देख रेख में और श्रीरामलालजी सहायक अभियंता के इन्चार्ज में श्री जी०आर० सेन भी अधिशासी अभियंता श्री भगवानदासजी अधीक्षक अभियन्ता की देख रेख व प्रशासन के नीचे कार्य पर लगे हुए थे। दिनांक ११-८-५५ को पक्का बांध अपनी निर्धारित अधिकतम ऊंचाई लेवल १२७ फीट तक बन कर तैयार हो गया था और कच्चा बांध ३७५ फीट की लम्बाई में निर्धारित ऊंचाई १३५ फीट तैयार हो गया था और एक छोटा टुकडा २५ फीट १३० के लेवल तक तैयार हो गया था। कुल लागत अन्तिम बिल बनाने पर मालूम होगी। लेकिन पक्का बंध अनुमानित लागत २,३५,००० रु० व कच्चा बंध अनुमानित लागत १३,००० रु० तक बन कर तैयार हो गया था।

(ग) बांध का केचमेन्ट एरिया ३१ वर्ग मील है और इसमें २१६ mcH पानी समाता है

इसका केचमेन्ट क्षेत्र व समावेश चार्ट (Capacity chart) इसके साथ नत्थी है।

(चार्ट इत्यादि विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

(घ) ११ अगस्त, ५५ को ६ बजे सुबह तालाब में पानी का लेवल १०६ था। जलग्रह (cahchment) में अधिक वर्षा याने ७ इन्च से १० इन्च होने के कारण उस समय नदी में बड़ी भारी बाढ़ आ गई और तीन घन्टे के अन्दर ही पानी की लेवल १२८.५ तक बढ़ गई और पानी Mosonary weir के ऊपर से बहने लगा। ऊपर (ख) में बताए हुए मिट्टी के बांध के छोटे अपूर्ण हिस्से के उपर तक पानी चढ़ गया और यही बांध के टूटने का कारण हुआ। बांध के टूटने का तत्कालिन कारण काम में खराबी या मोके पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही नहीं थी, बल्कि जलग्रह में अधिक वर्षा होना था। फिर भी टूटने के कारण की जांच की जा रही है, जांच समाप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

प्रश्न

३. (१२। एम. एल. एम.) श्री चांदमल मेहता (८०) :—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कितने एल. डी. सीज़ को यू. डी. सी. बनाया ?

(ख) उक्त क्लर्कों के नाम क्या २ हैं, सीनियरिटी लिस्ट में उनका कौन २ सा स्थान है और किस २ तारीख से उनको यू. डी. सी. की ग्रेड दी गई ?

(ग) ऐसे कौन २ क्लर्क है जिन्होंने अपनी तरफ से रिप्रेज़ेन्टेशन कर रखे हैं ?

उत्तर

(१) ४१ कनिष्ठ लेखकों को वरिष्ठ लेखक बनाया गया।

(२) ऐसे लेखकों के नाम सीनियरिटी लिस्ट में उनका स्थान तथा यू. डी. सी. ग्रेड दिये जाने की सूची सदन की टेबिल पर रखदी गई है।

(३) जिन लेखकों ने उज्रदारियां की हैं उनके नाम तथा सीनियरिटी लिस्ट में उनका स्थान आदि सूचना एक सूची में शामिल कर दी गयी है और वह सदन की टेबिल पर रख दी गयी है।

सूची नं० १

संख्या	नाम	सीनियरिटी	प्रमोशन की तारीख
१.	श्री सुन्दरलाल	१	१६-१२-५३
२.	,, गुलाबचन्द	२२	१- ४-५०

Page No.110

३.	,,	रिखबचन्द	१८	१– ४–५०
४.	,,	महम्मद ईशाक	५२	१– ४–५०
५.	,,	दुर्गाप्रसाद माथुर	६७	१– ४–५०
६.	,,	रामदास	१०	१६–१२–५३
७.	,,	काशीनाथ गुप्ता	२६	१६–१२–५३
८.	,,	हुक्म चन्द	३५	१६–१२–५३
९.	,,	परमेश्वरलाल	६०	१६–१२–५३
१०.	,,	कैलाशपुरी	१५	१६–१२–५३
११.	,,	जगन्नाथ	२७	१६–१२–५३
१२.	,,	किशनचन्द माथुर	३४	,,
१३.	,,	मोहनलाल	३	अक्टूबर ५४
१४.	,,	भवरीलाल शर्मा	५०	,,
१५.	,,	कान्चीलाल	६३	,,
१६.	,,	बृजमोहन मालवीया	७	,,
१७.	,,	कन्हैयालाल माथुर	६	,,
१८.	,,	चक्रधर	३२	,,
१९.	,,	महादेव प्रसाद	१३	,,
२०.	,,	मानकचन्द	२५	,,
२१.	,,	गणेशलाल बदयास	३३	,,
२२.	,,	रामेश्वरप्रसाद	३०	,,
२३.	,,	रामदेव	२३	,,
२४.	,,	पृथ्वीराज	७	,,
२५.	,,	सीताराम	५१	,,
२६.	,,	गोपालदत्त, मिलिटरी महकमा से आए		,,
२७.	,,	भंवरलाल माथुर	२४	,,
२८.	,,	भागीरथसिंह, मिलिटरी महकमा से आए		,,
२९.	,,	गणेशसिंह	५५	,,
३०.	,,	राधेश्याम	२८	,,
३१.	,,	कन्हैयालाल	२९	,,

३२.	श्री	घोकलसिंह, मिलिटरी महकमा से आए		
३३.	,,	केवलचन्द	३१	नवम्बर ५४
३४.	,,	विजयगोपाल	४६	सितम्बर ५५
३५.	,,	देवीसिंह	६२	,,
३६.	,,	गोपालसिंह	७७	,,
३७.	,,	शिवप्रकाश	६६	,,
३८.	,,	महेशचन्द	११२	,,
३९.	,,	मांगीलाल	४७	,,
४०.	,,	नाथूलाल	४४	,,
४१.	,,	रामनारायण माथुर, मिलिटरी से आये		

सूची नं० २

१.	श्री	प्रभुनारायण शर्मा	७३
२.	,,	गुल्वाराम	७८
३.	,,	नटवरलाल	३०
४.	,,	रूपनारायण	५७
५.	,,	हनुमानप्रसाद	११६
६.	,,	सिराजुद्दीन	६७
७.	,,	मुकुटबिहारी लाल	१५
८.	,,	गेहरालाल	३८
९.	,,	के. एल. पंवार	३३
१०.	,,	शान्तिप्रसाद	३८
११.	,,	दुर्गानारायण शर्मा	८७
१२.	,,	हरनारायण	६१

प्रश्न

४. (४६। ए. टी. एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा (१६६) :-क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) गिरीनन्दा बांध के फूटने के समय वहां पर कौन २ से सरकारी अधिकारी व कर्मचारी मौके पर थे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या सरकार ने ऐसे बड़े बांधों पर वर्षा ऋतु में बांध को खतरा होने पर व अकस्मात फूट जाने पर उसके नीचे बहाव में रहने वाले लोगों को खतरे की सूचना करने का व ऊंचे स्थानों की जहां वे अपनी जान बचा सकें कोई स्थायी व्यवस्था की है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार ने जांच की कि उपरोक्त बांध के फूटने पर इसके नीचे के कौन २ से कितने घरों व जनों की आबादी के गांवों के कितने २ घर, सम्पति जन व पशु आदि का विनाश व मृत्यु, पानी के बहाव में आ जाने से हुई ?

(घ) उपरोक्त बांध के फूटने से इसके बहाव में आने वाले किस २ गांव के किस २ असहाय निवासी को किस २ तरह की किस २ तारीख को क्या २ सहायता सरकार द्वारा दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) गिरीनन्दा बांध के टूटने के समय मौके पर सरकारी कर्मचारी श्री अब्दुल रहमान मिस्त्री व श्री तुलसीराम ओवरसियर थे।

(ख) तारीख १०-८-५५ की रात को व सबेरे जल्दी जब अधिक वर्षा हो रही थी तो ढोल बजा कर गिरी गाँव वालों को सावधान कर दिया था और खतरे की सूचना दे दी गई थी। खतरे की सूचना पाकर लोगों ने घर खाली कर दिये थे और अपनी चल सम्पति सहित पहाड़ों पर चढ़ गये।

(ग) जहां तक खोज व छानबीन से मालूम हुआ है कि जन व पशु हानि इस बंध के टूटने से बिल्कुल नहीं हुई। नीची जगहों में स्थित करीब ५०-६० घरों को नुकसान हुआ जो कि ढह गये और पानी में बह गये।

(घ) इस बांध के टूटने से सिर्फ गिरीगांव को ही नुकसान हुआ। खबर मिलते ही अधिशासी अभियन्ता व जिलाधीश, पाली जिला मौके पर पहुँच गये और सब तरह का, खाने-पीने व रहने का इन्तजाम किया गया

प्रश्न

५. (४७। ए. टी. एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा (१३६) क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि गिरीनदा बांध के फूटने के बहाव में आने वाले माल, कई असबाब से भरे हुए ट्रंक, पेटियां, अलमारियां, किवाड़ों की जोडियां, पलंग, ढोल वगैरह को तहसील

जैतारण के गांव नीमोल के पंचायत कोर्ट द्वारा बहते हुये पानी में से निकाला जाकर कोर्ट में सुरक्षित रखा गया है ?

(ख) क्या सरकार ने अभी तक यह मालूम किया कि यह बहकर आने वाला माल कितने रुपयों के मूल्य का व किन २ गांवों के किन २ व्यक्तियों का है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त माल की उचित जांच करके जिन २ का वह माल वह कर आया है उनको शीघ्र ही वापस दिलाने की व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या सरकार इस उपरोक्त बांध के फूटने के संबंध में जिन २ सरकारी अधिकारियों की अवहेलना हो, उनको मुअत्तिल करके जांच करावेगी ?

उत्तर

(क) नदी में बहकर निम्नलिखित वस्तुयें आई थीं जो पंचायत निमोल में रखी हुई हैं :

(१) टार का एक ड्रम ।

(२) एक आधा भरा हुआ मोबिल ऑइल का पीपा ।

(३) एक घासलेट का भरा हुआ पीपा ।

(४) दो जोडी खिड़की ।

(५) कुछ लकड़ी के टुकड़े ।

(ख) बहकर आने वाली वस्तुओं की कीमत करीबन ४५ रूपया है । तहसीलदार रायपुर द्वारा जांच कराई जा रही है कि बहकर आने वाली वस्तुयें किनकी हैं। जांच सम्पूर्ण होने पर वस्तुयें लौटादी जायेंगी ।

(ग) जांच पूर्ण होने पर जब यह तय हो जायेगा कि अमुक वस्तु किसकी है, उसे लौटा दी जायेगी ।

(घ) तालाब के फूटने के कारणों की जांच की जा रही है । जांच समाप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

Page No.114

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या २६७ देखिये)

गंगापुर व हिण्डोन सब डिवीजन में सन् १९५४ व ५५ की सिंचाई की आमदनी का विवरण-पत्र

गंगापुर सब डिवीजन

	तहसील	बन्ध	आमदनी सिंचाई
			रु० आ०पाई
१	गंगापुर	तेलनवाला	१२०८-३-०
२.	,,	नवाजवाला	२७२-१०-०
३.	,,	रामतलाब	५१६-६-३
४.	,,	जोहरीवाला	४६६-११-०
५.	,,	टोकसी	३२३-६-६
६.	,,	चन्दापुरा	१११५-६-६
७.	,,	बनियावाला	११८१-१४-३
८.	,,	नाजिमवाला	६०१-०-६
९.	,,	गद्दीवाला	१२-१०-६
१०.	,,	मोतीसागर	३०-१-६
११.	,,	गंडाल	५२६-११-०
१२.	,,	जोवली	८३-१५-६
१३.	वामनवास	मोरासागर	१६३३०-८-६
१४.	,,	गोठरा	३७-१०-६
१५.	,,	संकरसागर	२३६-१२-३
१६.	,,	नाजिमवाला	८६-१५-६
१७.	,,	पिपूलाई	१०-६-६
१८.	,,	रानीला	३२३-७-६
१९.	,,	नानतलाई	१७६-१२-६
२०.	,,	नया तालाब	४६-३-६
२१.	,,	घुडला	७७-१०-०
२२.	,,	गंडाल	१५३३-११-०
		योग.	२५२३८-६-०

हिण्डौन सब डिवीजन

नं०	तहसील	बन्ध	आमदनी सिंचाई
			रु० आ०पाई
१.	हिण्डौन	जाटावला	२५-१३-३
२.	,,	क्यारदा	६-६-०
३.	नादोती	कुंड मोरा	४४६-११-३
४.	,,	मोरासागर	४६३-७-६
५.	,,	सिगोलाब	१४६-१२-६
६.	,,	फतहसागर	६७६-२-६
७.	,,	होदाहेली	१४३७-२-०
८.	,,	रौंसी	२७७-१-३
९.	टोडाभीम	विसनसमद	५५६-१४-६
१०.	,,	मोहनपुरा	८४७-५-६
११.	,,	न्यूटेंकमहेसवा	१८८१-६-३
१२.	,,	पुराना बन्ध महेसवा	१३३६-६ ६
१३.	महवा	सलेमपुर	४-७-६
१४.	,,	बड़ा गांव	६-०-०
		योग	८१५७-१-६

गंगापुर

क्रम संख्या	नाम बन्ध	व्यय
१.	रोसी बन्ध	१८६३६ रु०
२.	नागतलाई	५२५८ रु०
३.	टोकसी	३०२७ रु०
४.	विनोरी सागर	१३६६ रु०
५.	मोरा सागर	६००६ रु०

Page No.116

क्रम संख्या	नाम बन्ध	व्यय
६.	तेलनवाला	२१३६ रु०
७.	चन्दापुरा	४४८७ रु०
८.	नाजिमवाला	४६६ रु०
९.	रामतलाब	७२३ रु०
१०.	नयातलाब लेवाली	२३६ रु०
११.	जोहरीवाला सप्लाईकट	७११ रु०
१२.	गंडाल	२१६४ रु० -५-०
१३.	वावनवास	८६६ रु०
१४.	जोहरीवाला बन्ध	८४१ रु०
१५.	गूजरडिगरिया	५०५ रु०
१६.	बनियावाला बन्ध	५०१ रु०
	हिण्डौन	
१.	कोट बन्ध	८६३६ रु०
२.	विसनसमद	४८३७ रु०
३.	क्यारदा	२२६३ रु०
४.	धोबी घाट	२३४६ रु०
५.	जगरामपुरा	१६४६ रु०
६.	फतहसागर	५२०८ रु०
७.	महेसवा पुराना	४३६५ रु०
८.	महेसवा नया	३२२१ रु०
९.	जाटवाला	२६१३ रु०
१०.	खेरा बन्ध	५५६ रु०
११.	भुनकी बन्ध	१६४ रु०
१२.	मोहनपुरा	४४५४ रु०
१३.	गाईड बन्ध मोहनपुरा	१६७७ रु०
१४.	होदाहेली	१४८७ रु०
१५.	हुरला	२१० रु०

परिशिष्ट ६

(प्रश्न समय की समाप्ति के कारण सदन की मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

२७०. (४४।एम. एल. एम.) श्री खेतसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नं० ७७:— क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए करीब ६ महीने होने आए हैं और तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर के पंचों के नाम राज-पत्र में भी प्रकाशित हो गये हैं ?

(ख) फिर भी उस तहसील में अभी तक तहसील पंचायत क्यों कायम नहीं की गई है ?

(ग) यदि अब की जावेगी, तो किस तारीख को की जावेगी ?

उत्तर

(क) (ख) सब चुनाव अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं इसलिए तहसील पंचायत के चुनाव नहीं हो सके हैं।

(ग) शीघ्र।

प्रश्न

271. (63/A. T. M.) SHRI TEJMAL BAPNA, M. L. A. (Division NO 149) : Will the Minister for Irrigation please state :—

(1) What are the estimates of Kanpura Tank in Bhilwara District.

(2) When was it first submitted to the office of the Superintending Engineer, Udaipur, for sanction ?

(3) Why has it been delayed and when is it going to be sanctioned ?

उत्तर

(१) एक तखमीना तालाब कानपुरा-दोलपुरा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा तादादी १६८०० रु० का तैयार किया गया है।

(२) यह तखमीना सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर साहब इरीगेशन उदयपुर के कार्यालय में यहां से जरिये नम्बरी २८६२ ता ३०-५-५५ को पहली मर्तबा वास्ते मन्जूरी पेश किया गया था।

(३) देरी की वजह यह है कि सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर साहब ने आदेश फरमाया है कि ट्रॉयल पिट्स (Trial Pits) द्वारा रॉकी स्ट्राटा (Rocky Strata) मालूम किया जावे। यह जांच लगातार जोरों से बारिस होने व ट्राफिक बन्द रहने से नहीं हो सकी है। बारिश बाद जांच शीघ्र की जावेगी और नतीजे की रिपोर्ट सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर साहब उदयपुर को पेश की जावेगी। उसके बाद तखमीने की मन्जूरी होगी।

प्रश्न

२७२. (५४। एच० एम०) श्री रिद्धिचन्द्र पल्लीवाल, एम०एल०ए०, डिवीजन नं० १२९:—क्या गृहमन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या एफ. आई. आर. पुलिस द्वारा स्वयं अपनी मर्जी से लिखी जाती है ?

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश एफ. आई. आर. पुलिस स्टेशनों पर लिखी ही नहीं जाती है और लिखी जाती है तो पूरी व सही नहीं लिखी जाती ?

(ग) क्या इसमें सुधार की कोई योजना है ?

उत्तर

(क) जी नहीं, यह क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा १५४ के अनुसार लिखी जाती है।

(ख) जी नहीं, यह असत्य है। पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराधों की तमाम प्रथम सूचनायें यदि मौखिक भी दी जाती हैं तो वे लिखली जाती हैं, सूचना देने वाले को पढ़कर भी सुना दी जाती है और उसके हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जाते हैं।

(ग) इसकी कोई सरकार आवश्यकता नहीं समझती। भारत सरकार द्वारा एक "लॉ कमीशन" नियुक्त किया गया है जो समस्त कार्य प्रणाली सम्बन्धी कानूनों का सिंहावलोकन करेगा। यह कमीशन शायद इस विषय पर भी विचार करे।

प्रश्न

274. (61 A. T. M.) SHRI TEJMAL BAPNA, M. L. A. (Division No 149): Will the Minister for Irrigation please reply to the following question :—

1. Is the Government Contemplating to improve Pur Tank in Bhilwara Disirict ?

2. What is the latest plan and how far would it be profitable ?

3- Is it a fact that the latest plan wiil cover nearly twenty miles with vest area commanding it ?

4. What are the alternative plans under consideration and when will those be finalized.

उत्तर

१. भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पुर तालाब को बड़ा बनाये जाने की योजना पर विचार कर लिया गया है।

२. यह योजना बनाई गई थी मगर उपयोगी नहीं हैं।

३. यह योजना उपयोगी नहीं होने से इसका प्रश्न नहीं उठता है।

४. इस विषय में अन्य योजनायें विचाराधीन नहीं हैं।

प्रश्न

२७५. (५५।एच० एम०) श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर १२९ :—क्या गृह (जन सम्पर्क विभाग) मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जन सम्पर्क विभाग द्वारा जो समाचार समाचार-पत्रों को प्रकाशन के लिए दिये जाते हैं वे पूर्णतया सच होते हैं ?

(ख) अगर हां, तो राजस्थान की विद्युत योजना सम्बन्धी सूचना में ये समाचार कि 'दौसा गंगापुर बिजली की लाइन पहली पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत बिछा दी गई है', कहां तक सत्य है ?

(ग) इन समाचारों के प्रकाशन के लिए कौन जिम्मेदार है ?

Page No.120

(उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

२७६. (४८१एम० एल० एम०) **श्री नारायण चतुर्वेदी, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर १८८** :—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान प्रान्त में ऐसे कितने गांव हैं जो किसी भी पंचायत या नगरपालिका के के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किये गये हैं ?

(ख) उन गांवों के सिलसिले में सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

(क) लगभग २०० ढाणियें एवं गांव ऐसे हैं जो अभी किसी पंचायत या नगरपालिका में सम्मिलित नहीं हो सके हैं।

(ख) इस प्रकार के गांवों को उनके समीपवर्ती पंचायतों में सम्मिलित करने की अथवा नगरपालिका स्थापित करने की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ कर दी गई है।